रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938
No. 216] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/ CHAITRA 10, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2016

सा.का.नि. 364(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क और धारा 211 की उपधारा (3ग) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (जिसे यहां इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थातः—
'(क) ''लेखा मानक'' इन नियमों के नियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट लेखा के मानक या उसकी कोई युक्तिका अभिप्रेत है।
(ख) ''अधिनियम'' से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), जैसा भी मामला हो, अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (घ) और खंड (ड़) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थातः—

'(घ) ''वित्तीय विवरण'' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (40) में यथापरिभाषित वित्तीय विवरण अभिप्रेत है;

(ड़) ''उद्यम'' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उपधारा (20) में यथापरिभाषित या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथापरिभाषित, जैसा भी मामला हो, 'कंपनी' अभिप्रेत है;।

3. मूल नियम के 4 के उपनियम (2) में ''सामान्य प्रयोजन'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. मूल नियम के अनुलग्नक में पैराग्राफ 4 के पश्चात् उपशीर्ष ''क. सामान्य अनुदेश'' के अंतर्गत ''लेखा मानक'' शीर्ष के अधीन अनुलग्नक में निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

5. 'अनुसूची VI 'अथवा 'कंपनी अधिनियम, 1956' के प्रतिनिर्देश सभी परिवर्तनों सहित क्रमशः 'अनुसूची III' अथवा 'कंपनी अधिनियम, 2013' के प्रति है।

5. मूल नियम के ''अनुलग्नक'' में ''लेखा मानक'' शीर्ष के अधीन ''लेखा मानक (एएस) 2'' के स्थान पर निम्नलिखित लेखा मानक रखे जाएंगे, अर्थातः–

''लेखा मानक 2

सूचीबद्ध सामान का मूल्यांकन

*(इस लेखा मानक में कुछ **मोटे तिरछे** टाइप और कुछ सीधे टाईप में व्यवस्थित पैरा सम्मिलित है, जिनका समान प्राधिकार है। मोटे तिरछे टाइप में दिये गए पैरा मुख्य सिद्धांत उपदर्शित करते हैं। इस लेखा मानक को अधिसूचना के प्रति उपाबंध के भाग क में अतंर्विष्ट साधारण अनुदेशों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये।)*

उद्देश्य

सूचीबद्ध सामान के लेखा में मुख्य मुद्दा उस मूल्य का निर्धारण है, जिस पर सूचीबद्ध सामान को संबंधित राजस्वों को अभिज्ञात करने तक वित्तीय विवरणों में लाया जाता है। यह मानक ऐसे मूल्य के निर्धारण सहित सूचीबद्ध सामान की लागत तथा शुद्ध वसूलनीय मूल्य तक उसके किसी भी अपलेखन के निर्धारण का वर्णन करता है।

कार्यक्षेत्र

1. *यह मानक निम्नलिखित से भिन्न सूचीबद्ध सामान के लेखाओं के संबंध में लागू किया जाना चाहिये :*

 (क) प्रत्यक्ष रूप से संबंधित सेवा संविदाओं सहित निर्माण ठेकों के अधीन उत्पन्न प्रगतिशील कार्य (लेखा मानक 7 निर्माण ठेके देंखें)।

 (ख) सेवा प्रदाताओं के कारबार के सामान्य अनुक्रम में उत्पन्न हो रहा प्रगतिशील कार्य ;

 (ग) कारबार–स्टॉक के रूप में धारित शेयर, डिबेंचर तथा अन्य वित्तीय लिखत ; और

 (घ) उत्पादक के पशुधन, कृषि और वन उत्पादों तथा खनिज तेलों, अयस्कों और गैसों का सूचीबद्ध सामान उस सीमा तक, जिस तक वे उन उद्योगों में सुस्थापित व्यवहारों के अनुसार शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर मापी जाती है।

2. पैरा 1(घ) में निर्दिष्ट सूचीबद्ध सामान को उत्पादन के कतिपय प्रकमों पर शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए, यह तब होता है जब कृषि फसलें काटी जा चुकी हों या खनिज तेल, अयस्क और गैसें निकाली जा चुकी हों और किसी अग्रिम संविदा या सरकारी गारंटी के अधीन बिक्री सुनिश्चित हो या जब एक समजातीय बाजार विद्यमान होता है और बिक्री की असफलता का जोखिम नगण्य होता है। इन सूचीबद्ध सामान को इस मानक के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित किया गया है।

परिभाषाएँ

3. *निम्नलिखित शब्द इस मानक में विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किये गए हैं :*

3.1 <u>सूचीबद्ध सामान</u> निम्नलिखित आस्तियाँ हैं :

(क) कारबार के सामान्य अनुक्रम में बिक्री के लिए धारित ;

(ख) ऐसी बिक्री के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में ; या

(ग) उत्पादन प्रक्रिया में या सेवाएं प्रदान करने में उपभोग किए जाने के लिए सामग्रियों या आपूर्तियों के रूप में ;

3.2 <u>शुद्ध वसूलनीय मूल्य</u> एक कारबार के सामान्य अनुक्रम में अनुमानित विक्रय कीमत है जिसमें से कार्य पूरा होने की अनुमानित लागत तथा विक्रय करने हेतु आवश्यक अनुमानित लागत को घटाया होता है।

4. सूचीबद्ध सामान में पुनः विक्रय के लिए क्रय किया गया और रखा गया माल सम्मिलित होता है, उदाहरण के लिए, किसी फुटकर विक्रेता द्वारा पुनः विक्रय के लिए क्रय की गई और रखी गई पण्य–वस्तुएँ, पुनः विक्रय के लिए रखा गया कम्प्यूटर साफ्टवेयर या पुनः विक्रय के लिए रखी गई भूमि या अन्य सम्पत्ति। सूचीबद्ध सामान में उपक्रम द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुएँ या उत्पादित किया जा रहा प्रगतिशील कार्य और उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग के लिए प्रतीक्षित सामग्रियाँ, अनुरक्षण आपूर्तियां, उपभोग्य और फुटकर औजार भी सम्मिलित हैं। सूचीबद्ध सामान में वे स्पेअर पार्ट, सर्विस उपकरण और अतिरिक्त उपकरण सम्मिलित नहीं हैं जो लेखा मानक 10, *संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में* दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की परिभाषा को पूरा करते हैं। इस प्रकार की मदों का लेखा, लेखा मानक 10, *संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर* के अनुसरण में ही किया जाता है।

सूचीबद्ध सामान का मापन

5. *सूचीबद्ध सामान को लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य में से कम पर मूल्यांकित किया जाना चाहिए।*

सूचीबद्ध सामान की लागत

6. *सूचीबद्ध सामान की लागत में, सभी क्रय लागतों, संपरिवर्तन लागतों, तथा सूचीबद्ध सामान को उनकी वर्तमान स्थिति तथा दशा में लाने में लगी सभी लागतों को शामिल किया जाना चाहिये।*

क्रय की लागतें

7. क्रय की लागतों में शुल्कों और करों (उनसे भिन्न जो उद्यम द्वारा कर अधिकारियों से बाद में वसूलनीय हैं), आंतरिक भाड़े और अर्जन से प्रत्यक्षतः सम्बंधित अन्य व्यय सहित क्रय मूल्य शामिल होता है। व्यापार बट्टे, रिबेट, शुल्क वापसियाँ और ऐसी ही अन्य मदें, क्रय की लागतों के निर्धारण में घटा दी जाती हैं।

संपरिवर्तन की लागतें

8. सूचीबद्ध सामान के संपरिवर्तन की लागतों में उत्पादन इकाइयों से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित लागतें, जैसे कि प्रत्यक्ष श्रम, शामिल होती हैं। इसमें उन अतिरिक्त स्थिर और परिवर्तनशील उत्पादन उपरिव्ययों का एक व्यवस्थित आबंटन भी शामिल होता है, जो सामग्री को तैयार माल में परिवर्तीत करने में उपगत होते है। स्थिर उत्पादन उपरिव्यय वे उत्पादन की अप्रत्यक्ष लागतें हैं, जो उत्पादन की मात्रा की परवाह न करते हुए सापेक्षतः स्थिर बनी रहती हैं, जैसे कि कारखाना भवनों का अवक्षयण और अनुरक्षण तथा कारखाना प्रबंधन और प्रशासन का खर्च । परिवर्तनशीन उत्पादन उपरिव्यय, उत्पादन की वे अप्रत्यक्ष लागतें हैं, जो उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्षतः या लगभग प्रत्यक्षतः परिवर्तित होती है, जैसे कि अप्रत्यक्ष सामग्रियाँ और अप्रत्यक्ष श्रम ।

9. संपरिवर्तन की लागतों में स्थिर उत्पादन उपरिव्ययों को सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए उनका आबंटन उत्पादन सुविधाओं की सामान्य क्षमता पर आधारित होता है। सामान्य क्षमता सुनियोजित रखरखाव के परिणाम स्वरूप उत्पादन क्षमता की हानि पर ध्यान देते हुए, सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत कुछ अवधियों या मौसमों में औसत तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित उत्पादन है। उत्पादन के वास्तविक स्तर का भी प्रयोग किया जा सकता है, यदि यह सामान्य क्षमता का अनुमान लगाती है। उत्पादन की प्रत्येक इकाई को आबंटित स्थिर उत्पादन उपरिव्ययों की रकम, कम उत्पादन या अप्रयुक्त संयत्र के परिणाम स्वरूप नहीं बढ़ती। अनांबटित उपरिव्यय, उस अवधि में, जब वे उपगत किये जाते हैं व्यय के रूप में अभिज्ञात किए जाते हैं। असामान्य तौर पर अधिक उत्पादन की अवधियों में, उत्पादन की प्रत्येक इकाई को आबंटित स्थिर उत्पादन उपरिव्ययों की रकम घटती है, जिससे सूचीबद्ध सामान लागत से ऊपर नहीं मापा जाता। परिवर्तनशील उत्पादन उपरिव्यय, उत्पादन सुविधाओं के वास्तविक प्रयोग के आधार पर उत्पादन की प्रत्येक इकाई को सौंपे जाते हैं।

IndiaCode

10. किसी उत्पादन प्रक्रिया का परिणाम एक साथ उत्पादित किये जा रहे एक से अधिक उत्पाद भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह वह स्थिति है, जब संयुक्त उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं या जब एक मुख्य उत्पाद और एक उप–उत्पाद होता है। जब प्रत्येक उत्पाद के संपरिवर्तन की लागतें पृथक रूप से अभिज्ञेय नहीं होती हैं तो उन्हें उत्पादों के बीच तर्कशील और सतत् आधार पर आबंटित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह आबंटन प्रत्येक उत्पाद के सापेक्ष बिक्री मूल्य पर, उत्पादन प्रक्रिया के प्रक्रम पर जब उत्पाद पृथकतः अभिज्ञेय हो जाता है या फिर उत्पाद के पूरे होने पर, आधारित हो सकता है। अधिकतर उप–उत्पादों के साथ ही स्क्रेप या अवशिष्ट सामग्रियाँ उनकी प्रकृति से नगण्य होती हैं। जब ऐसा मामला हो तो उन्हें प्रायः शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर मापा जाता है और यह मूल्य मुख्य उत्पाद की लागत से घटाया जाता है। परिणामस्वरूप, मुख्य उत्पाद की कैरिंग रकम उसकी लागत से सारवान रूप से भिन्न नहीं होती है।

अन्य लागतें

11. अन्य लागतें सूचीबद्ध सामान की लागत में केवल उस सीमा तक शामिल की जाती हैं जिस तक वे सूचीबद्ध सामान को उनकी वर्तमान अवस्थिति और स्थिति में लाने के लिए उपगत की जाती है। उदाहरण के लिए, सूचीबद्ध सामान की लागत में, उत्पादन उपरिव्ययों के अतिरिक्त अन्य उपरिव्ययों को या विशिष्ट ग्राहकों के लिए उत्पादों को डिजाइन करने की लागतें शामिल करना उचित हो सकता है।

12. प्रायः ब्याज तथा अन्य उधार लागतों को सूचीबद्ध सामान को उनकी वर्तमान अवस्थिति और स्थिति तक लाने से सम्बन्धित नहीं माना जाता है और इसीलिए, सामान्यतः उन्हें सूचीबद्ध सामान की लागत में शामिल नहीं किया जाता है।

सूचीबद्ध सामान की लागत से अपवर्जन

13. पैरा 6 के अनुसार, सूचीबद्ध सामान की लागत का निर्धारण करने में कुछ लागतों को छोड़ देना और उस अवधि में, जब वे उपगत किए जाते हैं उन्हें व्यय के रूप में अभिज्ञात करना उचित है। ऐसी लागतों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :

(क) अवशिष्ट सामग्रियों, श्रम या अन्य उत्पादन लागतों की असामान्य रकमें ;

(ख) भंडारण लागतें जब तक कि ये लागतें आगामी उत्पादन प्रक्रम के पूर्व उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यक नहीं हैं ;

(ग) प्रशासनिक उपरिव्यय, जो सूचीबद्ध सामान को उनकी वर्तमान अवस्थिति और स्थिति में लाने में योगदान नहीं देते; और

(घ) विक्रय और वितरण लागतें।

लागत सूत्र

14. ***ऐसी मदों की, जो सामान्य रूप से अन्तरपरिवर्तनीय नहीं है और विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उत्पादित और अलग किए गए माल या सेवाओं के सूचीबद्ध सामान की लागत को, उनकी पृथक लागतों की विनिर्दिष्ट पहचान द्वारा नियत होना चाहिये ।***

15. लागत की विनिर्दिष्ट पहचान से यह अभिप्रेत है कि सूचीबद्ध सामान की पहचान की गई मदों के लिए विनिर्दिष्ट लागतें अभिनिश्चित की गई है। यह उन मदों के लिए उचित प्रतिपादन है जो इस बात की परवाह किए बिना कि चाहे वे खरीदी या उत्पादित की गई हैं या नहीं, विशिष्ट परियोजना के लिए अलग की जाती है। तथापि, जब सूचीबद्ध सामान की ऐसे मदों की संख्या अधिक होती है, जो आमतौर पर अन्तरपरिवर्तनीय हैं तो लागतों की विनिर्दिष्ट पहचान अनुपयुक्त है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कोई उपक्रम सूचीबद्ध सामान में रहने वाली शेष मदों को अभिनिश्चित करने की विशिष्ट पद्धति का चुनाव करके, अवधि के शुद्ध लाभ या हानि पर पूर्वनिर्धारित प्रभावों को प्राप्त कर सकता है।

16. ***पैरा 14 से संबंधित सूचीबद्ध सामान सेभिन्न सूचीबद्ध सामान की लागत का निर्धारण पहले आना, पहले जाना या भारित औसत लागत सूत्र का प्रयोग करतेहुए किया जाना चाहिये। प्रयुक्त सूत्र को सूचीबद्ध सामान कोउनकेवर्तमान अवस्थिति और स्थिति मेंलानेमें उपगत की गईलागत के लगभग यथासंभव उचित सादृश्य का प्रदर्शन करना चाहिये।***

17. सूचीबद्ध सामान की लागत का निर्धारण करने के लिए, उन सूचीबद्ध सामान के अतिरिक्त जिनके लिए पृथक लागतों की विशिष्ट पहचान उचित है, कई प्रकार के लागत सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। सूचीबद्ध सामान की किसी मद की लागत के निर्धारण में प्रयुक्त सूत्रों का चयन मदों को उनकी वर्तमान अवस्थिति और स्थिति में लाने में उपगत लागत के लगभग यथासंभव उचित सादृश्ता प्रदान करने की दृष्टि से करने की आवश्यकता होती है। 'पहले–आना, पहले–जाना' सूत्र मानता है कि सूचीबद्ध सामान की वे मदें जो पहले खरीदी या उत्पादित की गई थी उनका उपभोग पहले किया जाता है या वे पहले बेची जाती हैं, और परिणाम–स्वरूप अवधि के अंत में सूचीबद्ध सामान में शेष रह जाने वाली मदें वे

IndiaCode

होती हैं जो अभी हाल ही में खरीदी या उत्पादित की गई है। भारित औसत लागत सूत्र के अंतर्गत प्रत्येक मद की लागत का निर्धारण अवधि की शुरूआत पर समान मदों की लागतों और अवधि के दौरान खरीदी गई या उत्पादित समान मदों की लागत के भारित औसत से किया जाता है। औसत की गणना, उद्यम की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, आवधिक आधार पर या प्रत्येक अतिरिक्त लादान (शिपमेंट) प्राप्त किये जाने के समय की जा सकती है।

लागत के माप हेतु तकनीकें

18. यदि परिणाम वास्तविक लागत के सन्निकट हैं तो सूचीबद्ध सामान की लागत के माप की कुछ तकनीकों, जैसे कि मानक लागत पद्धति का या फुटकर पद्धति का प्रयोग सुविधा के लिए किया जा सकता हैं। मानक लागतें, सामग्रियों और पूर्तियों के उपभोग, श्रम, दक्षता तथा क्षमता उपयोग के सामान्य स्तरों को ध्यान में रखती है। उनका नियमित रूप से पुनर्विलोकन और यदि आवश्यक हो तो विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण किया जाता है।

19. फुटकर पद्धति का प्रायः फुटकर व्यापार में बड़ी संख्या में तीव्र गति के बदल रही उन मदों के सूचीबद्ध सामान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिनका लाभ अंतर समान हो और जिनके लिए अन्य लागत पद्धतियों का प्रयोग करना अव्यवहारिक है। सूचीबद्ध सामान की लागत, सूचीबद्ध सामान के बिक्री मूल्य से उचित सकल लाभ—अंतर के प्रतिशत को घटा कर निर्धारित किया जाता है। प्रयुक्त प्रतिशत उस सूचीबद्ध सामान को ध्यान में रखता है, जो उसकी वास्तविक बिक्री कीमत से नीचे लाया जा चुका हैं। प्रत्येक फुटकर कार्यालय के लिए प्रायः एक औसत प्रतिशत का प्रयोग किया जाता है।

शुद्ध वसूलनीय मूल्य

20. सूचीबद्ध सामान की लागत, वसूलनीय नहीं हो सकती, यदि वह सूचीबद्ध सामान नष्ट हो जाएँ, या वे पूर्णतः या अंशतः अप्रचलित हो जाएं, या यदि उनकी बिक्री कीमतें गिर गई हों। यदि कार्यपूर्ण होने की अनुमानित लागतें या बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें बढ़ गई हों तो भी सूचीबद्ध सामान की लागतें वसूलनीय नहीं हो सकती हैं। सूचीबद्ध सामान की लागत को शुद्ध वसूलनीय मूल्य तक अपलिखित करने की कार्यप्रणाली इस विचार से संगत है कि आस्तियों को उनकी बिक्री या प्रयोग से प्राप्त होने वाली अपेक्षित रकमों से अधिक रकम पर नहीं लिया जाना चाहिए।

21. सूचीबद्ध सामान को सामान्यताः शुद्ध वसूलनीय मूल्य तक मद—दर—मद आधार पर अपलिखित किया जाता है। तथापि कुछ परिस्थितियों में, समान और सम्बंधित मदों को समूहबद्ध करना उपयुक्त हो सकता है। यह समान उत्पादन रेखा से संबंधित सूचीबद्ध सामान की उन मदों को मामला है, जिनके उद्देश्य या अन्तिम उपयोग समान है और जो समान भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित और विपणित की जाती है और जिन्हें उस उत्पादन रेखा में अन्य मदों से व्यवहारिक रूप से पृथकतः मूल्यांकित नही किया जा सकता है। सूचीबद्ध सामान के वर्गीकरण के आधार पर सूचीबद्ध सामान को अपलिखित करना उपयुक्त नहीं है, उदाहरण के लिए, तैयार माल या विशिष्ट कारबार खंड में सभी सूचीबद्ध सामान।

22. शुद्ध वसूलनीय मूल्य के अनुमान, सूचीबद्ध सामान द्वारा अपेक्षित मूल्य के विषय में लगाए गए अनुमानों के समय उपलब्ध अत्यधिक विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होते हैं। यह अनुमान तुलनपत्र की तारीख के बाद घटने वाली घटनाओं से प्रत्यक्षतः संबधित कीमत या लागत के परिवर्तनों पर उस सीमा तक विचार करते हैं, जिस तक ऐसी घटनाएँ तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान स्थितियों की पुष्टि करती हैं।

23. शुद्ध वसूलनीय मूल्य के अनुमान सूचीबद्ध सामान को धारित करने के प्रयोजन पर भी विचार करते हैं। उदाहरण के लिए पुष्ट विक्रय या सेवा संविदा को पूरा करने के लिए धारित सूचीबद्ध सामान की मात्रा का शुद्ध वूसलनीय मूल्य, संविदा कीमतों पर आधारित होता है। यदि विक्रय संविदा रखे गए सूचीबद्ध सामान की मात्रा से कम के लिए है तो अतिरिक्त सूचीबद्ध सामान का शुद्ध वसूलनीय मूल्य सामान्य विक्रय मूल्यों पर आधारित होता है। धारित सूचीबद्ध सामान की मात्राओं से अधिक के लिए पुष्ट विक्रय संविदाओं पर आकस्मिक हानियों और पुष्ट क्रय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक हानियों का लेखा मानक 4 *आकस्मिकताएँ तथा तुलन पत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ,* में निरूपित सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपादन किया जाता है।

24. सूचीबद्ध सामान के उत्पादन में प्रयोग हेतु रखी गई सामग्रियाँ और अन्य पूर्तियों को लागत से नीचे अपलिखित नहीं किया जाता है, यदि तैयार उत्पाद जिसमें वे सम्मिलित होंगे, लागत पर या लागत से ऊपर विक्रय किये जाने के लिए अपेक्षित हैं। तथापि, जब सामग्रियों की कीमत में कमी हो रही हों और यह अनुमान लगाया जाता है कि तैयार उत्पादों की लागत शुद्ध वूसलनीय मूल्य से अधिक होगी, तो सामग्रियाँ शुद्ध वसूलनीय मूल्य तक अपलिखित की जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में सामग्रियों की प्रतिस्थापित लागत, उनकी वूसलनीय मूल्य का सर्वोत्तम उपलब्ध माप हो सकता है।

IndiaCode

25. शुद्ध वसूलनीय मूल का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को किया जाता है।

प्रकटन

26. *वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित प्रकट किया जाना चाहिये :*

(क) प्रयुक्त लागत सूत्र सहित सूचीबद्ध सामान के मापने में अपनाई गई लेखा नीतियां; और

(ख) सूचीबद्ध सामान की कुल कैरिंग रकम और उद्यम के लिए उसका उपयुक्त वर्गीकरण।

27. सूचीबद्ध सामान के भिन्न वर्गीकरण में धारित सूचीबद्ध सामान की कैरिंग रकमों के और इन आस्तियों में परिवर्तन की सीमा से सम्बंधित जानकारी वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्त्ताओं के लिए उपयोगी होती हैं। सूचीबद्ध सामान के सामान्य वर्गीकरणमें निम्नलिखित सम्मिलित है:

(क) कच्चा माल और घटक
(ख) निर्माण या उत्पादनाधीन वस्तुएं (प्रगतिशील कार्य)
(ग) तैयार वस्तुएं
(घ) व्यापार में स्टॉक (व्यापार के लिए अधिग्रहीत वस्तुओं के संबंध में)
(ड़) स्टोर व स्पेअर पार्ट
(च) फुटकर औजार
(छ) अन्य (प्रकृति स्पष्ट करें)।''

6. मूल नियम में ''अनुलग्नक'' में ''लेखा मानक'' शीर्ष के अधीन ''लेखा मानक (एएस) 4'' के स्थान पर निम्नलिखित लेखा मानक रखे जाएँगे, अर्थात् :–

''लेखा मानक 4*
आकस्मिकताएँ तथा तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ

(इस लेखा मानक में कुछ मोटे तिरछे टाइप और कुछ सीधे टाईप में व्यवस्थित पैरा सम्मिलित है, जिनका समान प्राधिकार है। मोटे तिरछे टाइप में दिये गए पैरा मुख्य सिद्धांत उपदर्शित करते हैं। इस लेखा मानक को अधिसूचना के प्रति उपाबंध के भाग क में अतंर्विष्ट साधारण अनुदेशों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये।)

प्रस्तावना

1. यह मानक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित मदों के प्रतिपादन से संबंधित हैं :

(क) आकस्मिकताएँ; और

(ख) तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ।

2. निम्नलिखित विषय, जिनका परिणाम आकस्मिकताएँ हो सकता है, उनको लागू विशेष विचारों को ध्यान में रख कर, इस मानक के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित किए गए हैं :

(क) जीवन बीमा तथा साधारण बीमा उद्यमों द्वारा जारी की गई पालिसियों के कारण उत्पन्न उनका दायित्व ;

(ख) सेवानिवृत्ति प्रसुविधा योजनाओं के अधीन बाध्यताएं ; और

(ग) दीर्घकालीन पट्टा–संविदाओं से उद्भूत होने वाली प्रतिबद्धताएं।

* इस मानक के सभी पैरा, जो आकस्मिकताओं से संबंधित है, केवल उस सीमा तक लागू होते हैं, जहाँ तक वे केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित लेखा मानकों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उदाहरण के लिए, वित्तीय आस्तियों के ह्रास, जैसे कि प्राप्य का ह्रास (सामान्यतः डूबंत और शंकास्पद ऋण के उपबन्ध रूप में ज्ञात है) इस मानक द्वारा शासित होते हैं।

परिभाषाएँ

3. निम्नलिखित शब्दों को विनिर्दिष्ट अर्थों में इस मानक में प्रयोग किया गया है :
3.1. आकस्मिकता एक ऐसी स्थिति अथवा परिस्थिति है, जिसका अंतिम परिणाम, लाभ अथवा हानि, एक अथवा अनेक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटने अथवा न घटने पर ही ज्ञात अथवा अवधारित होगा।

3.2. तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ, वे महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही, जो तुलनपत्र की तारीख तथा कम्पनी के मामले में निदेशक बोर्ड द्वारा और किसी अन्य इकाई के मामले में तत्स्थानी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का अनुमोदन करने की तारीख के बीच में घटित होती है।

दो तरह की घटनाओं की पहचान की जा सकती है :

(क) वे जो तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान परिस्थितियों का और अधिक साक्ष्य प्रदान करते हैं ; और

(ख) वे जो उन परिस्थितियों का संकेत दे सकें जो तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् उत्पन्न हुई हों।

स्पष्टीकरण

4. आकस्मिकताएँ

4.1. इस मानक में ''आकस्मिकताएँ'' शब्द का प्रयोग तुलनपत्र की तारीख को ऐसी स्थिति अथवा परिस्थितियों तक सीमित किया गया है, जिसका वित्तीय प्रभाव भविष्य की घटनाओं के घटित होने अथवा न होने पर निर्धारित किया जाना होता है।

4.2. किसी उद्यम के अनेक चालू तथा आवृति क्रियाकलापों के लिए वित्तीय विवरणों में वर्णित की जाने वाली रकमों को निर्धारित करने के लिए अनुमानों की आवश्यकता होती है। तथापि, निश्चित रूप से घटने वाली घटनाएँ तथा अनिश्चित घटनाओं के बीच अन्तर अवश्य करना चाहिये। यह तथ्य कि कोई अनुमान लगाया जाना है, स्वतः ही ऐसी अनिश्चितता को जन्म नहीं देता, जो आकस्मिकता की विशेषता बताती है। उदाहरणार्थ, यह तथ्य कि अवक्षयण का निर्धारण करने के लिए उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया जाता है, अवक्षयण को आकस्मिकता नहीं बनाता है, क्योंकि आस्ति के उपयोगी जीवन की पारिणामिक समाप्ति अनिश्चित नहीं है। इसी प्रकार प्राप्त सेवाओं के बदले देय धन पैरा 3.1 में दी गई परिभाषा के अनुसार आकस्मिकता नहीं है, यद्यपि रकम का अनुमान लगाया गया हो सकता है, क्योंकि इस तथ्य के बारे में कुछ भी अनिश्चितता नहीं है कि इन बाध्यताओं को उपगत किया जा चुका है।

4.3. भविष्य की घटनाओं से संबंधित अनिश्चितता को परिणामों की श्रेणी में व्यक्त किया जा सकता है। इस श्रेणी को मात्रात्मक सम्भावनाओं में व्यक्त किया जा सकता है, किन्तु अधिकतम परिस्थितियों में, यह शुद्धता के एक ऐसे स्तर का सुझाव देती है जिसका उपलब्ध सूचनाओं से साक्ष्य नहीं किया जाता है। अतः संभावित परिणामों का वर्णन वहाँ के सिवाय जहाँ पर, उचित मात्रात्मक प्रस्तुतिकरण व्यवहार्य है, साधारणतया किया जा सकता है।

4.4. आकस्मिकताओं के परिणामों तथा वित्तीय प्रभाव के अनुमानों का निर्धारण उद्यम के प्रबन्धन के निर्णय द्वारा किया जाता है। यह निर्णय वित्तीय विवरण के अनुमोदन की तारीख को उपलब्ध सूचना पर विचार करने पर आधारित होता है तथा इसमें तुलन पत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाओं का पुनर्विलोकन जिसे इस प्रकार के संव्यवहारों के अनुभव से अनुपूरित किया गया हो तथा कुछ मामलों में, स्वतंत्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट सम्मिलित होगी।

5. आकस्मिक हानियों का लेखा प्रतिपादन

5.1. आकस्मिक हानि के लेखा प्रतिपादन का निर्धारण आकस्मिकता के प्रत्याशित परिणाम के आधार पर किया जाता हैं। यदि इस बात की सम्भावना हो कि आकस्मिकता के कारण उद्यम को हानि होगी तो ऐसी हानि के लिए वित्तीय विवरणों में उपबन्ध करना विवेकशील होगा।

5.2. वित्तीय विवरण में उपबंधित की जाने वाली आकस्मिक हानि की रकम का अनुमान पैरा 4.4 में दी गई सूचना के आधार पर किया जा सकता है।

5.3. यदि आकस्मिक हानि की रकम का निर्धारण करने में परस्पर विरोधी अथवा अपर्याप्त साक्ष्य हैं तो ऐसी दशा में आकस्मिकता के विद्यमान होने तथा उसकी प्रकृति का प्रकटन किया जाना चाहिये।

5.4. उद्यम को होने वाली भारी हानि को कम किया जा सकता है अथवा उससे बचा जा सकता है, क्योंकि आकस्मिक दायित्व की संबंधित प्रति–दावों अथवा तीसरे पक्षकार के विरूद्ध दावे के साथ तुलना की जाती है। ऐसे मामलों में उपबन्ध की रकम का निर्धारण, उस दावे के अधीन संभावित वसूली को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, यदि उसके मापन अथवा वसूली के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं होती है। आकस्मिक दायित्व की प्रकृति तथा सकल रकम से संबंधित उचित प्रकटन भी किया जाता है।

5.5. गारंटी, मितिकाटा विनिमय पत्रों से उत्पन्न बाध्यताएँ, तथा इसी प्रकार वचनबद्ध किए गए अन्य बाध्यताओं की विद्यमानता तथा रकम को वित्तीय विवरणों में सामान्यताः टिप्पण के रूप में दिखाया जाता है, हालांकि इससे उद्यम को हानि होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है।

5.6. सामान्य अथवा अविनिर्दिष्ट कारबारी जोखिमों के संबंध में आकस्मिकता के उपबन्ध नहीं किये जाते हैं, क्योंकि वे तुलनपत्रा की तारीख को विद्यमान परिस्थितियों अथवा स्थितियों से संबंधित नहीं होते।

6. आकस्मिक लाभों का लेखा प्रतिपादन

6.1. आकस्मिक लाभों को वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात नहीं किया जाता हैं, क्योंकि इनके अभिज्ञान का परिणाम ऐसे राजस्व को अभिज्ञात करना हो सकता है, जो कभी वूसल न हो। तथापि, जब वस्तुतः किसी लाभ की वसूली निश्चित हो तो ऐसा लाभ आकस्मिकता नहीं है और ऐसे लाभ का लेखा उपयुक्त है।

7. ऐसी रकमों का निर्धारण, जिस पर आकस्मिकताओं को वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया जाता है

7.1. वह रकम जिस पर वित्तीय विवरणों में किसी आकस्मिकता को दिखाया जाता है, वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख पर उपलब्ध सूचना पर निर्भर करती है। आकस्मिकता की पहचान करने तथा उस रकम की गणना करने में, जिस पर इन आकस्मिकताओं को वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता हैं तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली ऐसी घटनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिये जो यह संकेत देती हैं कि तुलन पत्र की तारीख को किसी आस्ति में ह्रास हो सकता था अथवा एक दायित्व उत्पन्न हो सकता था।

7.2. कुछ मामलों में, प्रत्येक आकस्मिकता की पृथक रूप से पहचान की जा सकती है, तथा आकस्मिकता की राशि के निर्धारण में विचार में ली गई प्रत्येक स्थिति की विशेष परिस्थितियों की पहचान की जा सकती है। उद्यम के विरूद्ध एक महत्वपूर्ण कानूनी दावा इस प्रकार की आकस्मिकता को प्रदर्शित कर सकता है। ऐसी आकस्मिकता का मूल्यांकन करने में प्रबन्धन द्वारा विचार में लिए जाने वाले तथ्यों में, वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख को दावे की प्रगति, जहाँ आवश्यक हो, कानूनी विशेषज्ञों अथवा अन्य सलाहकारों की रायें, इसी प्रकार के मामलों में उद्यम का अनुभव तथा इसी प्रकार की स्थितियों में अन्य उद्यमों का अनुभव है।

7.3. यदि अनिश्चितता, जिसने एक पृथक संव्यवहार के संबंध में आकस्मिकता का सृजन किया है, इसी प्रकार के संव्यवहारों के समूह के लिए एक जैसी है, तब आकस्मिकता की रकम को पृथक रूप से निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु इसी प्रकार के संव्यवहारों के समूह पर आधारित हो सकती है। ऐसी आकस्मिकताओं का एक उदाहरण प्राप्य लेखाओं का अनुमानित असंग्रहनीय भाग हो सकता है। ऐसी आकस्मिकताओं का एक और उदाहरण बेचे हुए उत्पाद की वारंटियां हैं। ये लागतें प्रायः बारंबार उपगत की जाती हैं तथा अनुभव ऐसा उपाय प्रदान करता है जिसके द्वारा दायित्व अथवा हानि की रकम का अनुमान उचित स्तर की शुद्धता तक लगाया जा सकता है, हालांकि उन संव्यवहारों की विशेष पहचान नहीं की जा सकती, जिनके परिणामस्वरूप हानि अथवा दायित्व हुआ था। इन लागतों के उपबन्ध के परिणामस्वरूप इनको उसी लेखा अवधि में अभिज्ञात किया जाता हैं जिनमें संबंधित संव्यवहार किए गए थे।

8. *तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् की घटनाएँ*

8.1. वे घटनाएँ, जो तुलनपत्र की तारीख तथा जिस तारीख को, वित्तीय विवरणों का अनुमोदन किया गया है, के बीच घटित हुई हैं, वे तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों तथा दायित्वों के समायोजन की आवश्यकता की ओर संकेत कर सकती हैं अथवा उसके प्रकटन की अपेक्षा कर सकते हैं।

8.2. तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाओं के लिए आस्तियों तथा दायित्वों का समायोजन अपेक्षित होता है, जो तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित रकमों के निर्धारण को सारवान रूप से प्रभावित करने वाली अतिरिक्त सुचना प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, किसी व्यापारिक प्राप्य लेखा पर हानि के लिए कोई ऐसा समायोजन किया जा सकता है, जिसकी पुष्टि किसी ग्राहक के दिवालियापन से होती है, जो कि तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् घटित होता है।

8.3. तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाओं के लिए आस्तियों तथा दायित्वों का समायोजन करना उचित नहीं है, यदि ऐसी घटनाएँ तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित नहीं हैं। इसका उदाहरण तुलनपत्र की तारीख तथा वित्तीय विवरण के अनुमोदन की तारीख के मध्य विनिधानों के बाजार मूल्यों में गिरावट हैं। बाजार मूल्यों में साधारण उतार चढ़ाव का साधारणतः तुलन पत्रा की तारीख को विनिधानों की परिस्थिति से संबंध नहीं होता है, किन्तु उन परिस्थितियों को परिलक्षित करते है, जो आगामी अवधि में घटित हुई हैं।

8.4. सामान्यतः तुलन पत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ, जो वित्तीय विवरणों में वर्णित आंकड़ों को प्रभावित नहीं करती हैं, को वित्तीय विवरणों में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी, यद्यपि ये घटनाएँ इतनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं कि इनका प्रकटन अनुमोदन अधिकारी की रिपोर्ट में होने की अपेक्षा होती है, जिससे की वित्तीय विवरणों को प्रयोग करने वाले, उचित मूल्यांकन कर सकें तथा निर्णय ले सकें।

8.5. कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, यद्यपि वे तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होती हैं, जिन्हें कानूनी अपेक्षाओं के कारण अथवा उनकी विशेष प्रकृति के कारण कई बार वित्तीय विवरणों में परिलक्षित किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् और तुलनपत्र को जारी करने की स्वीकृति से पहले लाभांश घोषित किये जाते हैं तो तुलनपत्र की तिथि को लाभांश दायित्व में मान्य नहीं होंगे क्योंकि उस समय वह दायित्व विद्यमान नहीं है। लेकिन यदि कानूनी अपेक्षा है तो उसे मान्य किया जाएगा। इन लाभांशों को नोट (टिप्पणी) में प्रकट किया जाएगा ।

8.6. तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ यह संकेत दे सकती हैं कि उद्यम एक समुत्थान नहीं रही है। प्रचालन लाभों तथा वित्तीय स्थिति में गिरावट या तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् उद्यम के अस्तित्व तथा आधार को प्रभावित करने वाले आसामान्य परिवर्तन (उदाहरणार्थ मुख्य उत्पादन संयंत्र का तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् आग लगने के कारण विनाश) यह विचार करने की ओर संकेत कर सकते हैं कि क्या वित्तीय विवरणों को तैयार करने में चलायमान समुत्थान की मूल लेखा मान्यता का प्रयोग करना उपयुक्त है।

9. प्रकटन

9.1. इस मानक में वर्णित प्रकटन की अपेक्षाएँ केवल उन आकस्मिकताओं तथा घटनाओं के संबंध में लागू होती हैं जो महत्वपूर्ण सीमा तक वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं।

9.2 यदि आकस्मिक हानि के लिए उपबन्ध नहीं किया जाता है तो इसकी प्रकृति तथा इसके वित्तीय प्रभाव के अनुमान को जब तक हानि की संभावना नगण्य न हो, सामान्यतः टिप्पण के रूप में प्रकट किया जाता है (पैरा 5.5 में उल्लिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त)। यदि वित्तीय प्रभाव का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है तो इस तथ्य को प्रकट किया जाता है।

9.3 जब तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ अनुमादेन अधिकारी की रिपोर्ट में प्रकट की जाती हैं, तब जो सूचना दी जाती हैं उसमें, घटनाओं की प्रकृति तथा उनके वित्तीय प्रभावों का अनुमान या यह कथन कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता, शामिल होता है।

मुख्य सिद्धान्त

आकस्मिकताएँ

10. किसी आकस्मिक हानि की रकम के लिए उपबन्ध लाभ हानि विवरण में एक प्रभार के रूप में करना चाहिए, यदि :

(क) यह संभाव्य है कि भावी घटनाएँ यह पुष्टि करेंगी कि, संभावित संबंधित वसूली को ध्यान में रखने के पश्चात्, तुलन पत्र की तारीख को कोई आस्ति ह्रासित हो गई है अथवा दायित्व उपगत हो चुका है, और

(ख) पारिणामिक हानि की रकम का उचित अनुमान लगाया जा सकता है।

11. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक हानि के विद्यमान होने का प्रकटन किया जाना चाहिये यदि पैरा 10 की कोई भी शर्त पूरी नहीं की गयी हो, जब तक कि हानि की सम्भावना नगण्य न हो।

12. आकस्मिक लाभों को वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात नहीं किया जाना चाहिये।

IndiaCode

तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ

13. तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली उन घटनाओं के लिए आस्तियों तथा दायित्वों का समायोजन करना चाहिए, जो तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित रकमों के अनुमान में सहायता हेतु अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करती है अथवा यह संकेत देती है कि चलायमान समुत्थान की मूल लेखा धारणा (अर्थात् उद्यम के अस्तित्व अथवा आधार का बना रहना) उपयुक्त नहीं है।

14. यदि एक उद्यम तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् अपने शेयरधारकों को लाभांश घोषित करता है तो वह इन लाभांशों को उस तारीख के तुलनपत्र में दायित्व के रूप में तब तक मान्य नहीं करेगा जब तक कानूनी रूप से अन्यथा मान्य करने की अपेक्षा न हो। इन लाभांशों को तुलनपत्र के नोट (टिप्पणियों) में प्रकट किया जाएगा ।

15. अनुमोदन अधिकारी की रिपोर्ट में तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली ऐसी घटनाओं का प्रकटन होना चाहिये, जो उद्यम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सारवान परिवर्तनों तथा प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करती हैं।

प्रकटन

16. यदि इस मानक के पैरा 11 द्वारा आकस्मिकताओं का प्रकटन अपेक्षित है, तो निम्नलिखित सूचना प्रदान की जानी चाहियेः

(क) आकस्मिकता की प्रकृति ;

(ख) वे अनिश्चितताएँ जिनसे भावी परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है ;

(ग) वित्तीय प्रभाव का अनुमान या यह कथन कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

17. यदि अनुमोदन अधिकारी की रिपोर्ट में तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाओं का प्रकटन इस मानक के पैरा 15 के अनुसार अपेक्षित है तो निम्नलिखित सूचना दी जानी चाहिये :

(क) घटना की प्रकृति ;

(ख) वित्तीय प्रभाव का अनुमान या यह कथन कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) वित्तीय प्रभाव का अनुमान या यह कथन कि ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता।''

7. मूल नियम में ''अनुलग्नक'' में ''लेखा मानक'' शीर्ष के अधीन ''लेखा मानक (एएस) 6'' का लोप किया जाएगा।

8. मूल नियम में ''अनुलग्नक'' में ''लेखा मानक'' शीर्ष के अधीन ''लेखा मानक (एएस) 10'' के स्थान पर निम्नलिखित लेखा मानक रखे जाएँगे, अर्थात् :–

''लेखा मानक 10
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

*(इस लेखा मानक में कुछ **मोटे तिरछे** टाईप और कुछ सीधे टाईप में व्यवस्थित पैरा सम्मिलित हैं, जिनका समान प्राधिकार है। मोटे तिरछे टाईप में दिये गये पैरा मुख्य सिद्धांत उपदर्शित करते हैं। इस लेखा मानक को अधिसूचना के प्रति उपाबंध के भाग क में अतंर्विष्ट साधारण अनुदेशों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये।)*

उद्देष्य

1. इस मानक का उद्देश्य सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए लेखा प्रक्रिया निर्धारित करना है ताकि वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्त्ताओं को एक प्रतिष्ठान द्वारा उसकी सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर में किए गए निवेश (विनिधान) और ऐसे निवेश में परिवर्तनों के बारे में सूचना की आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लेखों के प्रमुख मुद्दे है :

IndiaCode

आस्तियों की मान्यता, (अभिज्ञान), उनकी अग्रणीत (कैरिंग) राशियों का निर्धारण और मूल्यह्रास (अवक्षयण) प्रभार तथा उनके संबंध में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियां।

कार्यक्षेत्र

2. यह मानक सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लेखे पर लागू किया जाएगा, सिवाय इसके, जब लेखे के लिए कोई अन्य लेखा मानक किसी अलग लेखा विधि की अपेक्षा करता है या इसकी अनुमति देता है।

3. यह लेखा मानक निम्नलिखित पर लागू नहीं होता :

(क) धारक पादपों (पौधों) को छोड़कर, कृषिक कार्यकलापों से संबंधित जैविक आस्तियां। यह मानक यद्यपि धारक पादपों पर लागू होता है लेकिन उनके उत्पादों पर लागू नहीं होता; और

(ख) खनिज अधिकारों सहित बेकार आस्तियों, खनिजों, तेल, प्राकृतिक गैस और इसी प्रकार की गैर–पुनरूत्पादित संसाधनों की खोज व निष्कर्षण पर व्यय।

लेकिन, यह मानक उस सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर भी लागू होता है जो उपर्युक्त (क) व (ख) में यथावर्णित आस्तियों के विकास या रखरखाव में प्रयोग होते हैं।

4. अन्य लेखा मानक सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की मान्यता के लिए इस मानक से भिन्न किसी अलग दृष्टिकोण की अपेक्षा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, लेखा मानक 19, पट्टे, एक प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी पट्टाशुदा सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के एक मद की मान्यता का मूल्यांकन जोखिमों व पुरस्कारों के अन्तरण के आधार पर करे। हालांकि, ऐसे मामलों में इन आस्तियों की लेखा विधि के अन्य पहलू, जिनमें मूल्यह्रास भी शामिल है, इस मानक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

5. लेखा मानक 13, *विनिधानों के लिए लेखा में* यथा परिभाषित निवेश सम्पत्ति का लेखा केवल इस मानक में दिए गए लागत मॉडल के अनुसार ही किया जाएगा।

परिभाषाएं

6 इस मानक में निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में किया गया है :

कृषिक गतिविधि एक प्रतिष्ठान का वह प्रबंधन है जिसमें वह जैविक आस्तियों का जैविक रूपान्तरण और जैविक आस्तियों की फसल की कटाई करता है ताकि उनकी बिक्री करे या कृषिक उत्पाद में रूपांतरित करें या फिर अतिरिक्त जैविक आस्तियां सृजित करें।

कृषिक उत्पाद वह कृषि उत्पाद है जो प्रतिष्ठान जैविक आस्तियों की कटाई से प्राप्त करता है।

एक धारक पादप वह पादप है :

(क) जो कृषिक उत्पाद के उत्पादन या आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है ;

(ख) जिससे यह आशा की जाती है कि वह 12 माह से अधिक तक उत्पाद धारण करेगा; और

(ग) जिससे प्रासंगिक अनुपयोगी चीजों (स्क्रेप) की बिक्रियों को छोड़कर कृषि उत्पाद के रूप में बेचे जाने की अल्प संभावना है।

निम्नलिखित धारक पादप नहीं हैं :

(i) वे पादप या पौधे जिन्हें इसलिए उगाया जाता है ताकि विकसित होने पर उन्हें कृषि उत्पाद के रूप में बाद में काटा जा सके (जैसेकि इमारती लकड़ी के लिए पेड़ों को उगाना) ;

(ii) वे पादप जिन्हें इसलिए उगाया जाता है कि उन्हें कृषि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सके और इस बात की बहुत–ही कम संभावना है कि उन्हें प्रतिष्ठान काट कर कृषि उत्पाद की तरह बेचे, लेकिन कुछ गौण अनुपयोगी (स्क्रेप) चीजों की बिक्री को छोड़कर (उदाहरण के तौर पर फलदार पेड़ जो फलों और इमारती लकड़ी, दोनों प्रयोजनों के लिए लगाये जाते हैं) ; और

(iii) वार्षिक (सालाना) फसलें (जैसे कि मक्का एवं गेहूँ)।

जब धारक पादप कोई उत्पाद देना बंद कर देता है तो उसे अनुपयोगी चीज समझकर काटकर बेच जा सकता है, जैसे की जलाने की लकड़ी। इस प्रकार की गौण अनुपयोगी चीज (स्क्रेप) की बिक्री, एक पादप को धारक पादप की परिभाषा में रहने से नहीं रोकेगी।

एक 'जैविक आस्ति' एक जीवित पशु हैं[1] या पादप है।

अग्रणीत (कैरिंग) राशि वह राशि है, जिस पर किसी आस्ति की मान्यता (अभिज्ञान), संचित मूल्यह्रास (अवक्षयण), तथा संचित क्षतिग्रस्तता (ह्रास) हानि को घटाकर की जाती है।

[1] कृषि से संबंधित लेखा मानक अभी तैयार किया जा रहा है जो, अन्य बातों के साथ–साथ, जीवित जानवरों का लेखा भी शामिल करेगा। जब तक कृषि पर लेखा मानक जारी नहीं किया जाता है, सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की परिभाषा को पूरा करने वाले जीवित जानवरों का लेखा, लेखा मानक 10, *सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर* के अनुसार ही होगा।

लागत एक नकद या नकदी तुल्य राशि अथवा अन्य प्रतिफल का उचित मूल्य है, जिसका किसी आस्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए भुगतान किया जाता है या जहां लागू है, यह वह राशि है जो अन्य लेखा मानक की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रारंभिक मान्यता से उस आस्ति से संबधित होती हैं।

मूल्यह्रासयोग्य राशि वह राशि है जो किसी आस्ति की लागत है या लागत हेतु वह वैकल्पिक अन्य राशि है जिसमें से उसका अवशिष्ट मूल्य घटा दिया जाता है।

मूल्यह्रास (अवक्षयण), किसी आस्ति के उपयोगी जीवन के दौरान मूल्यह्रासयोग्य राशि का एक व्यवस्थित आबंटन है।

प्रतिष्ठान विशिष्ट मूल्य वह है, जिसे प्रतिष्ठान किसी आस्ति के निरन्तर उपयोग से नकद प्रवाह (कैश फ्लों) के वर्तमान मूल्य के रूप में पाने की व इसके उपयोगी जीवन के बाद निपटान पर या फिर कसी दायित्व के भुगतान के समय खर्च करने की आशा करता है।

उचित मूल्य वह राशि है जिस पर एक आस्ति दो जानकार व इच्छुक पक्षों (पार्टियों) के बीच स्वतंत्र लेन–देन में विनियमित की जाती है।

स्कल अग्रणीत राशि एक आस्ति की वही लागत है या लागत के स्थान पर कोई वह दूसरी राशि है जिसमें से लेखा पुस्तकों में संचित मूल्यह्रास (अवक्षयण) और संचित क्षतिग्रस्तता (ह्रास) हानियां घटायी न गयी हों।

क्षतिग्रस्तता (ह्रास) हानि वह राशि है, जिससे किसी आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर वे मूर्त मदें हैं, जो:

(क) वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति के उपयोग के लिए, अन्य को किराये पर देने के लिए, या फिर प्रशासनिक उपयोग के प्रयोजनों के लिए धारित की जाती है; और

(ख) जिनके 12 माह से अधिक की अवधियों के दौरान इस्तेमाल किये जाने की आशा हो।

वसूली योग्य राशि वह होती है जो एक आस्ति की निवल विक्रय कीमत और प्रयोग मूल्य, इन दोनों में से जो अधिक हो।

अवशिष्ट मूल्य किसी आस्ति की वह अनुमानित राशि है जो कोई प्रतिष्ठान वर्तमान में आस्ति की आयु पूरी होने और उपयोगी जीवन के अन्त में उसके निपटान पर अनुमानित लागतों को घटाने के पश्चात् प्राप्त करने की आशा करता है।

उपयोगी जीवन से तात्पर्य है–

(क) वह अवधि जिसमें एक आस्ति के किसी प्रतिष्ठान द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहने की आशा रहती है;

(ख) आस्ति से प्रत्याशित उत्पादन की संख्या या इससे मिलती –जुलती इकाईयां।

मान्यता (अभिज्ञान)

7 किसी सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की लागत को किसी आस्ति के रूप में मान्यता तभी दी जायेगी, यदि, और केवल यदि :

(क) इस बात की संभावना हो कि इस मद के साथ जुड़े भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान को प्राप्त होते रहेंगे।

(ख) इस मद की लागत का माप विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है।

8 अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्टस), अतिरिक्त (स्टैड बाई) उपस्कर व सहायक उपस्कर जैसी मदों को इस लेखा मानक के अनुसरण में मान्यता तब दी जाती है जब वे सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की परिभाषा को पूरा करती हैं, वरना इन मदों को सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्री) में वर्गीकृत किया जाता है।

9 यह मानक मान्यता के माप के लिए किसी इकाई को निर्धारित नही करता है, अर्थात् किस मद को सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर श्रेणी में लिया जाए और किस मद को नहीं। अतः एक प्रतिष्ठान की विशिष्ट परिस्थितियों के मान्यता मानदंड के प्रयोग के लिए विवेक की आवश्यकता रहती है। एक माप ईकाई का उदाहरण विनिर्माणी संयंत्र के निर्माण में एक परियोजना हो सकता है, न कि निर्माण अवधि के दौरान, खर्च किये गये व्यय के पूंजीकरण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मामलों में परियोजना की व्यक्तिगत आस्तियां। इसी तरह यह उपयुक्त होगा कि गैर–महत्वपूर्ण मदों, से कि सांचों, औजारों और डाइयों की अलग–अलग मदों को एक साथ लिया जाए तथा उनके समूचे मूल्य पर मानदण्ड को लागू किया जाए। एक प्रतिष्ठान यह निर्णय ले सकता है कि एक मद पर कितना खर्च किया जाए जो अन्यथा सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर में शामिल है, क्योंकि व्यय की राशि बहुत अधिक नहीं है।

10 इस मान्यता सिद्धान्त के अन्तर्गत, एक प्रतिष्ठान अपनी सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की समस्त लागतों का मूल्यांकन उस समय करता है, जब उन लागतों पर वह व्यय करता है। इन लागतों में वह व्यय सम्मिलित होता है जो :

(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद को प्राप्त करने या उसके निर्माण करने के लिए प्रारंभ में खर्च किया जाता है; और

(ख) वह व्यय जो बाद में इसके किसी भाग की वृद्धि के लिए/बदलने या उसके रखरखाव के लिए खर्च किया जाता है।

प्रारंभिक लागतें

11 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की परिभाषा में वे मूर्त आस्तियां भी, सम्मिलित होती हैं जो प्रयोग या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए धारित की जाती हैं। 'प्रशासनिक प्रयोजन' शब्दावली का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है और इसमें वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या आपूर्ति या अन्य को किराये पर देने के अलावा सभी व्यावसायिक प्रयोजन सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार, सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर में वे सभी आस्तियां सम्मिलित की जाती हैं जो विक्रय व वितरण, वित्त व लेखा, कार्मिक व प्रतिष्ठान के अन्य कार्यों से संबंधित हैं। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों को सुरक्षा या पर्यावरण कारणों से भी प्राप्त (अधिग्रहीत) किया जा सकता है। इस प्रकार की सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधिग्रहण से, भले ही भविष्य में सीधे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त न भी हो, लेकिन, यह संभव है कि अन्य आस्तियों से भविष्य से प्रतिष्ठान को आर्थिक लाभ मिलें। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की ऐसी मदें आस्तियों की मान्यता के लिए अर्हक होती हैं, क्योंकि प्रतिष्ठान को भविष्य में ऐसे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं जो, निस्सन्देह, उनसे अधिक होंगे जो उनके न होने पर होते हों। उदाहरणार्थ, कोई रासायनिक विनिर्माता खतरनाक रसायनों के उत्पादन और भण्डारण के लिए एक नई रसायन विस्थापना की प्रक्रिया स्थापित करता है, जो पर्यावरणी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है। इस व्यवस्था में लगाये गये अतिरिक्त संयंत्र की मान्यता आस्ति के रूप में की जाती है, क्योंकि उसके बिना वह प्रतिष्ठान रसायनों का विनिर्माण और विक्रय नहीं कर सकता। इस प्रकार की ऐसी किसी आस्ति और इससे सम्बद्ध किसी अन्य आस्ति की परिणमस्वरूप अग्रणीत (कैरिंग) राशि की क्षतिग्रस्तता के लिए समीक्षा लेखा मानक 28, *आस्तियों का ह्रास,* के अनुसार की जाएगी।

परवर्ती लागतें

12 अनुच्छेद 7 में दिये गये मान्यता सिद्धान्त के अन्तर्गत, कोई भी प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की अग्रणीत राशि में पद की दिन–प्रतिदिन की रखरखाव लागतों को मान्यता नहीं देता है। इसकी बजाय, यह लागतें जब खर्च की जाती हैं, तब लाभ–हानि विवरण में मान्य होती हैं। दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग लागतों में मुख्यतया श्रम तथा उपभोग्य वस्तुओं (खपत) पर खर्च होने वाली लागतें आती हैं। इनमें छोटे पुर्जों की लागतें भी शामिल रहती हैं। इस प्रयोजन से किये गये सभी खर्च प्रायः सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की संबंधित मद के मरम्मत और रखरखाव व्यय की श्रेणी में आते हैं।

13 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कुछ मदों के पुर्जों को नियमित रूप से एक अवधि के बाद बदलना जरूरी हो जाता है। उदाहरणार्थ, भट्टी (फर्नेस) को निश्चित कुछ घण्टों के प्रयोग के बाद रिलाइनिंग की आवश्यकता होती है या वायुयान की आंतरिक मदों जैसे की सीटों और गदि्दयों को एयर फ्रेम के जीवन काल के दौरान कई बार बदलना पड़ता है। इसी तरह एक कन्वेयर प्रणाली के मुख्य पार्टों जैसे कन्वेयर बेल्ट, तार की रस्सियों आदि को कन्वेयर प्रणाली के जीवन काल में कई बार बदलना पड़ सकता है । सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कुछ मदों को इसलिए भी अधिग्रहीत किया जाता है कि उन्हें बार–बार या जल्दी न बदलना पड़े जैसे की भवन की आन्तरिक दीवारों को बदलना या इस प्रकार बदलना कि उन्हें बार–बार बदलने से बचा जाए। अनुच्छेद 7 में दिये गये मान्यता सिद्धात के अन्तर्गत एक प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की अग्रणीत राशि में ऐसी मद के पुर्जे को बदलने की लागत तभी शामिल करता है जब कि लागत के समय वह मान्यता कसौटी को पूरा करते हैं। जिन पुर्जो को बदल दिया जाता है उनकी अग्रणीत राशि को इस मानक (देखें अनुच्छेद 74–80) के गैर–मान्यता उपबंधों के अनुसार अमान्य किया जाता है।

14 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (उदाहरणार्थ एक वायुयान) की कोई मद परिचालन में जारी रहे, इसके लिए नियमित रूप से प्रमुख निरीक्षण किये जाते हैं ताकि दोषों या कमियों का पता चलता रहे और उन्हें समय पर दूर किया जा सके, इसमें यह जरूरी नहीं कि उस मद के पुर्जों को बदला भी जाए। जब कोई प्रमुख निरीक्षण किया जाता है तो सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में उसकी लागत को बदलने की लागत के रूप में मान्यता दी जाती है बशर्ते मान्यता प्रदान करने की कसौटी पूरी हो। पूर्व निरीक्षण की लागत की किसी शेष अग्रणीत राशि (भौतिक पुर्जों से भिन्न) को अमान्य किया जाता है।

15 अनुच्छेद पैरा 13–14 में यथावर्णित अग्रणीत राशि की अमान्यता तब भी की जाती है चाहे गत पार्ट/निरीक्षण की लागत का पता उस लेन देन से चलता है जिसमें की वह मद अधिग्रहीत या निर्मित की गयी है। यदि एक प्रतिष्ठान के लिए मद के अधिग्रहण या निर्माण के समय प्रतिस्थापित बदले गये पार्ट/निरीक्षण की अग्रणीत राशि को निर्धारित करना व्यवहार्य न हो तो यह इसी प्रकार के भावी निरीक्षण की प्रतिस्थापना लागत या प्रत्याशित लागत के लिए प्रतिस्थापित भाग/वर्तमान निरीक्षण घटक की लागत को एक संकेतक के रूप में प्रयोग ला सकता है।

मान्यता पर माप

16 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की वह मद जो किसी आस्ति के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करती है तो उसका माप उसकी लागत पर ही किया जाना चाहिए।

17 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की लागत के घटक इस प्रकार हैं :

(क) मद का खरीद मूल्य जिसमें आयात शुल्क और गैर–वापसी –योग्य खरीद कर तो शामिल है लेकिन व्यापार बट्टा और छूट नहीं।

(ख) किसी भी आस्ति को स्थल विशेष तक लाने या प्रबन्धन द्वारा निश्चित तरीके से परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक प्रत्यक्ष लागतें।

(ग) मद को विखण्डित करने, हटाने औार स्थल विशेष को, जिस पर इसे लगाया गया था, वापस पहले जैसा करने की प्रारंभिक अनुमानित लागतें, जिनके लिए प्रतिष्ठान मद के अधिग्रहण या सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्रीज) के उत्पादन के अलावा प्रयोग के दौरान, खर्च करने के लिए बाध्यकारी है।

18 प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लागतों के उदाहरण इस प्रकार हैं :

(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद के निर्माण या प्राप्ति से सीधे उत्पन्न कर्मचारियों के लाभों की लागत (लेखा मानक 15, *कर्मचारी प्रसुविधाएं,* में यथा परिभाषित) ;

(ख) स्थल की तैयारी की लागतें;

(ग) प्रारंभिक सुपुर्दगी और लदाई–उतराई की लागतें;

(घ) संस्थापना व जोड़–जुड़ाई की लागतें;

(ड़) क्या आस्ति ठीक से कार्य कर रही है या नहीं, इसके परीक्षण की लागतें जिनमें स्थल परद आस्ति को लाने और कार्य योग्य बनाने के समय जो उत्पादन किया गया है उसकी बिक्री को घटाया जाएगा [जैसेकि, परीक्षण के दौरान किया गया नमूना (सैम्पल) उत्पादन]; और

(च) व्यवसायिक शुल्क।

19 प्रतिष्ठान लेखा मानक 2ए *सूचीबद्ध समान (इन्वेंट्रीज)* का मूल्यांकन, को उन लागतों पर लागू करता है जो उसके लिए मद को विखंडित करने, हटाने तथा स्थल को प्रयोग के बाद वापस पहले जैसा करने के लिए बाध्यकारी हैं। ये लागतें उस अवधि के दौरान मद के सूचीबद्ध समान के उत्पादन के लिए प्रयोग के परिणामस्वरूप खर्च की जाती हैं। इन लागतों की बाध्यताओं का लेखा लेखा मानक 2 या लेखा मानक 10 के अनुसार और इनकी मान्यता व माप लेखा मानक 29, *प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां,* के अनुसरण के किया जाता है।

20 जो लागतें सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद की लागतों के रूप में मान्य नहीं हैं, उनके उदाहरण इस प्रकार हैं:

(क) नई सुविधा या व्यवसाय प्रारंभ करने की लागतें, जैसेकि उद्घाटन संबंधित लागतें;

(ख) नया उत्पाद अथवा सेवा शुरू करने की लागतें (विज्ञापन तथा प्रोन्नति के क्रियाकलापों से संबंधित लागतों सहित);

(ग) नये स्थान पर अथवा ग्राहकों की नयी श्रेणी के साथ व्यवसाय शुरू करने की लागतें (स्टाफ प्रशिक्षण संबंधी लागतों सहित); और

(घ) प्रशासनिक तथा अन्य सामान्य उपरि–व्यय।

21 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में लागतों की मान्यता तब समाप्त हो जाती है जब मद ऐसे स्थल तथा स्थिति में हो, जो प्रबंधन द्वारा निश्चित तरीके से परिचालन के योग्य हो। अतः एक मद को प्रयोग में लाने अथवा पुनः स्थापित करने की लागत को उस मद की अग्रणीत कैरिंग लागत में शामिल नहीं किया जाता उदाहरणतया, सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर कर मद की अग्रणीत राशि में निम्नलिखित लागतों को शामिल नहीं किया जाएगा।

22 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद के निर्माण अथवा विकास के समय कुछ परिचालन–कार्य ऐसे हो सकते हैं जो कि उस मद को उस स्थल तथा स्थिति में लाने जो कि प्रबंधन द्वारा निश्चित तरीके के अनुसार परिचालन के योग्य बनाने के लिए आवश्यक नहीं हैं। ऐसे प्रासंगिक परिचालन कार्य निर्माण अथवा विकास–संबंधी क्रियाकलापों के दौरान अथवा पहले हो सकते हैं। उदाहरणतया, जब तक भवन का निर्माण–कार्य शुरू न हो, स्थल का उपयोग कार पार्किंग के लिए करना और आय अर्जित करना। चूंकि प्रासंगिक परिचालन–कार्य मद को प्रबंधन द्वारा निश्चित तरीके के अनुसार ऐसे स्थल तथा स्थिति में लाने के लिए आवश्यक नहीं है, प्रासंगिक परिचालन–कार्य से संबंधित आया तथा व्यय को लाभ हानि विवरण में मान्यता दी जाएगी तथा उसे आय व व्यय के संबंधित वर्गीकरण में डाला जाएगा।

23 स्वनिर्मित आस्ति की लागत का निर्धारण अधिग्रहीत की गयी आस्ति के सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जाता है। यदि कोई प्रतिष्ठान सामान्य कारोबार के दौरान, समरूप आस्तियों की बिक्री करता है तो आस्ति की लागत सामान्यतया वैसे ही मानी

जाएगी जैसे कि आस्ति का निर्माण बिक्री के लिए हो [देखें लेखा मानक 2]। अतः, ऐसी लागतों का निर्धारण करते समय आंतरिक लाभों को घटाया जाता है। इसी प्रकार, स्वनिर्मित आस्ति के निर्माण के समय बेकार सामग्री, श्रम तथा अन्य संसाधनों की खर्च की गयी असामान्य राशियों को आस्ति की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। लेखा मानक 16, ऋण *लागतें,* स्वनिर्मित सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की स्वनिर्मित मद की अग्रणीत राशि में ब्याज की श्रेणी को एक घटक के रूप में मान्यता देने के लिए मानदण्ड स्थापित करता है।

24 धारक पादपों का लेखा ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे कि सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की स्व–निर्मित मदों का उसके प्रबंधन (मैनेजमैंट) द्वारा निश्चित तरीके अनुसार परिचालन के लिए आवश्यक स्थल व स्थिति में लाने से पहले किया जाता है। परिणामस्वरूप, इस मानक में 'निर्माण' के संदर्भ में उन कार्यकलापों को भी लिया जाएगा जो धारक पादपों की खेती के लिए आवश्यक हैं जो कि उन धारक पादपों को प्रबंधन द्वारा निश्चित तरीके के अनुसार कार्य करने की स्थिति से पहले होते हैं।

लागत का माप

25 किसी सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत, मान्यता (अभिज्ञान) तिथि को उसकी नकद कीमत के बराबर होती है। यदि भुगतान सामान्य ऋण शर्तों से आस्थगित होता है, तो समान नकद कीमत व कुल भुगतान के अंतर को ऋण अवधि के दौरान ब्याज के रूप में मान्यता दी जाती है बशर्ते उसे लेखा मानक 16 के अनुसार पूंजीकृत न किया गया हो।

26 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक या एक से अधिक मदों को गैर–मौद्रिक (आस्ति) आस्तियों अथवा मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों की संयुक्त आस्तियों के बदलने अधिग्रहीत किया जा सकता है। आगे की चर्चा एक गैर–मौद्रिक आस्ति को दूसरी गैर–मौद्रिक आस्ति के साथ विनिमय से अधिग्रहीत करने पर की गई है, परन्तु यह पिछले वाक्य में दिए गए सभी विनिमयों पर भी लागू है। ऐसी सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत उचित मूल्य मापी जाती है, बशर्ते (क) विनिमय द्वारा लेन–देन में वाणिज्यिक सारत्व का अभाव न हो; अथवा (ख) प्राप्त की गई आस्ति (आस्तियों) अथवा प्राप्त परित्यक्त (छोड़ी गयी) आस्ति (आस्तियों) का उचित मूल्य विश्वसनीय रूप से माप योग्य नहीं हो। अधिग्रहीत मद (मदों) की लागत का निर्धारण इसी प्रकार किया जाता है, भले ही प्रतिष्ठान परित्यक्त (छोड़ी गयी) आस्ति को तत्काल अमान्य न कर पाए। यदि अधिग्रहीत मद (मदों) की लागत का माप उचित मूल्य पर न हो पाए, तो उसकी (उनकी) लागत का माप बदले में दी गयी आस्ति की अग्रणीत राशि पर किया जाएगा।

27 किसी विनिमय द्वारा लेन–देन में क्या कोई वाणिज्यिक सारत्व है या नहीं इसका निर्धारण करने के लिए एक प्रतिष्ठान इस बात पर विचार करता है कि लेनदेन से उसके भावी नकदी प्रवाह पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा। विनिमय द्वारा लेनदेन में वाणिज्यिक सारत्व होता है, यदि :

(क) प्राप्त की गयी आस्ति का नकदी प्रवाह विन्यास (जोखिम, समय तथा राशि) अन्तरित की गयी आस्ति से भिन्न हो;

(ख) विनिमय के परिणामस्वरूप लेन–देन परिवर्तन द्वारा प्रतिष्ठान के परिचालन के भाग के प्रतिष्ठान विशिष्ट मूल्य में परिवर्तन हुआ हो;

(ग) उपर्युक्त (क) अथवा (ख) में अंतर विनिमय की गई आस्तियों के उचित मूल्य के संबंध में महत्त्वपूर्ण हो।

यह निर्धारित करने के प्रयोजन से कि एक विनिमय लेनदेनों में क्या कोई वाणिज्यिक सारत्व है, लेनदेन के परिवर्तनों से प्रतिष्ठान के परिचालनों के भाग का प्रतिष्ठान विशिष्ट मूल्य करोपरान्त नकदी प्रवाहों के रूप में प्रदर्शित होगा। कुछ मामलों में इन विश्लेषणों का परिणाम विस्तृत गणनाएं किए बिना भी स्पष्ट हो सकता है।

28 एक आस्ति का उचित मूल्य तब विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, यदि (क) तर्कसंगत उचित मूल्य मापों के परास (रेंज) में परिवर्तनशीलता उस आस्ति के संबंध में महत्त्वपूर्ण न हो ; अथवा (ख) परास (रेंज) के अंदर, विभिन्न प्राक्कलनों की संभाव्यताओं का तर्कसंगत निर्धारण उचित मूल्य के माप के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। यदि एक प्रतिष्ठान प्राप्त आस्ति या परित्यक्त आस्ति के उचित मूल्य को विश्वसनीय रूप से माप सकता है तो परित्यक्त आस्ति का उचित मूल्य प्राप्त आस्ति की लागत के माप के लिए प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते जब प्राप्त आस्ति का उचित मूल्य अपेक्षया अधिक स्पष्ट न हो।

29 जब एक समेकित कीमत पर सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की अनेक मदें खरीदी जाती हैं, प्रतिफल को विभिन्न मदों के अधिग्रहण की तिथि को उनके उचित मूल्य के आधार पर विभाजित किया जाता है। यदि अधिग्रहीत मदों का उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से न हो सकता हो तो इन मूल्यों को सक्षम मूल्यांकनकर्त्ताओं (वैल्यूरों) द्वारा निर्धारित उचित आधार पर प्राक्कलित किया जाता है।

30 वित्तीय पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा धारित सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मद की लागत लेखा मानक 19, *पट्टे* के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

31 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि को सरकारी अनुदानों द्वारा लेखा मानक 12, *सरकारी अनुदानों के लिए लेखा,* के अनुसरण में कम किया जा सकता है।

मान्यता के पश्चात् माप

32 एक प्रतिष्ठान को अपनी लेखा नीति के रूप में अनुच्छेद 33 के अनुसार लागत मॉडल या अनुच्छेद 34 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन मॉडल का चयन करना चाहिए और उसे अपनी इस लेखा–नीति को सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सम्पूर्ण श्रेणी पर लागू करना चाहिए।

लागत मॉडल

33 एक आस्ति के रूप में मान्यता (अभिज्ञान) के पश्चात् सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद को संचित मूल्यह्रास (अवक्षयण) और संचित क्षतिग्रस्तता (ह्रास) हानियां घटाकर इसकी लागत पर अग्रणीत (कैरी) करना चाहिए।

पुनर्मूल्यांकन मॉडल

34 एक आस्ति के रूप में मान्यता के पश्चात् सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद जिसके उचित मूल्य का माप विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है, उसे पुनर्मूल्यांकित राशि पर अग्रणीत किया जाना चाहिए जो परवर्ती संचित मूल्यह्रास और परवर्ती संचित क्षतिग्रस्तता हानियां घटाने के बाद पुनर्मूल्यांकन की तिथि को उचित मूल्य है। पुनर्मूल्यांकन पर्याप्त नियमितता से किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्रणीत राशि उस राशि से ज्यादा भिन्न न हो जो तुलनपत्र की तिथि को उचित मूल्य का प्रयोग करते हुए निर्धारित की जाती है।

35 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों का उचित मूल्य आमतौर पर बाजार–आधारित उस साक्ष्य द्वारा निर्धारित किया जाता है जो सामान्यतया व्यवसायिक रूप से योग्यताप्राप्त मूल्यांकनकर्त्ताओं (वैल्यूर्स) द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होता है।

36 यदि उचित मूल्य का बाजार–आधारित साक्ष्य इस कारण न हो कि सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की ऐसी विशिष्ट प्रकृति है और मद को बहुत–ही कम बेचा जाता है, निरंतर व्यवसाय के भाग को छोड़कर, एक प्रतिष्ठान को आय दृष्टिकोण का प्रयोग कर उचित मूल्य का प्राक्कलन अनुमान करने की आवश्यकता पड़ सकती है (उदाहरणस्वरूप, बट्टागत नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों पर आधारित) अथवा एक मूल्यह्रासित प्रतिस्थापन लागत दृष्टिकोण जिसका उदेश्य एक मद के अधिग्रहण या निर्माण की चालू लागत का वास्तविक प्राक्कलन करना है जिसकी वर्तमान मद की तरह ही सेवा संभाव्यता है।

37 पुनर्मूल्यांकित सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के उचित मूल्य के पुनर्मूल्यांकन की आवृत्ति उसके उचित मूल्यों में परिवर्तनों पर निर्भर करती है। जब पुनर्मूल्यांकित आस्ति का उचित मूल्य अग्रणीत मूल्य से बहुत भिन्न हो, तो उसका दोबारा पुनर्मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कुछ मदों के उचित मूल्य में अस्थिर तथा महत्त्वपूर्ण बदलाव होते हैं, अतः उनका वार्षिक पुनर्मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक है। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की ऐसी मदें जिनके उचित मूल्य में मामूली बदलाव होते हों, उनका पुनर्मूल्यांकन इतनी शीघ्रता से कराया जाना आवश्यक नहीं हैं। बल्कि, ऐसी मदों का तीन या पांच वर्ष के अंतराल पर पुनर्मूल्यांकन कराया जाना आवश्यक हो सकता है।

38 जब सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी एक मद का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो पुनर्मूल्यांकित राशि में आस्ति की अग्रणीत राशि को समायोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की तिथि को निम्नलिखित में से किसी एक तरीके अनुसार आस्ति का प्रतिपादन किया जाता है :

(क) सकल अग्रणीत राशि को इस तरह समायोजित किया जाएगा, जो आस्ति की अग्रणीत राशि के पुनर्मूल्यांकन के अनुरूप हो। उदाहरणस्वरूप सकल अग्रणीत राशि प्रलक्षनीय (दृष्टिगोचर) बाजार आंकड़ों के संदर्भ में पुनर्कथित की जा सकती है या इसे अग्रणीत राशि में परिवर्तन के समानुपात में पुनर्कथित किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकन की तिथि पर संचित मूल्यह्रास, संचित क्षतिग्रस्तता हानियों को ध्यान में रखकर सकल अग्रणीत राशि व आस्ति की अग्रणीत राशि के बीच अन्तर के समान समायोजित किया जाता है; अथवा

(ख) संचित मूल्यह्रास को आस्ति की सकल अग्रणीत राशि से समाप्त किया जाता है।

संचित मूल्यह्रास के समायोजन की राशि अग्रणीत राशि की वृद्धि या कमी का भाग बनती है और इसका लेखा अनुच्छेद 42व 43 के अनुसार किया जाता है।

39 यदि सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की संपूर्ण श्रेणी का, जिससे वह मद संबंधित है, पुनर्मूल्यांकित किया जाना चाहिए।

40 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की श्रेणी में उन आस्तियों का समूह होता है जिनकी प्रकृति मिलती–जुलती होती है और एक प्रतिष्ठान में प्रयोग भी एक तरह से ही होता है। अलग–अलग श्रेणियों के उदाहरण इस प्रकार हैं :

(क) भूमि

(ख) भूमि एवं भवन

(ग) मशीनरी

(घ) जलयान
(ड) वायुयान
(च) मोटर—वाहन
(छ) फर्नीचर व फिक्सचर
(ज) कार्यालय उपस्कर एवं
(झ) धारक पादप

41 आस्तियों का चुनिन्दा पुनर्मूल्यांकन और वित्तीय विवरणों की उन राशियों की रिपोर्टिंग से बचने के लिए जो कि भिन्न—भिन्न तिथियों की लागतों व मूल्यों के मिश्रण, सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक श्रेणी की मदों का पुनर्मूल्यांकन एक—साथ किया जाता है। फिर भी, एक श्रेणी की आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन रोलिंग आधार पर भी किया जा सकता है बशर्ते उन आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन लघु अवधि में पूरा कर लिया जाए तथा पुनर्मूल्यांकन अद्यतन भी बना रहे।

42 पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप एक आस्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन अधिशेष शीर्ष के अर्न्तगत स्वामियों के हितों में सीधे ही जमा (क्रेडिट) किया जाना चाहिए। लेकिन, वृद्धि को लाभ—हानि विवरण में मान्यता उस सीमा तक दी जानी चाहिए जितनी की वह उस आस्ति की लाभ—हानि विवरण में पूर्व में मान्य मूल्यांकन में कमी का विपर्याय (उलटाव) हो।

43 पुनर्मूल्यांकन के पारिणामस्वरूप आस्ति की अग्रणीत राशि में कमी को लाभ—हानि विवरण में चार्ज किया जाना चाहिए। फिर भी, कमी का पुनर्मूल्यांकन अधिशेष शीर्ष के अर्न्तगत स्वामियों के हितों में सीधे ही उस सीमा तक नामे डाला जाना चाहिए जितना कि उस आस्ति के पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में जमा (क्रेडिट) शेष विद्यमान है।

44 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद के संबंध में स्वामियों के हितों में सम्मिलित पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को आस्ति की गैर—मान्यता पर राजस्व प्रतिरक्षित राशि में अन्तरित किया जा सकता है। जब आस्ति को वापस किया जाता है या उसका निपटान किया जाता है तो अधिशेष की संपूर्ण राशि का अन्तरण किया जा सकता है। लेकिन जब प्रतिष्ठान द्वारा आस्ति का उपयोग किया जाता है तो अधिशेष की कुछ ही राशि का अन्तरण किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, अन्तरित अधिशेष की राशि, आस्ति की पुनर्मूल्यांकित अग्रणीत राशि पर आधारित मूल्यह्रास की राशि और मूल लागत पर आधारित मूल्यह्रास की राशि का अन्तर होगा। पुनर्मूल्यांकन अधिशेष से राजस्व प्रतिरक्षित निधि में अन्तरण लाभ—हानि विवरण के द्वारा नहीं किये जाते हैं।

मूल्यह्रास (अवक्षयण)

45 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद का प्रत्येक भाग जिसकी लागत मद की कुल लागत के परिप्रेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण हो उसका मूल्यह्रास अलग—से लगाया जाना चाहिए।

46 एक प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद के प्रमुख भागों के प्रारंभिक मान्य राशियों का आबंटन करता है और प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग—अलग लगता है। उदाहरणस्वरूप, एक वायुयान, चाहे वह अपने स्वामित्व में है या वित्त पट्टे के अर्न्तगत है, एअरफ्रेम व इंजनों का मूल्यह्रास अलग—अलग लगाना उचित होगा।

47 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद के महत्त्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवनकाल तथा मूल्यह्रास की पद्धति उसी मद के दूसरे महत्त्वपूर्ण भाग के जीवन काल व मूल्यह्रास पद्धति जैसी ही हो सकती है ऐसे भागों का मूल्यह्रास प्रभार निर्धारित करने के लिए उनका समूह बनाया जा सकता है।

48 प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद के कुछ भागों का जहां अलग—से मूल्यह्रास लगाता है वहीं वह उस मद के शेष भाग का भी अलग से मूल्यह्रास लगाता है। मद के शेष भाग में वे भाग होते हैं जिनका व्यक्तिगत तौर पर कोई महत्त्व नहीं होता। यदि प्रतिष्ठान इन भागों के लिए अलग—अलग प्रत्याशा है तो शेष भाग का मूल्यह्रास लगाने के लिए सन्निकटता तकनीकें आवश्यक हो सकती हैं जो उसके भागों की उपभोग प्रणाली तथा/अथवा उपयोगी जीवनकाल का सही—सही चित्रण करें।

49 एक प्रतिष्ठान एक मद के उन भागों के अलग से मूल्यह्रास लगाने के लिए चयन कर सकता है जिनकी लागत मद की कुल लागत के परिप्रेक्ष्य में अधिक नही होती है।

50 प्रत्येक अवधि के मूल्यह्रास प्रभार को लाभ—हानि विवरण में मान्यता दी जानी चाहिए है बशर्ते किसी अन्य आस्ति की अग्रणीत राशि में यह सम्मिलित न हो।

51 एक अवधि के मूल्यह्रास प्रभार को सामान्यतया लाभ—हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। परंतु कभी—कभी आस्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों को अन्य आस्तियों की उत्पत्ति में समाहित (एब्जार्ब) कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में मूल्यह्रास प्रभार अन्य आस्ति की लागत का भाग बन जाता है तथा उसे इसकी अग्रणीत राशि में शामिल कर लिया जाता है उदाहरणतया, विनिर्माण करने वाले संयंत्र तथा उपस्कर के मूल्यह्रास को सूचीबद्ध सामान (इंवेन्ट्री) में परिवर्तन की लागत में शामिल करना (देखें लेखा मानक 2) । इसी प्रकार, विकास गतिविधियों में प्रयुक्त सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के मूल्यह्रास को लेखा मानक 26, *अमूर्त आस्तियां* के अनुसरण में मान्य अमूर्त आस्ति की लागत में शामिल किया जा सकता है।

मूल्यह्रास–योग्य राशि तथा मूल्यह्रास अवधि

52 एक आस्ति की मूल्यह्रासयोग्य राशि उसके उपयोगी जीवनकाल के दौरान एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जानी चाहिए।

53 एक आस्ति के अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवनकाल की कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में एक बार समीक्षा करनी चाहिए और यदि गत प्राक्कलनों से प्रत्याशाएं भिन्न पायी जाती हैं, तो परिवर्तन (परिवर्तनों) का लेखा एक लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के रूप में मानक लेखा मानक 5, 'अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्वावधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन' के अनुसरण में करना चाहिए।

54 मूल्यह्रास को मान्यता तभी दी जाती है जब आस्ति का उचित मूल्य अग्रणीत राशि से अधिक हो और यह मान्यता तब तक दी जाती है जब तक आस्ति का अवशिष्ट मूल्य उसकी अग्रणीत राशि से अधिक नहीं हो जाता। आस्ति की मरम्मत और रखरखाव इसके मूल्यह्रास की आवश्यकता से इन्कार नहीं करता।

55 आस्ति की मूल्यह्रास राशि का निर्धारण उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर किया जाता है।

56 एक आस्ति का अवशिष्ट मूल्य बढ़कर इसकी अग्रणीत राशि के बराबर अथवा उससे अधिक हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो आस्ति का मूल्यह्रास प्रभार शून्य होता है। यह तब तक शून्य ही रहेगा जब तक कि इसका अवशिष्ट मूल्य घट कर अग्रणीत राशि से कम नहीं हो जाता।

57 एक आस्ति का मूल्यह्रास तभी प्रारंभ होता है जब आस्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, यानि जब वह प्रबंधन द्वारा निश्चित ढंग के अनुसार परिचालनयोग्य आवश्यक स्थान व स्थिति में होती है। एक आस्ति का मूल्यह्रास लगाना उस तिथि से बन्द हो जाता है, जब आस्ति सक्रिय प्रयोग से बंद होकर निपटान के लिए रखी जाती है या फिर उस तिथि से जब उसे अमान्य किया जाता है, इसमें जो भी तिथि पहले हो। अतः मूल्यह्रास लगाया जाना तब बंद नहीं होता जब आस्ति का प्रयोग न हो या उसे सक्रिय प्रयोग से हटा लिया गया हो (लेकिन यह निपटान के लिए नहीं रखी जाती) बशर्ते आस्ति पूरी तरह से मूल्यह्रासित न हो जाए। यद्यपि मूल्यह्रास की प्रयोग विधियों के अर्न्तगत मूल्यह्रास प्रभार शून्य हो सकता है जबकि कोई उत्पादन न भी हो।

58 प्रतिष्ठान को किसी आस्ति में अन्तर्निहित भावी आर्थिक लाभ मुख्य रूप से उसके उपयोग द्वारा प्राप्त होते हैं। परंतु, अन्य कारणों से, जैसे कि, तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से अप्रचलित होने और टूट–फूट के परिणामस्वरूप प्रयोग में न रहने से आस्ति से जो आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सकते थे, वे कम हो जाते हैं। अतः आस्ति के उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित सभी घटकों पर विचार किया जाता है :

(क) आस्ति का प्रत्याशित उपयोग। उपयोग का मूल्यांकन आस्ति की प्रत्याशित क्षमता अथवा भौतिक उत्पादन पर निर्भर करता है;

(ख) प्रत्याशित भौतिक टूट–फूट जो कि उसके परिचालन कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि, आस्ति का उपयोग कितनी शिफ्टों के लिए किया जाना है, उसकी मरम्मत तथा रख–रखाव का क्या कार्यक्रम है और जब आस्ति प्रयोग में नहीं है तो उसकी देख–रेख व रख–रखाव कैसे होगा;

(ग) उत्पादन में परिवर्तन अथवा सुधार होने अथवा उत्पाद की बाजार की मांग में परिवर्तन होने अथवा सेवा में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप तकनीकी अथवा वाणिज्यिक अप्रयुक्तता। एक आस्ति का प्रयोग करते हुए तैयार की गयी एक मद की विक्रय कीमत में प्रत्याशित भावी कटौतियां, आस्ति की तकनीकी व वाणिज्यिक अप्रयुक्तता की प्रत्याशा का संकेत देती हैं जो बदले में आस्ति में सन्निहित भावी आर्थिक लाभों की कटौती को प्रदर्शित कर सकती है।

(घ) आस्ति के प्रयोग की कानूनी अथवा इसी तरह की अन्य सीमाएं, जैसे की संबंधित पट्टों (लीजों) की तिथियों का समापन।

59 किसी आस्ति का जीवनकाल प्रतिष्ठान के लिए उसकी प्रत्याशित उपयोगिता के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। प्रतिष्ठान की आस्ति प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट अवधि के बाद अथवा भावी आर्थिक लाभों के निर्दिष्ट अंश तक उपभोग के बाद आस्ति के निपटान का निर्णय लिया जा सकता है। अतः आस्ति का उपयोगी जीवनकाल उसके आर्थिक जीवनकाल से कम हो सकता है। किसी आस्ति के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन का विषय विवेक–सम्मत है, जो कि प्रतिष्ठान के उसी प्रकार की आस्तियों के प्रयोग के अनुभव के आधार पर होता है।

60 भूमि तथा भवन पृथकयोग्य आस्तियां हैं तथा उनका लेखा भी पृथक रूप से किया जाता है, भले उन्हें एक–साथ अधिग्रहीत क्यों न किया गया हो। कुछेक अपवादों को छोड़कर, जैसे कि, उत्खनन तथा वह स्थान जिसका प्रयोग फिलिंग के लिए किया जाता है, भूमि का असीमित उपयोगी जीवनकाल होता है, अतः उसका मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता है। भवनों का उपयोगी जीवनकाल सीमित होता है, अतः वे मूल्यह्रासयोग्य आस्तियां हैं, जिस भूमि पर भवन बना हो उसके मूल्य में वृद्धि हो तो उस वृद्धि का प्रभाव भवन का मूल्यह्रास राशि निर्धारित करने पर नहीं पड़ता है।

61 यदि भूमि की लागत में स्थान (साइट) को विखंडित करने, हटाने तथा पुनर्बहाली (पूर्व की स्थिति में लाने) की लागत भी शामिल हो तो इन लागतों से अर्जित लाभ की अवधि के दौरान भू–आस्ति के ऐसे भाग का मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए। कुछ मामलों में, भूमि का स्वयं सीमित उपयोगी जीवनकाल हो सकता है। ऐसी स्थिति में, उसका मूल्यह्रास इस ढ़ंग से लगाया जाता है जो इससे होने वाले लाभों को प्रकट करता है।

मूल्यह्रास विधि

62 अपनाई गई मूल्यह्रास विधि द्वारा उस पद्धति को प्रदर्शित करना चाहिए जिससे आस्ति के भावी आर्थिक लाभ प्रतिष्ठान द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिए प्रत्याशित हैं।

63 एक आस्ति पर जो भी मूल्यह्रास विधि लागू की जाती है उसकी कम से कम प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जानी चाहिए और आस्ति में अन्तर्निहित भावी आर्थिक लाभों के प्रत्याशित उपभोग के तरीके में यदि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो तो मूल्यह्रास विधि में परिवर्तन कर देना चाहिए ताकि परिवर्तित तरीका परीलक्षित हो सके। ऐसे परिवर्तन का लेखा मानक 5 के अनुसरण में प्राक्कलन में परिवर्तन के तौर पर लेखा किया लाना चाहिए।

64 एक आस्ति के मूल्यह्रास योग्य राशि के आबंटन के लिए उसके उपयोगी जीवनकाल के दौरान एक व्यवस्थित ढंग के आधार पर भिन्न–भिन्न मूल्यह्रास विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इन विधियों में सीधी रेखा विधि, घटता शेष विधि और उत्पादन इकाई विधि सम्मिलित हैं। सीधी रेखा विधि में मूल्यह्रास उपयोगी जीवनकाल में एक–जैसा लगाया जाता है यदि, आस्ति का अवशिष्ट मूल्य परिवर्तित न होता हो। घटता शेष विधि में उपयोगी जीवन के दौरान घटते क्रम में मूल्यह्रास लगाया जाता है। उत्पादन इकाई विधि में मूल्यह्रास प्रत्याशित प्रयोग या उत्पादन के आधार पर चार्ज किया जाता है। एक प्रतिष्ठान उस विधि का चयन करता है जो आस्ति में सन्निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के प्रत्याशित ढंग को बहुत नजदीक से प्रदर्शित करे। उस विधि का प्रयोग समान रूप से एक अवधि से दूसरी अवधि तक जारी रहता है बशर्ते उन भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के प्रत्याशित ढंग में कोई परिवर्तन न हो अथवा आस्ति के उपभोग के सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए विधान (कानून) के अनुसरण में विधि में कोई परिवर्तन न हो।

65 एक मूल्यह्रास विधि उपयुक्त नहीं है, जो उस राजस्व पद आधारित है, जो गतिविधि से उत्पन्न होता है जिसमें एक आस्ति का प्रयोग किया जाता है, एक आस्ति के प्रयोग सहित गतिविधि द्वारा उत्पन्न राजस्व, सामान्यतया उन कारकों को प्रदर्शित करता है जो आस्ति के आर्थिक लाभों के उपभोग से भिन्न हैं। उदाहरणस्वरूप, राजस्व अन्य निविष्टियों (इन्पुट्स) व प्रक्रियाओं, बिक्री गतिविधियों और बिक्री मात्राओं व कीमतों में परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होता है। राजस्व का कीमत घटक मुद्रास्फीति से प्रभावित हो सकता है, जिसका आस्ति के उपभोग के तरीके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

वर्तमान विस्थापन, पुनर्बहाली और अन्य दायित्वों में परिवर्तन

66 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में परिवर्तन इसके अधिग्रहण या निर्माण के बाद दायित्वों में परिवर्तनों के कारण, कीमत समायोजन भुल्कों में परिवर्तन, विखंडन, हटाना, पुनर्बहाली और इसी प्रकार के तत्वों के लिए दी जाने वाली राशियों के प्रारंभिक प्राक्कलनों में परिवर्तनों से हो सकते हैं और अनुच्छेद 16 के अनुसरण में आस्ति की लागत में सम्मिलित हो सकते हैं। लागत में इस प्रकार के परिवर्तनों का लेखा निम्नलिखित अनुच्छेदों 67–68 के अनुसरण में किया जाना चाहिए।

67 यदि संबंधित आस्ति का माप लागत मॉडल का प्रयोग करते हुए किया गया है:

(क) निम्नलिखित (ख) के अधीन, दायित्व में परिवर्तनों को वर्तमान अवधि में संबंधित आस्ति की लागत में जोड़ा या घटाया जाना चाहिए।

(ख) आस्ति की लागत में से घटायी गयी राशि इसकी अग्रणीत राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।यदि दायित्व में कमी आस्ति की अग्रणीत राशि से अधिक हो जाती है तो उस वृद्धि लाभ को लाभ–हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जानी चाहिए।

(ग) यदि समायोजन से आस्ति की लागत में वृद्धि होती है तो प्रतिष्ठान को यह विचार करना चाहिए कि क्या यह आस्ति की उस नई अग्रणीत राशि का संकेत है जिसकी पूरी तरह से वसूली नहीं हो सकती है। यदि इस प्रकार का संकेत है, तो प्रतिष्ठान का आस्ति की क्षतिग्रस्तता की जांच वसूली योग्य राशि का प्राक्कलन करके करनी चाहिए और किसी भी क्षतिग्रस्तता हानि का लेखा लेखा मानक 28 के अनुसरण में करना चाहिए।

68 यदि संबंधित आस्ति का माप पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग करते हुए किया गया है :

(क) दायित्व मे परिवर्तन उस आस्ति पर पहले मान्य पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में वृद्धि या कमी में निम्नलिखित रूप में बदलाव कर देते हैं, ताकि:

(i) दायित्व में कमी (नीचे (ख) के अधीन) स्वामियों के हित में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में सीधे जमा की जाएगी लेकिन उसे छोड़कर कि यह लाभ–हानि विवरण में उस हद तक मान्य होनी चाहिए कि यह आस्ति पर उस पुनर्मूल्यांकन कमी को उल्टा देती हैं जो पहले लाभ–हानि विवरण में मान्य थी।

(ii) दायित्व में वृद्धि लाभ–हानि विवरण में मान्य होगी लेकिन उसे छोड़कर जो स्वामियों के हित में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को उस हद तक सीधे घटा देनी चाहिए जितना उस आस्ति के पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में कोई जमा शेष विद्यमान हो।

(ख) इस स्थिति में यदि आस्ति को लागत मॉडल पर अग्रणीत किया जाता है और दायित्व में कमी उस अग्रणीत राशि से बढ जाती है तो उस वृद्धि को लाभ–हानि विवरण में तत्काल मान्यता दी जानी चाहिए।

(ग) दायित्व में परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आस्ति का पुनर्मूल्यांकन इसलिए किया जाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अग्रणीत राशि उस राशि से बहुत अधिक भिन्न नहीं है, जो तुलनपत्र की तिथि को उचित मूल्य के प्रयोग द्वारा निश्चित की जाती है। इस प्रकार का पुनर्मूल्यांकन लाभ–हानि विवरण और उपर्युक्त (क) के अधीन स्वामियों के हित में ले जाने वाली राशियों के निर्धारण में विचारार्थ लिया जाना चाहिए। यदि पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है, तो उस श्रेणी की सभी आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

69 आस्ति की समायोजित मूल्यह्रास योग्य राशि का मूल्यह्रास इसके उपयोगी जीवन के दौरान लगाया जाएगा। अतः जब एक बार संबधित आस्ति अपने उपयोगी जीवन के अंत तक पहुच जाती है, दायित्व में सभी परिवर्ती परिवर्तन वैसे ही लाभ–हानि विवरण में मान्य होगे जैसे–जैसे वे घटित होते हैं। यह लागत मॉडल और पुनर्मूल्यांकन मॉडल दोनों में लागू होता है।

क्षतिग्रस्तता (ह्रास)

70 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कोई मद क्षतिग्रस्त (ह्रासित) है, एक प्रतिष्ठान लेखा मानक 28, *आस्तियों का ह्रास* का प्रयोग करता है। लेखा मानक 28 यह स्पष्ट करता है कि एक प्रतिष्ठान किस प्रकार आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा करता है, वह किस प्रकार एक आस्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करता है और वह कब एक क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता देता है या उसका उलटाव करता है।

क्षतिग्रस्तता की प्रतिपूर्ति

71 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की उन मदों पर जो क्षतिग्रस्त हो गई हों खो गई हों अथवा छोड़ी गई हों उन पर तृतीय पक्षों से प्रतिपूर्ति जब भी प्राप्य होती है लाभ–हानि विवरण में सम्मिलित की जानी चाहिए।

72 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों की क्षतिग्रस्तता या हानियों से तृतीय पक्षों से संबंधित दावे या प्रतिपूर्ति के भुगतान और परवर्ती (बाद की) किसी खरीद या निर्माण द्वारा आस्तियों का प्रतिस्थापन पृथक आर्थिक घटनाएं हैं और उनका लेखा भी निम्नलिखित अनुसार अलग–अलग किया जाता है।

(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों की क्षतिग्रस्तता की मान्यता की लेखा मानक 28 के अनुसरण में की जाती है;

(ख) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर का उपयोग समाप्त हो जाने अथवा उसका निपटान कर देने पर इस मानक के अनुसरण में अमान्य किया है;

(ग) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों के क्षतिग्रस्त होने, खोन अथवा छोड़ने से हुए नुकसान की या तृतीय पक्ष से प्राप्य होती है, लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए सम्मिलित की जाती है; और

(घ) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों की पुनर्भण्डारण, खरीद या निर्माण की लागत का निर्धारण इस मानक के अनुसरण में किया जाता है।

निवृत्तियां (वापसियां)

73 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदें जो सक्रिय प्रयोग से निवृत्त हो चुकी हों निपटान के लिए धारित हैं उन्हें अग्रणीत राशि और निवल वसूलयोग्य मूल्य, इनमें जो भी कम है, उस पर वर्णित किया जाना चाहिए। इस संबंध में से कोई भी अपलेखन लाभ—हानि विवरण में तत्काल मान्य किया जाना चाहिए।

अमान्यता

74 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद को अग्रणीत राशि निम्नलिखित पर अमान्य की जानी चाहिए:

(क) निपटान पर; या

(ख) जब उसके उपयोग या निपटान से भावी आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो।

75 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद की अमान्यता से उत्पन्न होने वाला कोई लाभ या हानि उसी समय लाभ—हाति विवरण में सम्मिलित किया जाना चाहिए जब वह मद अमान्य की जाती है (बशर्ते लेखा मानक 19 पट्टे के अनुसार बिक्री और वापसी पट्टें पर अन्यथा अपेक्षा न हो) । लाभों (गेन्ज) को लेखा मानक 9, राजस्व अभिज्ञान में यथापरिभाषित राजस्व के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

76 लेकिन, एक प्रतिष्ठान अपनी सामान्य गतिविधियों के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की उन मदों को नेमी तौर पर (रूटीन) में बेचता है जो उसने अन्य को किराये पर देने के लिए रखी है, उसे चाहिए कि वह इन मदों को उनकी अग्रणीत राशि पर सूचीबद्ध माल (इन्वेंट्रीज) में तब अन्तरित कर दे जब वह उन्हें किराये पर देने को बंद करके बिक्री के लिए धारित करता है। इस प्रकार की आस्तियों की बिक्री से प्राप्त राशियां लेखा मानक 9, राजस्व (अभिज्ञान) के अनुसार राजस्व में मान्य (अभिज्ञात) होंगी।

77 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद का निपटान कई प्रकार से किया जा सकता है (जैसेकि बिक्री, वित्त पट्टे या दान द्वारा)। निपटान की तिथि निर्धारित करने के लिए, एक प्रतिष्ठान वस्तुओं को बिक्री के प्राप्त राजस्व की मान्यता के लिए लेखा मानक 9 में दिये गये मानदंड का प्रयोग करता है। मानक 9, बिक्री और वापसी पट्टे (लीजबैंक) द्वारा निपटान पर लागू होता है।

78 अनुच्छेद 7 में दिये गये मान्यता सिद्धान्त के अधीन यदि एक प्रतिष्ठान सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की अग्रणीत राशि में मद के भाग की प्रतिस्थापना की लागत के रूप में मान्यता देता है, वह प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को अमान्य करता है भले प्रतिस्थापित भाग का मूल्यह्रास (अवक्षयण) अलग—से क्यों न लगाया गया हो। यदि प्रतिष्ठान के लिए प्रतिस्थापित भाग की अग्रणीत राशि का निर्धारण करना व्यवहार्य न हो तो यह संकेतक के रूप में प्रतिस्थापिन लागत का प्रयोग कर सकता है जो इस समय थी जब इसे अधिग्रहीत या निर्मित किया गया था।

79 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की गैर—मान्यता से उद्भूत लाभ या हानि का शुद्ध निपटान प्राप्तियों, यदि कोई है, तथा मद की अग्रणीत राशि के बीच अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए।

80 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद के निपटान से प्राप्य प्रतिफल राशि की मान्यता लेखा मानक 9 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसरण में की जानी चाहिए।

प्रकटन

81 वित्तीय विवरणों को सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करना चाहिए:—

(क) सकल अग्रणीत राशि के निर्धारण के लिए प्रयुक्त माप आधार (जैसेकि लागत मॉडल या पुनर्मूल्यांकन मॉडल);

(ख) प्रयुक्त मूल्यह्रास विधियां;

(ग) उपयोगी जीवन या प्रयुक्त मूल्यह्रास दरें। यदि उपयोगी जीवन या प्रयुक्त मूल्यह्रास दरें प्रतिष्ठान के अधिशासी विधान कानून में निर्धारित से भिन्न हो, तो इस तथ्य का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाए;

(घ) अवधि के आरंभ और अंत में, सकल अग्रणीत राशि और संचित मूल्यह्रास (संचित क्षतिग्रस्तता हानियों सहित); और

(ङ) अवधि के आरंभ और अंत में, अग्रणीत राशि का मिलान निम्नलिखित को प्रदर्शित करते हुए :—

(i) अभिवृद्धियां;

(ii) सक्रिय प्रयोग से निवृत (हटायी गयीं) और निपटान के लिए धारित आस्तियां;

(iii) व्यवसायिक संयोजनों के माध्यम से अधिग्रहण;

(iv) अनुच्छेदों 34, 42 व 43 के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकनों से और लेखा मानक 28, के अनुसार पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में सीधे मान्य या उल्टायी गयी क्षतिग्रस्तता हानियों के परिणामस्वरूप वृद्धियां या कमियां;

(v) लेखा मानक 28 के अनुसरण में लाभ–हानि विवरण में मान्य क्षतिग्रस्तता हानियां;

(vi) लेखा मानक 28, के अनुसरण में लाभ–हानि विवरण में उलटायी गयी क्षतिग्रस्तता हानियां;

(vii) मूल्यह्रास;

(viii) लेखा मानक 11, 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव' के अनुसरण में गैर– अभिन्न विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के रूपान्तरण से उत्पन्न निवल विनिमय अंतर; और

(ix) अन्य परिवर्तन।

82 वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित का प्रकटन भी करना चाहिए:

(क) हक (टाइटल) पर प्रतिबंधों का आस्तित्व व राशियाँ तथा दायित्वों के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक (गिरवी) रखी गई सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर;

(ख) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद के निर्माण के दौरान इसकी अग्रणीत राशि में मान्य व्यय की राशि;

(ग) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधिग्रहण की अनुबंधात्मक प्रतिबद्धताओं की राशि;

(घ) यदि लाभ–हानि विवरण के प्रमुख भाग में इसे अलग–से प्रकट नहीं किया गया है तो सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की उन मदों के लिए से प्राप्त तृतीय पक्षों से क्षतिपूर्ति की राशि जो क्षतिग्रस्त हो गयी हों, खो गयी हों या छोड़ी गयी हों और उस राशि को लाभ–हानि विवरण में सम्मिलित किया हो ;

(ड़) सक्रिय प्रयोग से हटायी गयी (निवृत) और निपटान के लिए धारित आस्तियों की राशि।

83 मूल्यह्रास विधि का चयन और आस्तियों के उपयोगी जीवन का प्राक्कलन, यह विषय विवेकपरक हैं। अतः अपनायी गयीं विधियां और प्राक्कलित उपयोगी जीवन या मूल्यह्रास दरों का प्रकटन वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को यह सूचना प्रदान करता हैं जिससे उन्हें प्रबंधन द्वारा चयनित नीतियों की समीक्षा करने और अन्य प्रतिष्ठानों के साथ विचारार्थ प्रतिष्ठन की तुलना करने के लिए मदद मिलती है। इसी प्रकार के कारणों से निम्नलिखित का प्रकटन भी आवश्यक है :

(क) एक अवधि के दौरान मूल्यह्रास, भले ही इसे लाभ–हानि विवरण में या अन्य आस्तियों की लागत के भाग में मान्यता दी गई हो या नही; और

(ख) अवधि के अंत में, संचित मूल्यह्रास

84 लेखा मानक 5 के अनुसरण में, एक प्रतिष्ठान लेखा प्राक्कलन में एक ऐसे परिवर्तन की प्रकृति व प्रभाव को प्रकट करता है जिसका चालू अवधि के साथ–साथ पारवर्ती अवधियों में भी प्रभाव की आशा रहती है। सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए इस प्रकार का प्रकटन निम्नलिखित के संदर्भ में प्राक्कलनों में परिवर्तनों से उत्पन्न हो सकता है:

(क) अवशिष्ट मूल्य;

(ख) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विखंडन, हटाने या पुनर्बहाली मदों की प्रत्याशित लागतें;

(ग) उपयोगी जीवनकाल; और

(घ) मूल्यह्रास विधियां।

85 यदि सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदें पुर्नमूल्यांकित राशियों में वर्णित की जाती है तो निम्नलिखित कर भी प्रकटन किया जाएगा:

(क) पुर्नमूल्यांकन की प्रभावी तिथि;

(ख) क्या किसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्त्ता (वैल्यूर) को सम्मिलित किया गया था;

(ग) मदों के उचित मूल्य के प्राक्कलन में प्रयुक्त विधियां व महत्वपूर्ण पूर्वमान्यताएं;

IndiaCode

(घ) वह सीमा जिस तक मदों का उचित मूल्य सीधे सक्रिय बाजार में प्रलक्षनीय कीमतों के संदर्भ में या हाल के स्वतंत्र बाजार के लेनदेनों द्वारा निर्धारित की गई हैं या अन्य मूल्यांकन तकनीकों के प्रयोग द्वारा प्राक्कलित की गई है; और

(ड़) पुनर्मूल्यांकन अधिशेष, जिसमें अवधि के लिए परिवर्तन और शेयरधारकों के शेष के वितरण पर प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए।

86 लेखा मानक 28 के अनुसरण में एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 81 (ड) (iv), (v) और (vi) द्वारा अपेक्षित सूचना के अलावा क्षतिग्रस्त सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सूचना प्रकट करता है।

87 एक प्रतिष्ठान को निम्नलिखित सूचना के प्रकटन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

(क) अस्थाई रूप से निष्क्रिय सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की अग्रणीत राशि;

(ख) पूरी तरह से मूल्यह्रासित सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की सकल अग्रणीत राशि जो अभी भी प्रयोग में है;

(ग) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की प्रत्येक पुनर्मूल्यांकित श्रेणी के लिए अग्रणीत राशि जो लागत मॉडल के अधीन आस्तियों के अग्रणीत करने पर मान्य है;

(घ) सक्रिय प्रयोग से निवृत्त (हटायी गयी) और निपटान के लिए धारित न की गयी सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की अग्रणीत राशि।

संक्रमणकालील उपबंध

88 जहां एक प्रतिष्ठान ने पूर्व में एक व्यय को लाभ—हानि विवरण में मान्यता दी थी और जो अनुच्छेद 9 की अपेक्षाओं के अनुसार सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की निर्माण—परियोजना की लागत के एक भाग के रूप में सम्मिलित किये जाने के लिए पात्र हैं वह ऐसी परियोजना के लिए पूर्व प्रभाव से ऐसा कर सकता है। पूर्व प्रभाव से इस प्रकार की अपेक्षा के प्रयोग का प्रभाव राजस्व प्रारक्षित निधि में निबल—कर के रूप में मान्य होगा।

89 आस्तियों के लेनदेन के विनिमय में अधिग्रहीत सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद का प्रारंभिक माप विषयक अनुच्छेदों 26—28 की अपेक्षाएं, भविष्य में केवल उन लेन देनों में तभी प्रयोग में लायी जाएंगी जब यह मानक अनिवार्य हो जाता है।

90 जिस तिथि को यह मानक अनिवार्य हो जाता है, स्पेअर पार्ट्स जो लेखा मानक 2, सूचीबद्ध सामान का मूल्यांकन के अधीन अब तक माल सूची इन्वेंट्रीज के रूप में लिये जाते थे, उन्हें अब इस मानक की अपेक्षाओं के अनुसरण में पूंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, उन्हें इनकी संबंधित अग्रणीत राशियों पर पूंजीकृत किया जाएगा। इस मानक की अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रकार के पूंजीकृत स्पेअर पार्टों पर मूल्यह्रास भविष्य में उनके शेष उपयोगी जीवन के दौरान लगाया जाएगा।

91 पुनर्मूल्यांकन मॉडल विषयक अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 34—44 की अपेक्षाएं भविष्य में लागू की जाएगी। जिस तिथि को यह मानक अनिवार्य हो जाता है, यदि एक प्रतिष्ठान पुनर्मूल्यांकन मॉडल को अपनी लेखा नीति के रूप में नहीं अपनाता है लेकिन सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद मदों की अग्रणीत राशि किसी पूर्ववर्ती पुनर्मूल्यांकन को प्रदर्शित करती है तो वह उस मद की अग्रणीत राशि के विरूद्ध पुनर्मूल्यांकन प्रतिरक्षित निधि में बकाया राशि को समायोजित करेगा। फिर भी, मद की अग्रणीत राशि कभी भी अवशिष्ट मूल्य से कम नहीं होगी। उस मद की अग्रणीत राशि से अधिक पुनर्मूल्यांकन प्रतिरक्षित निधि की कोई भी अधिक बकाया राशि, राजस्व प्रतिरक्षित, निधि में समायोजित की जाएगी।"

IndiaCode

9. मूल नियम में ''अनुलग्नक'' में ''लेखा मानक'' शीर्ष के अधीन ''लेखा मानक (एएस) 13'' के स्थान पर निम्नलिखित लेखा मानक रखे जाएँगे, अर्थात् :–

''लेखा मानक 13

विनिधानों के लिए लेखा

(इस लेखा मानक में कुछ ***मोटे तिरछे*** *टाइप और कुछ सीधे टाईप में व्यवस्थित पैरा सम्मिलित है, जिनका समान प्राधिकार है। मोटे तिरछे टाइप में दिये गए पैरा मुख्य सिद्धांत उपदर्शित करते हैं। इस लेखा मानक को अधिसूचना के प्रति उपाबंध के भाग क में अतंर्विष्ट साधारण अनुदेशों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये।)*

प्रस्तावना

1.यह मानक उद्यमों के वित्तीय विवरणों में विनिधानों के लिए लेखा और सम्बंधित प्रकटन अपेक्षाओं से सम्बंधित है[1]।

2. यह मानक निम्नलिखित से सम्बंधित नहीं है :

(क) विनिधानों पर अर्जित उन ब्याजों, लाभांशों और किरायों के अभिज्ञान के लिए आधार जो राजस्व अभिज्ञान पर लेखा मानक 9 में सम्मिलित है ;

(ख) प्रचालन या वित्तीय पट्टें ;

(ग) सेवा निवृत्ति प्रसुविधा योजनाओं के और जीवन बीमा उद्यमों के विनिधान ; और

(घ) म्युचुअल फंड और उद्यम पूंजी निधि और/या सम्बंधित आस्ति प्रबंध कम्पनियाँ, केन्द्रीय या राज्य सरकार अधिनियम के अंतर्गत गठित या कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन इस प्रकार घोषित बैंक और लोक वित्तीय संस्थाएँ।

परिभाषाएँ

3. इस मानक में निम्नलिखित शब्द विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किए गए हैं :

3.1 <u>विनिधान</u> उद्यम द्वारा, लाभांशों, ब्याज तथा किरायों से आय अर्जित करने के लिए, पूँजी वृद्धि के लिए या विनिधान कर रहे उद्यम के प्रति अन्य लाभों के लिए, धारण की गई आस्तियाँ हैं। व्यापारिक स्टॉक के रूप में धारण की गई आस्तियाँ 'विनिधान' नही हैं।

3.2 <u>चालू विनिधान</u> एक ऐसा विनिधान है जो अपनी प्रकृति से तत्परता से वसूली योग्य है और यह विनिधान की तारीख से लेकर, एक वर्ष से अधिक समय के लिए धारण नहीं किया जाता है।

3.3 <u>दीर्घकालिक विनिधान</u> चालू विनिधान के अतिरिक्त अन्य विनिधान है।

3.4 <u>विनिधान सम्पत्ति</u> उन भूमि या भवनों में विनिधान हैं जो विनिधाता उद्यम द्वारा सारभूत रूप से उपयोग के लिए या उनके प्रचालनों में उपयोग के लिए धारण नहीं की जाती हैं।

3.5 <u>उचित मूल्य</u> वह रकम है जिसके लिए आस्ति को आर्म्स लैंग्थ संव्यवहार में सज्ञान, इच्छुक क्रेता और सज्ञान, इच्छुक विक्रेता के बीच विनिमय किया जा सके। उपयुक्त परिस्थितियों में, बाजार मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, उचित मूल्य का साक्ष्य प्रदान करता है।

3.6 <u>बाजार मूल्य</u> खुले बाजार में विनिधान के विक्रय से प्राप्त होने योग्य रकम है जो, व्ययन पर या उससे पहले उपगत किए जाने वाले आवश्यक व्ययों को घटाकर मिले।

[1] व्यापारिक स्टॉक (अर्थात् कारबार के सामान्य प्रचालन में विक्रय के लिए) के रूप में धारण किए गए शेयर, ऋणपत्रों और अन्य प्रतिभूतियाँ 'विनिधान' नहीं हैं, जो कि इस मानक में परिभाषित हैं। यद्यपि, वह तरीका, जिसमें वे वित्तीय विवरणों में लेखाबद्ध तथा प्रकट की जाती हैं चालू विनिधानों के संदर्भ में लागू तरीके के समान है। तदनुसार, इस मानक के उपबन्ध, जब तक वे चालू विनिधानों से सम्बंधित होते हैं उपयुक्त संशोधनों के साथ जो कि इस मानक में विनिर्दिष्ट हैं, व्यपारिक स्टॉक के रूप में धारण किए गए शेयरों, ऋणपत्रों और अन्य प्रतिभूतियों के प्रति भी लागू हैं।

IndiaCode

स्पष्टीकरण

विनिधानों के प्ररूप

4. उद्यम विभिन्न कारणों के लिए विनिधानों को धारण करते हैं। कुछ उद्यमों के लिए, विनिधान क्रियाकलाप प्रचालनों का एक महत्वपूर्ण तत्व है और उद्यम की निष्पादनता का निर्धारण विस्तृत रूप से या एकमात्र रूप से इस क्रियाकलाप के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर निर्भर होता है।

5. कुछ विनिधानों का कोई भौतिक अस्तित्व नही होता और वे केवल प्रमाणपत्रों या समरूप दस्तावेजों द्वारा प्रस्तुत किए जाते है (उदाहरण के लिए, शेयर) जबकि अन्य भौतिक रूप में उपस्थित होते है (उदाहरण के लिए, भवन)। एक विनिधान की प्रकृति, अल्पकालिक या दीर्घकालिक णिं या व्यापार णिं के अतिरिक्त, धारक के प्रति देय मौद्रिक रकम को प्रस्तुत करते हुए और आमतौर पर ब्याज वाले णिं की प्रकृति की तरह हो सकती है ; वैकल्पिक रूप से, यह एक उद्यम के परिणामों और शुद्ध आस्तियों में भाग हो सकता है, जैसे कि एक साधारण शेयर। अधिकतर विनिधान वित्तीय अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कुछ मूर्त होते हैं जैसे भूमि या भवनों में कुछ विनिधान।

6. कुछ विनिधानों के लिए, एक सक्रिय बाजार विद्यमान होता है जिससे एक बाजार मूल्य स्थापित किया जा सकता है। ऐसे विनिधानों के लिए साधारण तौर पर बाजार मूल्य, उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य प्रदान करता है। अन्य विनिधानों के लिए, एक सक्रिय बाजार विद्यमान नहीं होता और उचित मूल्य का अवधारण करने के लिए अन्य साधन प्रयोग किए जाते हैं।

विनिधानों का वर्गीकरण

7. उद्यम उन वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करता है जो स्थिर आस्तियों, विनिधानों और चालू आस्तियों को पृथक वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। विनिधान दीर्घकालिक विनिधानों और चालू विनिधानों में वर्गीकृत होते हैं। चालू विनिधान चालू आस्तियों की प्रकृति के होते हैं, यद्यपि सामान्य व्यवहार में उन्हें विनिधानों में सम्मिलित किया जा सकता है।[2]

8. चालू विनिधानों के अतिरिक्त अन्य विनिधान, दीर्घकालिक विनिधानों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते है, यद्यपि वे तत्परता से बेचने योग्य हो सकते हैं।

विनिधानों की लागत

9. विनिधान की लागत में अर्जन प्रभारों कों सम्मिलित किया जाता है जैसे दलाली, फीस और शुल्क।

10. यदि एक विनिधान शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा पूर्णतः या अंशतः अर्जित किया जाता है तो, अर्जन लागत, निर्गमित प्रतिभूतियों का उचित मूल्य होता है (जो, उपयुक्त स्थितियों में, निर्गमन कीमत द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसे कि कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित किया गया है)। उचित मूल्य अनिवार्य नहीं कि निर्गमित की गई प्रतिभूतियों के अंकित या सम मूल्य के बराबर हो।

11. यदि एक विनिधान, अन्य आस्ति के विनिमय या अंशतः विनिमय में अर्जित किया जाता है तो, विनिधान की अर्जन लागत, त्यागी गयी आस्ति के उचित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित होती है। अर्जित विनिधान के उचित मूल्य पर ध्यान देना उपयुक्त हो सकता है यदि यह अधिक स्पष्टतः साक्ष्य हो।

12. विनिधान के संबंध में प्राप्य ब्याज लाभांश और किराए, विनिधानों पर प्रतिफल के रूप में आय माने जाते हैं। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में, ऐसे प्रवाह, लागत की वसूली प्रस्तुत करते हैं और आय का भाग नहीं बनते। उदाहरण के लिए, जब असंदत ब्याज, ब्याज प्रदान कर रहे विनिधान के अर्जन से पहले प्रोदभूत होता है और इसलिए इसे विनिधान के लिए अदा की गई कीमत में शामिल किया जाता है तो, ब्याज की उत्तरवर्ती प्राप्ति, पूर्व—अर्जन तथा पश्च— अर्जन अवधियों के बीच आबंटित होती है ; पूर्व—अर्जन भाग लागत से घटाया जाता है। जब साधारण शेयर पर लाभांश, पूर्व—अर्जन लाभों से घोषित होते हैं तो, एक समरूप प्रतिपादन लागू हो सकता है। यदि स्वच्छंद आधार के अतिरिक्त ऐसा आबंटन करना कठिन होता है तो, आमतौर पर, विनिधान की लागत प्राप्य लाभाशों द्वारा केवल तभी घटाई जाती है जब वे स्पष्टतः लागत के एक भाग की वसूली का प्रतिनिधित्व करें।

13. जब आफर किए गए अधिकाराश्रित शेयर प्रतिश्रुत होते हैं तो, अधिकाराश्रित शेयरों की लागत को मूल धारिता की कैरिंग रकम में जोड़ा जाता है। यदि अधिकार प्रतिश्रुत नही बल्कि बाजार में बेचे जाते हैं तो बिक्री प्राप्तियाँ, लाभ और हानि विवरण में ले जाई जाती हैं। यद्यपि, जहाँ विनिधान अधिकार सहित आधार, पर अर्जित किए जाते हैं और विनिधानों का बाजार मूल्य उनके अधिकार रहित बनने के तुरंत बाद, उस लागत से कम होता है, जिस लागत पर विनिधान अर्जित किए गए थे, तो अधिकारों की बिक्री प्राप्तियों को ऐसे विनिधान की कैरिंग रकम को बाजार मूल्य तक कम करने के लिए लागू करना उपयुक्त हो सकता है।

विनिधानों की कैरिंग रकम

चालू विनिधान

14. चालू विनिधानों के लिए कैरिंग रकम लागत और उचित मूल्य में से जो कम हो वह होती है। उन विनिधानों के संदर्भ में जिनके लिए सक्रिय बाजार विद्यमान होता है, बाजार मूल्य आमतौर पर उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य प्रदान करता है। लागत और उचित मूल्य में से कम मूल्य पर चालू विनिधानों का मूल्यांकन, तुलनपत्र में व्यक्त होने वाली कैरिंग रकम को अवधारित करने के लिए विवेकशील तरीका प्रदान करता है।

[2] व्यवसाय के सामान्य प्रचालन में विक्रय के लिए धारण किए गए शेयर, ऋणपत्र तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, ''चालू आस्तियों' के शीर्षक के अंतर्गत 'व्यापार स्टॉक' के रूप में प्रकट किए जाते हैं।

15. समग्र (या सार्वभौमिक) आधार पर चालू विनिधानों का मूल्यांकन उपयुक्त नही समझा जाता। कभी–कभी, एक उद्यम का सम्बंन्ध प्रत्येक व्यक्तिगत विनिधान की बजाए सम्बंधित चालू विनिधानों के वर्ग के मूल्य के साथ हो सकता है और तदनुसार, विनिधान वर्ग के आधार पर (अर्थात् साधारण शेयर, अधिमानी शेयर, संपरिवर्तनीय ऋणपत्र) गणना की गई लागत और उचित मूल्य में से कम मूल्य पर ले जाया जाता है। यद्यपि, व्यक्तिगत रूप से विनिधानों को लागत और उचित मूल्य में से कम मूल्य पर लेने की पद्धति अधिक विवेकशील और उपयुक्त है।

16. चालू विनिधानों के लिए, उचित मूल्य में कोई भी कमी और ऐसी कमी का कोई भी उलटाव लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

दीर्घकालिक विनिधान

17. दीर्घकालिक विनिधान आमतौर पर लागत पर लिए जाते हैं। यद्यपि, जब दीर्घकालीन विनिधान के मूल्य में अस्थायी गिरावट के अतिरिक्त गिरावट होती *है,* तो गिरावट को अभिज्ञात करने के लिए, कैरिंग रकम घटायी जाती है। विनिधान के मूल्य के सूचक इसके बाजार मूल्य, विनिधानगृहीता की आस्तियों और परिणामों तथा विनिधान के अपेक्षित नकदी प्रवाहों के संदर्भ में प्राप्त किए जाते हैं। विनिधानगृहीता में विनिधानकर्ता के हिस्से के प्रकार तथा उसका परिमाण भी ध्यान में रखा जाता है। विनिधानगृहीता द्वारा वितरणों पर और विनिधानकर्ता द्वारा व्ययन पर प्रतिबंध, विनिधान के प्रति चिन्हित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

18. दीर्घकालिक विनिधान आमतौर पर विनिधान कर रहे उद्यम के प्रति व्यक्तिगत महत्व के होते हैं। इसीलिए, दीर्घकालिक विनिधानों की कैरिंग रकम, व्यक्तिगत विनिधान के आधार पर अवधारित की जाती है।

19. जहाँ दीर्घकालिक विनिधानों की कैरिंग रकम में अस्थायी गिरावट के अतिरिक्त कोई गिरावट होती है, तो परिणामस्वरूप कैरिंग रकम में आई कमी लाभ और हानि विवरण के प्रति प्रभारित की जाती है। जब विनिधान के मूल्य में बढ़ोतरी होती है या यदि इस कमी के आने के कारण विद्यमान नही रहते तो, कैरिंग रकम में कमी को उलट दिया जाता है।

विनिधान सम्पत्तियाँ

20. एक निवेश संपत्ति का लेखा लेखा मानक 10, *संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर* में यथानिर्धारित लागत मॉडल के अनुसरण में किया जाता है। एक सहकारी समीति या कम्पनी में किसी भी ऐसे शेयरों की लागत जिसकी धारिता विनिधान सम्पत्ति को धारण करने के अधिकार से प्रत्यक्षतः सम्बंधित होती है विनिधान सम्पत्ति की कैरिंग रकम में जोड़ी जाती है।

विनिधानों का व्ययन

21. विनिधान के व्ययन पर, व्ययों की कटौती के बाद कैरिंग रकम और व्ययन प्राप्तियों के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है।

22. जब एक व्यक्तिगत विनिधान की धारिता के एक भाग का व्ययन किया जाता है तो उस भाग को आबंटित होने वाली कैरिंग रकम, कुल धारण किए गए विनिधान की औसत कैरिंग रकम के आधार पर निर्धारित की जाती है।[3]

विनिधानों का पुनर्वर्गीकरण

23. जब दीर्घकालिक विनिधान चालू विनिधानों के रूप में पुनः वर्गीकृत किए जाते है तो अंतरण, अंतरण की तारीख पर लागत और कैरिंग रकम में से कम मूल्य पर किए जाते हैं।

24. जब विनिधान, चालू विनिधानों से दीर्घकालिक विनिधानों में पुनः वर्गीकृत होते हैं तो, अंतरण की तारीख को लागत और उचित मूल्य में से कम मूल्य पर होता है।

प्रकटन

25. वित्तीय विवरणों में विनिधान के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण उपयुक्त हैं :

(क) विनिधानों की कैरिंग रकम निर्धारित करने के लिए लेखा नीतियाँ ;

(ख) निम्नलिखित के लिए लाभ और हानि विवरण में शामिल की गई रकमें :

(i) दीर्घकालिक या चालू विनिधान से ऐसी आय को पृथकतः दर्शाते हुए विनिधान पर ब्याज, लाभांश (समनुषंगी कम्पनियों से लाभाशों को पृथकतः दर्शाते हुए) और किराए। सकल आय को व्यक्त करना चाहिए, स्रोत पर आयकर कटौती की रकम को, संदत्त अग्रिम करों में शामिल किया जाता है;

(ii) चालू विनिधानों के व्ययन पर लाभ और हानियाँ और ऐसे विनिधान की कैरिंग रकम में परिवर्तन ;

(iii) दीर्घकालीक विनिधानों के व्ययन पर लाभ और हानियाँ और ऐसे विनिधानों की कैरिंग रकम में परिवर्तन ;

(ग) स्वामित्व के अधिकार, विनिधानों की वसूली, या आय और व्ययन की प्राप्तियों के प्रेषण पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध ;

[3] व्यापारिक स्टॉक के रूप में धारण किए गए शेयरों, ऋणपत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के संदर्भ में व्ययन किए गए स्टॉक की लागत उपयुक्त लागत सूत्र (उदाहरण के लिए, पहले आना पहले जाना, औसत लागत आदि) को लागू करते हुए अवधारित की जाती है। यह लागत सूत्र, सूचीबद्ध समान के मूल्यांकन के संदर्भ में लेखा मानक 2 में वर्णित सूत्रों के समान है।

[*] लेखा मानक 21 समेकित वित्तीय विवरण में यथा परिभाषित

IndiaCode

(घ) उद्धृत विनिधानों के कुल बाजार मूल्य को देते हुए, उद्धृत तथा गैर–उद्धृत विनिधानों की कुल रकम ;

(ड) अन्य प्रकटन, जो कि उद्यम पर विनियमित उपयुक्त परिनियम द्वारा विशिष्ट रूप से अपेक्षित है।

मुख्य सिद्धान्त

विनिधानों का वर्गीकरण

26. एक उद्यम को अपने वित्तीय विवरणों में चालू विनिधानों और दीर्घकालिक विनिधानों को पृथकतः प्रकट करना चाहिए।

27. चालू और दीर्घकालिक विनिधानों का आगे वर्गीकरण, उद्यम को विनियमित कर रहे कानून में जैसा विनिर्दिष्ट हो वैसा होना चाहिए। कानूनी अपेक्षा की अनुपस्थिति में, इस अतिरिक्त वर्गीकरण को जहाँ लागू हो, निम्नलिखित में विनिधानों को प्रकट करना चाहिए :

(क) सरकारी या न्यास प्रतिभूतियाँ
(ख) शेयर, डिबेंचर या बंधपत्र
(ग) विनिधान सम्पत्तियाँ
(घ) अन्य प्रकृति विनिर्दिष्ट करते हुए।

विनिधानों की लागत

28. विनिधान की लागत में अर्जन प्रभार शामिल होने चाहिए, जैसे दलाली, फीस और शुल्क।

29. यदि एक विनिधान शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा पूर्णतः या अंशतः अर्जित किया जाता है, तो अर्जन लागत, निर्गमित की गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्य होनी चाहिए (जो, उपयुक्त स्थितियों में, निर्गमन कीमत द्वारा दर्शायी जा सकती है, जो कि कानूनी प्राधिकारियों द्वारा अवधारित किया गया है)। उचित मूल्य अनिवार्य नहीं कि निर्गमित की गई प्रतिभूतियों के अंकित या सम मूल्य के बराबर हो। यदि एक विनिधान, अन्य आस्ति के विनिमय में अर्जित किया गया है, तो विनिधान की अर्जन लागत, त्यागी गई आस्ति के उचित मूल्य के संदर्भ में अवधारित की जानी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, यदि अर्जित विनिधान का उचित मूल्य अधिक स्पष्टता से साक्ष्य हो तो विनिधान की अर्जन लागत विनिधान के उचित मूल्य के संदर्भ में अवधारित की जा सकती है।

विनिधान सम्पत्तियाँ

30. जो उद्यम निवेश संपत्तियां धारित करता है वह उसका लेखा लेखा मानक 10, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर यथानिर्धारित लागत मॉडल के अनुसार करेगा।

विनिधानों की कैरिंग रकम

31. चालू विनिधान के रूप में वर्गीकृत विनिधानों को वित्तीय मानकों में समग्र (या सार्वभौमिक) आधार की बजाए या तो व्यक्तिगत विनिधान आधार पर या फिर विनिधान के वर्ग के आधार पर अवधारित उचित मूल्य और लागत में से कम मूल्य पर आगे ले जाया जाना चाहिए।

32. दीर्घकालिक विनिधानों के रूप में वर्गीकृत विनिधानों को वित्तीय मानकों में लागत पर ले जाया जाना चाहिए। यद्यपि, मूल्य में गिरावट के लिए उपबंध विनिधानों के मूल्य में अस्थायी कमी के अतिरिक्त कमी को अभिज्ञात करने के लिए बनाए जाएँगे, ऐसी कमी प्रत्येक विनिधान के लिए व्यक्तिगत रूप से अवधारित और व्यवस्थित किए जाएँ।

विनिधानों की कैरिंग रकमों में परिवर्तन

33. कैरिंग रकम में किसी भी कमी या ऐसी कमियों के किसी भी उलटाव को लाभ और हानि विवरण के प्रति प्रभारित या क्रेडिट किया जाना चाहिए।

विनिधानों का व्ययन

34. विनिधान के व्ययन पर, कैरिंग रकम और शुद्ध व्ययन प्राप्तियों के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण के प्रति प्रभारित या उसमें क्रेडिट किया जाना चाहिए।

प्रकटन

35. निम्नलिखित जानकारी वित्तीय विवरणों में प्रकट की जानी चाहिए :

(क) विनिधानों की कैरिंग रकम अवधारित करने के लिए लेखा नीतियाँ ;

(ख) विनिधानों का वर्गीकरण जैसा कि उपरोक्त पैरा 26 और 27 में वर्णित है ;

(ग) निम्नलिखित के लिए लाभ और हानि विवरण में सम्मिलित की गई रकमें :

(i) दीर्घकालिक या चालू विनिधानों से ऐसी आय को पृथकतः दर्शाते हुए विनिधानों पर ब्याज, लाभांश (समानुषंगी कम्पनियों से प्राप्त लाभांशों को पृथकतः दर्शाते हुए) और किराए। सकल आय को व्यक्त करना चाहिए, स्रोत पर आयकर कटौती को संदत्त अग्रिम कर में सम्मिलित किया जाता है।
(ii) चालू विनिधान के व्ययन पर लाभ और हानियाँ और ऐसे विनिधानों की कैरिंग रकम में परिवर्तन ; और
(iii) दीर्घकालीक विनिधानों के व्ययन पर लाभ और हानियाँ और ऐसे विनिधानों की कैरिंग रकम में परिवर्तन;

(घ) स्वामित्व के अधिकार, विनिधानों की वसूली, या आय और व्ययन की प्राप्तियों के प्रेषण पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध ;
(ङ) उद्धत विनिधानों के कुल बाजार मूल्य को देते हुए, उद्धत तथा गैर–उद्धत विनिधानों की कुल रकम ;

(च) अन्य प्रकटन, जो कि उद्यम पर विनियमित उपयुक्त परिनियम द्वारा विशिष्ट रूप से अपेक्षित है।"

9. मूल नियम में "अनुलग्नक" में "लेखा मानक" शीर्ष के अधीन "लेखा मानक (एएस) 14" के स्थान पर निम्नलिखित लेखा मानक रखे जाएँगे, अर्थात् :–

"लेखा मानक 14
समामेलनों के लिए लेखा

(इस लेखा मानक में कुछ ***मोटे तिरछे*** *टाइप और कुछ सीधे टाईप में व्यवस्थित पैरा सम्मिलित है, जिनका समान प्राधिकार है। मोटे तिरछे टाइप में दिये गए पैरा मुख्य सिद्धांत उपदर्शित करते हैं। इस लेखा मानक को अधिसूचना के प्रति उपाबंध के भाग क में अतंर्विष्ट साधारण अनुदेशों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये।)*

प्रस्तावना

1. यह मानक समामेलनों के लिए लेखा और परिणामस्वरूप उत्पन्न गुडविल या आरक्षितियों के प्रतिपादन से सम्बंधित है। यह मानक मुख्यतः कम्पनियों के प्रति निर्दिष्ट है यद्यपि इसकी कुछ अपेक्षाएँ अन्य उद्यमों के वित्तीय विवरणों पर भी लागू होती हैं।

2. यह मानक अर्जन की ऐसी स्थितियों से सम्बंधित नहीं है जिसमें एक कम्पनी द्वारा (जिसे अर्जक कम्पनी कहा गया है) रोकड़ संदाय के लिए या अर्जक कम्पनी में शेयर या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में या अंशतः एक रूप में और अंशतः अन्य रूप में प्रतिफल के लिए अन्य कम्पनी (जिसे अर्जित कम्पनी कहा गया है) के पूर्ण शेयरों या उनके एक भाग का या उसकी पूर्ण आस्तियों या उसके एक भाग क्रय जाता हैं। अर्जन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अर्जित कम्पनी का समापन नहीं किया जाता और इसका पृथक् आस्तित्व बना रहता है।

परिभाषाएँ

3. इस मानक में निम्नलिखित शब्द विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं :

(क) <u>समामेलन</u> का अर्थ है कम्पनी अधिनियम, 2013 या अन्य उन कानूनों के उपबंधों के अनुसार समामेलन से है जो कंपनियों पर लागू हैं तथा ये विलय पर भी लागू होते हैं।

(ख) <u>अंतरक कम्पनी</u> का अर्थ वह कम्पनी है जो अन्य कम्पनी में समामेलित होती हैं।

(ग) <u>अंतरिती कम्पनी</u> का अर्थ उस कम्पनी से है जिसमें अंतरक कम्पनी समामेलित की जाती है।

(घ) आरक्षिति का अर्थ उद्यम के अर्जन, प्राप्तियों या अन्य अधिशेषों के उस भाग (चाहे पूंजीगत अथवा राजस्व) से है जो आस्तियों के मूल्य में कमी या उनके अवक्षयण या ज्ञात दायित्व के लिए उपबन्धों के अतिरिक्त सामान्य या विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रबंधन द्वारा विनियोजित किए जाते हैं।

(ङ) विलयन की प्रकृति में समामेलन वह समामेलन है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

(i) समामेलन के बाद, अंतरक कम्पनी की सभी आस्तियाँ और दायित्व, अंतरिती कम्पनी की आस्तियाँ और दायित्व बन जाते हैं।

(ii) अंतरक कम्पनी में साधारण शेयरों के अंकित मूल्य के कम से कम 90 प्रतिशत धारण करने वाले शेयर धारक (उन साधारण शेयरों के अतिरिक्त जो समामेलन से ठीक पहले अंतरिती कम्पनी या इसकी समनुषंगीयों या उनके नामनिर्देशितियों के पास थे), समामेलन के कारण अंतरिती कम्पनी के साधारण शेयरधारक बन जाते हैं।

(iii) समामेलन केलिए अंतरक कम्पनी के उन साधारण शेयरधारकों, जो अंतरिती कम्पनी के साधारण शेयरधारक बनने को तैयार हो जाते हैं, को प्राप्य प्रतिफल, अंतरिती कम्पनी द्वारा पूर्णतः अंतरिती कम्पनी में साधारण शेयरों के निर्गमन द्वारा चुकाए जाते हैं इसके अतिरिक्त कि रोकड़ किसी भी भागतः शेयरों के लिए दिया जा सकता है।

(iv) समामेलन के पश्चात्, अंतरिती कम्पनी द्वारा, अंतरक कम्पनी के व्यवसाय को चलाए जाने का प्रयोजन हो।

(v) अंतरक कम्पनी की आस्तियों और दायित्वों के बही मूल्यों के प्रति उस समय किसी समायोजन करने का कोई प्रयोजन नहीं हो जब वे अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों में समाविष्ट किए जाते हैं परन्तु लेखा नीतियों की एकरूपता को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त।

(च) क्रय की प्रकृति में समामेलन वह समामेलन है जो उपरोक्त उप—पैरा (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा नहीं करता।

(छ) समामेलन के लिए प्रतिफल का अर्थ अंतरिती कम्पनी द्वारा अंतरक कम्पनी के शेयरधारकों के प्रति निगर्मित शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों और नकदी व अन्य आस्तियों के रूप में किए गए संदाय का योग है।

(ज) उचित मूल्य वह रकम है जिसके लिए किसी आर्म्स लैंग्थ संव्यवहार में सज्ञान, इच्छुक क्रेता और सज्ञान, इच्छुक विक्रेता के बीच एक आस्ति को विनिमय किया जा सके।

(झ) हितों का समूहीकरण समामेलन के लिए लेखा की वह पद्धति है जिसका उद्देश्य समामेलन के लिए इस प्रकार लेखा करना है जैसे कि अंतरिती कम्पनी द्वारा समामेलित हो रही कम्पनियों के समामेलित व्यवसायों को चलाए जाने का प्रयोजन था। तदनुसार, समामेलित हो रही कम्पनियों के व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों को जोड़ते हुए केवल न्यूनतम परिवर्तन किए जाते हैं।

स्पष्टीकरण

समामेलनों के प्रकार

4. सामान्यतः समामेलनों के दो प्रकार होते हैं। पहले वर्ग में वे समामेलन होते है जहाँ समामेलित हो रही कम्पनियों की आस्तियों और दायित्वों मात्र का ही वास्तविक समूहीकरण नहीं होता अपितु शेयरधारकों के हितों तथा इन कम्पनियों के व्यापारों का भी वास्तविक समूहीकरण होता है। ऐसे समामेलन, वह समामेलन होते है जो 'विलयन' की प्रकृति में होते है और ऐसे समामेलनों के लेखा प्रतिपादन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए आस्तियों, दायित्वों, पूँजी और आरक्षितियों के आँकड़े, समामेलित हो रही कम्पनियों के सुसंगत आँकड़ों के जोड़ को लगभग प्रस्तुत करे। दूसरे वर्ग में वे समामेलन आते है जो वास्तव में एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा एक कम्पनी दूसरी कम्पनी का अर्जन करती है और परिणामस्वरूप, अर्जित कम्पनी के शेयर धारकों के पास आमतौर पर संयुक्त कम्पनी की इक्विटी में आनुपातिक भाग नही रहता या अर्जित कम्पनी के व्यवसाय को चालू रखने का प्रयोजन नहीं होता। ऐसे समामेलन 'क्रय' की प्रकृति में समामेलन होते हैं।

5. पैरा 3(ङ) में सूचीबद्ध सभी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर ही एक समामेलन को, विलयन की प्रकृति में समामेलन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यद्यपि, लागू की जा सकने वाली अन्य किसी शर्तों की प्रकृति के सम्बंध में विभिन्न मत है। कुछ का

* लेखा मानक 21 'समेकित वित्तीय विवरण' में यथा परिभाषित

IndiaCode

मत है कि, साधारण शेयरों के विनिमय के साथ यह आवश्यक है कि अंतरक कम्पनी के शेयरधारक, अंतरिती कम्पनी में पर्याप्त शेयर प्राप्त करें चाहे उस सीमा तक कि उनमें से किसी एक अधिष्ठायी पक्षकार को पहचानना संभव न हो पाए। यह मत, इस विचार पर अंशतः आधारित है कि, एक बड़ी कम्पनी में महत्वहीन शेयर के लिए एक कम्पनी के नियंत्रण का विनिमय, जोखिमों और लाभों के पारस्परिक भागीदारी की कोटि में नहीं आता है।

6. अन्य का मत है कि विलयन की प्रकृति वाले समामेलन का सार, पक्षकारों के संबंध के संदर्भ में कुछ मापदंडों के पूरा होने पर प्रमाणित होता है, जैसे कि समामेलित हो रही कम्पनियों की भूतपूर्व स्वतंत्रता, उनके समामेलन का तरीका, नियोजित संव्यवहारों की अनुपस्थिति जो समामलनों के प्रभाव को कम करती है और समामेलन के पश्चात् अंतरिती कम्पनी के प्रबंध में अंतरक कम्पनी के प्रबंधन द्वारा अविरल भागीदारी।

समामेलनों के लिए लेखा पद्धतियाँ

7. समामेलनों के लिए लेखा की दो पद्धतियाँ है :

(क) हितों के समूहीकरण की पद्वति ; और

(ख) क्रय पद्धति।

8. हितों के समूहीकरण की पद्धति का प्रयोग उन परिस्थितियों तक सीमित है जो विलयन की प्रकृति वाले समामेलन के लिए पैरा 3(ङ) मे विनिर्दिष्ट मापदंड को पूरा करती हैं।

9. क्रय पद्वति का उद्देश्य, आस्तियों के सामान्य क्रय में लागू सिद्धांतों जैसे सिद्धांतों को लागू करते हुए समामेलन का लेखा करना है। यह पद्धति क्रय की प्रकृति वाले समामेलनों के लेखा के लिए प्रयोग की जाती है।

हितों के समूहीकरण की पद्धति

10. हितों के समूहीकरण की पद्धति के अंतर्गत, अंतरक कम्पनी की आस्तियाँ, दायित्व और उनके आरक्षितियाँ अपनी विद्यमान कैरिंग रकम पर अंतरिती कम्पनी द्वारा अभिलिखित होते है (पैरा 11 में आवश्यक समायोजना के बाद)।

11. यदि, समामेलन के समय, अंतरक और अंतरिती कम्पनियों में परस्पर विरोधी लेखा नीतियाँ अपनायी जा रही हों तो, समामेलन के बाद एकरूप लेखा नीतियाँ अपनायी जाती हैं। लेखा नीतियों में किसी भी परिवर्तनों के वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, लेखा मानक 5ए *अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्वावधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन,* के अनुसार रिपोर्ट किए जाते हैं।

क्रय पद्वति

12. क्रय पद्वति के अंतर्गत, अंतरिती कम्पनी या तो आस्तियों और

दायित्वों को उनके वर्तमान बही मूल्य पर शामिल करके या समामेलन की तारीख को उचित मूल्यों के आधार पर अंतरक कम्पनी की पृथक रूप से अभिज्ञेय आस्तियाँ और दायित्वों को प्रतिफल आबंटित करते हुए समोमलन का लेखा करती हैं। अभिज्ञेय आस्तियों और दायित्वों में वे अस्तिया और दायित्व शामिल हो सकते हैं जो अंतरक कम्पनी के वित्तीय विवरणों में अभिलिखित नहीं हैं।

13. जहाँ अस्तियाँ और दायित्व, अपने उचित मूल्य के आधार पर पुनःव्यक्त होते हैं, वहाँ उचित मूल्यों का निर्धारण अंतरिती कम्पनी के आशयों से प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अंतरिती कम्पनी के पास एक आस्ति के लिए एक विशिष्ट प्रयोग हो सकता है जो अन्य संभाव्य क्रेताओं के पास उपलब्ध न हो। अंतरिती कम्पनी का प्रयोजन अंतरक कम्पनी के क्रियाकलापों में परिवर्तन लाने का हो सकता है, जो अपेक्षित लागतों के लिए विशिष्ट उपबन्धों के सृजन को आवश्यक बनाती हैं, जैसे कि, योजनाबद्ध कर्मचारी पर्यवसान और संयंत्र पुनःस्थापन लागतें आदि।

प्रतिफल

14. समामेलन के लिए प्रतिफल में प्रतिभूतियाँ, नकदी या अन्य आस्तियाँ शामिल हो सकती हैं। प्रतिफल के मूल्य का अवधारण करने में, इसके तत्वों के उचित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। उचित मूल्य निकालने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब प्रतिफल में प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं तो, कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निश्चित मूल्य को उचित मूल्य माना जा सकता है। अन्य आस्तियों की स्थिति में, उचित मूल्य त्यागी गई आस्तियों के बाजार मूल्य के संदर्भ में अवधारित किया जा सकता है। जहाँ त्यागी गई आस्तियों का बाजार मूल्य विश्वसनीय रूप से अवधारित नहीं किया जा सकता वहाँ ऐसी आस्तियों, अपने शुद्ध बही मूल्य पर मूल्यांकित की जाती है।

15. कई समामेलन यह स्वीकार करते हैं कि एक या अधिक भावी घटनाओं को देखते हुए प्रतिफल के प्रति समायोजन करने पड़ सकते हैं। जब अतिरिक्त संदाय संभाव्य होता है और तर्कसंगत रूप से समामेलन की तारीख पर अनुमानित किया जा सकता है, तो यह प्रतिफल की गणना में शामिल किया जाता है। अन्य सभी स्थितियों में, जैसे ही रकम अवधारण योग्य बन जाती है, समायोजन अभिज्ञात किया जाता है ख्देखें लेखा मानक 4 *आकस्मिकताएँ और तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ।*

समामेलन पर आरक्षितियों का प्रतिपादन

16. यदि समामेलन, 'विलयन की प्रकृति का समामेलन' हैं, तो आरक्षिति की पहचान बनाये रखी जाती है और वे अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों में उसी तरह प्रकट होती हैं, जिस प्रकार वे अंतरक कम्पनी के वित्तीय विवरणों में प्रकट हुए थे। इस प्रकार, उदाहरण के लिए अंतरक कम्पनी के सामान्य आरक्षिति अंतरिती कम्पनी के समान्य आरक्षिति बन जाते हैं, अतंरक कम्पनी के पूँजीगत आरक्षिति अंतरिती कम्पनी के पूँजीगत आरक्षति बन जाते है और अंतरक कम्पनी के पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति अंतरिती कम्पनी के पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति बन जाते है। पहचान को बनाए रखने के परिणामस्वरूप, वे आरक्षितियाँ, जो समामेलन से पहले लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध हैं, समामेलन के बाद भी लाभांश के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध होगी। निर्गमित शेयर पूँजी के रूप में अभिलिखित रकम (रोकड़ या अन्य आस्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त प्रतिफल समेत) और अंतरक कम्पनी की शेयर पूँजी की रकम के बीच का अंतर, अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों में आरक्षितियों में समायोजित होता है।

17. यदि समामेलन, 'क्रय की प्रकृति में समामेलन' है, तो पैरा 18 में विनिर्दिष्ट कानून द्वारा अपेक्षित अरक्षितियों के अतिरिक्त आरक्षितियों की पहचान नहीं बनाये रखी जाती है। प्रतिफल की रकम, अंतरिती कम्पनी द्वारा अर्जित अंतरक कम्पनी की शुद्ध आस्तियों के मूल्य से घटायी जाती है। यदि गणना का परिणाम णिात्मक निकलता है, तो अंतर समामेलन पर उत्पन्न हो रही गुडविल के प्रति डेबिट किया जाता है और उसके साथ पैरा 19—20 में कथित तरीके के अनुसार प्रतिपादन किया जाता है। यदि गणना का परिणाम धनात्मक है, तो अंतर, पूँजीगत आरक्षिति के प्रति क्रेडिट किया जाता है।

18. कुछ आरिक्षितयाँ आय—कर अधिनियम 1961 की आवश्यकताओं के अनुसार या इसके अंतर्गत लाभ उठाने के लिए, अंतरिती कम्पनी द्वारा बनाए जा सकते हैं ; उदाहरण के लिए, विकास भत्ता आरक्षिति या विनिधान भत्ता आरक्षिति। अधिनियम में यह अपेक्षित है कि आरक्षितियों की पहचान एक विशिष्ट अवधि के लिए बनाए रखनी चाहिए। इसी प्रकार, अन्य कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार, कुछ अन्य आरक्षितियों को अंतरक कम्पनी के वित्तीय विवरणों में सृजित किया जा सकता है। यद्यपि, आमतौर पर, क्रय प्रकृति के समामेलन में, आरक्षितियों की पहचान नहीं रखी जाती फिर भी पूर्वोक्त प्रकृति की आरिक्षितयाँ जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कानूनी आरक्षितियाँ कहा जाएगा) के संदर्भ में अपवाद हो सकता है और ऐसी आरक्षितियाँ अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरण में अपनी पहचान उसी तरह बनाये रखती है जिस तरह वे अंतरक कम्पनी के वित्तीय विवरणों में प्रकट हुई हैं जब तक कि उनकी पहचान को उपयुक्त विधान के साथ अनुपालन करने हेतु बनाए रखने की आवश्यकता होती हैं। यह अपवाद केवल उन समामेलनों में बनाया जा सकता है जहाँ अंतरिती कम्पनी की पुस्तकों में कानूनी आरक्षितियों अभिलेखन के लिए उपयुक्त विधान की अपेक्षाओं का पालन किया गया है। ऐसी स्थितियों में आरक्षितियाँ, अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों में उस उपयुक्त लेखा शीर्ष में (उदाहरणार्थ, 'समामेलन समायोजन प्रारक्षित निधि') तत्सम्बन्धी डेबिट के द्वारा अभिलिखित की जाती हैं, जिसे एक पृथक रेखीय मद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब कानूनी आरक्षितियों की पहचान को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती तो आरक्षिति और पूर्वोक्त लेखा उलट दिया जाता है।

समामेलन पर उत्पन्न हो रही गुडविल का प्रतिपादन

19. समामेलन पर उत्पन्न हो रही गुडविल भावी आय के पूर्वानुमान में किए गए संदाय को प्रस्तुत करती है और इसका आस्ति के रूप में प्रतिपादन उपयुक्त है जिसका आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान एक व्यवस्थित आधार पर आय के प्रति क्रमिक अपाकरण किया जाना है। गुडविल की प्रकृति के कारण, प्रायः तर्कसंगत निश्चितता के साथ इसके उपयोगी जीवन का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसलिए, ऐसा अनुमान विवेकशील आधार पर लगाया जाता है। तदनुसार, पाँच वर्षों से कम अवधि के दौरान गुडविल का क्रमिक अपाकरण उपयुक्त माना जाता है जब तक कि इससे लम्बी अवधि उपयुक्त न हो।

20. समामेलन पर उत्पन्न हो रही गुडविल के उपयोगी जीवनकाल को अनुमानित करने में विचारणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल है :

(क) व्यवसाय या उद्योग का पूर्वानुमेय जीवन ;

(ख) उत्पाद अप्रचलन के प्रभाव, माँग में परिवर्तन और अन्य आर्थिक घटक;

(ग) प्रमुख व्यक्तियों या कर्मचारियों के समूहों के सेवाकाल प्रत्याशाएँ ;

(घ) प्रतिस्पर्द्धियों या सम्भाव्य प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही; और

(ङ)उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित करते विधिक, विनियामक और अनुबंधात्मक उपबन्ध।

लाभ और हानि लेखा का अतिशेष

21. 'विलयन की प्रकृति में समामेलन' के मामले में, अतंरक कम्पनी के वित्तीय विवरणों में प्रकट हो रहा लाभ और हानि लेखा का अतिशेष, अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों में प्रकट हो रहे तत्संबंधी अतिशेष के साथ जोड़ा जाता है। आनुकल्पिक रूप से, यदि कोई सामान्य आरक्षिति हो, तो यह उसके प्रति अंतरित किया जाता है।

22. 'क्रय की प्रकृति में समामेलन' के मामले में, अंतरक कम्पनी के वित्तीय विवरणों में प्रकट हो रहा लाभ और हानि लेखा का अतिशेष, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट, अपनी पहचान खो देता है।

समामेलन की योजना में विनिर्दिष्ट आरक्षितियों का प्रतिपादन

23* कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों या कोई अन्य कानून, के अंतर्गत स्वीकृत समामेलन की योजना, समामेलन के बाद अंतरक कम्पनी की आरक्षितियों को दिए जाने वाले प्रतिपादन को निर्धारित कर सकती है। जहाँ ऐसा प्रतिपादन निर्धारित किया जाता है, वहाँ यही अनुसरित होता है। कुछ स्थितियों में, कानून के अंतर्गत स्वीकृत समामेलन की योजना इस मानक की उन अपेक्षाओं की तुलना में, जिनका पालन योजना, द्वारा प्रतिपादन न निर्धारित करने की स्थिति में किया गया होता, समामेलन के बाद अंतरक कम्पनी की आरक्षितियों के अलग प्रतिपादन को निर्धारित कर सकती है। ऐसी स्थितियों में, समामेलन के बाद प्रथम वित्तीय विवरणों मे निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं :

(क) आरक्षितियों के लेखा प्रतिपादन और इस मानक में निर्धारित प्रतिपादन से भिन्न प्रतिपादन का पालन करने के कारणों का वर्णन।

(ख) इस मानक में उन अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित प्रतिपादन जिनका पालन योजना द्वारा प्रतिपादन न निर्धारित करने की स्थिति में किया जाता, की तुलना में कानून के अंतर्गत स्वीकृत समामेलन की योजना के अनुसार निर्धारित आरक्षितियों के लेखा प्रतिपादन में विचलन।

(ग) ऐसे विचलन के कारण उत्पन्न हो रहा वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो।

IndiaCode

प्रकटन

24. सभी समामेलनों के लिए, समामेलन के बाद प्रथम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित प्रकटनों को उपयुक्त समझा जाता है :

(क) समामेलित हो रही कम्पनियों के नाम और व्यवसाय की सामान्य प्रकृति;

(ख) लेखा उद्देश्यों के लिए समामेलन की प्रभावी तारीख;

(ग) समामेलन को प्रतिबिम्बित करने में प्रयुक्त लेखा पद्वति; और

(घ) कानून के अंतर्गत स्वीकृत योजना के विवरण।

25. हितों के समूहीकरण की पद्वति के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए समामेलनों के लिए, समामेलन के बाद प्रथम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटन उपयुक्त समझे जाते हैं :

(क) समामेलन को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक कम्पनी के विनिमय किए गए साधारण शेयरों के प्रतिशत के साथ निर्गमित शेयरों का वर्णन तथा संख्या ;

(ख) प्रतिफल तथा अलग से पहचानने योग्य अर्जित की गई शुद्ध आस्तियों के मूल्य के बीच किसी भी अंतर की रकम और उनका प्रतिपादन।

26. क्रय पद्वति के अंतर्गत लेखाबद्ध समामेलनों के लिए समामेलन के बाद प्रथम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित प्रकटन उपयुक्त समझे जाते है :

* अनुच्छेद 23 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनुमोदित समामेलन की किसी भी योजना में लागू नहीं होगा

(क) समामेलन के लिए प्रतिफल और संदाय किए गए प्रतिफल या आकिस्मक रूप से संदेय प्रतिफल का वर्णन ; और

(ख) प्रतिफल तथा अलग से पहचानने योग्य अर्जित शुद्ध आस्तियों के मूल्य के बीच किसी भी अंतर की रकम और उनका प्रतिपादन तथा समामेलन पर उत्पन्न हो रही किसी भी गुडविल के क्रमिक अपाकरण की अवधि।

तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् समामेलन

27. जब समामेलन, तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् किंतु समामेलन के प्रति किसी भी पक्षकार के वित्तीय विवरणों के निर्गमन से पहले क्रियान्वित होता है, तो प्रकटन, लेखा मानक 4 *आकस्मिकताएँ तथा तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ'* के अनुसार किया जाता है, लेकिन समामेलन वित्तीय विवरणों में समाविष्ट नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में, समामेलन स्वयं वित्तीय विवरणों को प्रभावित करती हुई अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान कर सकता है, उदाहरण के लिए, चलायमान समुत्थान मान्यता को बनाए रखने के लिए स्वीकृति देना।

मुख्य सिद्धान्त

28. एक समामेलन या तो

(क) विलयन की प्रकृति में समामेलन हो सकता है, या

(ख) क्रय की प्रकृति में समामेलन हो सकता है।

29. एक समामेलन को विलयन की प्रकृति में समामेलन तब माना जाना चाहिए, जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों ;

(i) समामेलन के बाद, अंतरक कम्पनी की सभी आस्तियाँ और दायित्व, अंतरिती कम्पनी की आस्तियाँ और दायित्व बन जाए।

(ii) अंतरक कम्पनी में साधारण शेयरों के अंकित मूल्य के कम से कम 90 प्रतिशत धारण करने वाले शेयरधारक (उन साधारण शेयरों के अतिरिक्त जो समामेलन से ठीक पहले अंतरिती कम्पनी या इसके समनुषंगियों या उनके नामनिर्देशितीयों के पास थे) समामेलन के कारण अंतरिती कम्पनी के साधारण शेयरधारक बन जाते हैं।

(iii) समामेलन केलिए अंतरक कम्पनी केउन साधारण शेयरधारकों को जो अंतरिती कम्पनी के साधारण शेयरधारक बनने को तैयार हो जाते हैं, प्राप्य प्रतिफल अंतरिती कम्पनी द्वारा पूर्णतः अंतरिती कम्पनी में साधारण शेयरों के निर्गमन द्वारा चुकाए जाते है, इसके अतिरिक्त कि नकद किसी भी भागतः शेयर के संदर्भ में देय हो सके।

(iv) समामेलन के पश्चात् अंतरिती कम्पनी द्वारा, अंतरक कम्पनी के व्यवसाय को चलाए जाने का प्रयोजन होता है।

(v) अंतरक कम्पनी की आस्तियों और दायित्वों के बही मूल्यों के प्रति उस समय किसी समायोजन करने का कोई प्रयोजन नहीं हो जब वे अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों में समाविष्ट किए जाते हैं, परन्तु लेखा नीतियों की एकरूपता को सुनिश्चित करने के अतिरिक्त ।

30. एक समामेलन को क्रय की प्रकृति में समामेलन तब माना जाना चाहिए, जब पैरा 29 में विनिर्दिष्ट एक या उससे अधिक शर्तों की पूर्ति न हो।

31. जब एक समामेलन को विलयन की प्रकृति में समामेलन माना जाता है, तो यह पैरा 33—35 में वर्णित हितों के समूहीकरण की पद्धति के अंतर्गत लेखाबद्ध होना चाहिए।

32. जब समामेलन को क्रय की प्रकृति में समामेलन माना जाता है, तो इसे पैरा 36—39 में वर्णित क्रय पद्धति के अंतर्गत लेखाबद्ध करना चाहिए।

हितों के समूहीकरण की पद्धति

33. अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी में, अंतरक कम्पनी की आस्तियों, दायित्वों और अरक्षितियों (चाहे पूँजीगत या राजस्व या फिर पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न हो रही हों) को उनके वर्तमान कैरिंग रकम पर और उसी रूप

IndiaCode

में अभिलिखित करना चाहिए जिस रूप में वह समामेलन की तारीख पर थे। अंतरक कम्पनी के लाभ और हानि लेखा के अतिशेष को अंतरिती कम्पनी के तत्संबंधी अति के साथ जोड़ा जाना चाहिए या कोई सामान्य आरक्षिति हो तो उसके प्रति अंतरित किया जाना चाहिए।

34. यदि, समामेलन के समय, अंतरिती और अंतरक कम्पनियों में परस्पर विरोधी लेखा नीतियाँ अपनायी जा रही हैं तो समामेलन के बाद एकरूप लेखा नीतियाँ अपनायी जानी चाहिए। लेखा नीतियों में किसी भी परिवर्तन का वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, लेखा मानक 5ए अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्वावधि मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन, के अनुसार रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

35. निर्गमित शेयर पूँजी के रूप में अभिलिखित रकम (नकदी या अन्य आस्तियों के रूप में किसी अतिरिक्त प्रतिफल समेत) और अंतरक कम्पनी की शेयर पूँजी की रकम के बीच के अंतर को आरक्षितियों में समायोजित करना चाहिए।

क्रय पद्धति

36. अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अंतरक कम्पनी की आस्तियाँ और दायित्व अपनी वर्तमान कैरिंग रकम पर शामिल होनी चाहिए या वैकल्पिक रूप से प्रतिफल, समामेलन की तारीख को पृथक रूप से पहचानने योग्य आस्तियों और दायित्वों को अपने उचित मूल्यों के आधार पर आबंटित किया जाना चाहिए। कानून द्वारा अपेक्षित आरक्षितियों के अतिरिक्त, अंतरक कम्पनी के आरक्षितियों (चाहे पूँजीगत हो या राजस्व या फिर पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न हो रहे हो) जैसा पैरा 39 में कथित है उसको छोड़कर अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किए जाने चाहिए।

37. अंतरिती कम्पनी द्वारा अर्जित अंतरक कम्पनी की शुद्ध आस्तियों के मूल्य से प्रतिफल की रकम का कोई भी आधिक्य, अंतरक कम्पनी के वित्तीय विवरणों में समामेलन पर उत्पन्न हो रही गुडविल के रूप में अभिज्ञात होना चाहिए। यदि, प्रतिफल की रकम, अर्जित शुद्ध आस्तियों के मूल्य से कम हो, तो उनके बीच के अंतर को पूँजीगत आरक्षिति माना जाना चाहिए।

38. समामेलन पर उत्पन्न हो रही गुडविल का अपने उपयोगी जीवनकाल के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के प्रति क्रमिक अपाकरण होना चाहिए। क्रमिक अपाकरण की अवधि पाँच वर्ष से कम होनी चाहिए जब तक कि इससे अधिक अवधि उचित न हो।

39. जहाँ अंतरिती कम्पनी की बहीयों में कानून द्वारा अपेक्षित आरक्षिति के अभिलेखन के लिए उपयुक्त कानून की अपेक्षाओं का पालन किया जाता है, वहाँ अंतरक कम्पनी के कानून द्वारा अपेक्षित आरक्षितियों को अंतरिती कम्पनी के वित्तीय विवरणों में अभिलिखित किया जाना चाहिए। उपयुक्त लेखा शीर्ष (उदाहरणतः 'समामेलन समायोजन प्रारक्षित निधि') को तत्सम्बन्धी डेबिट किया जाना चाहिए जिसे पृथक रेखीय मद के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब कानून द्वारा अपेक्षित आरक्षितियों की पहचान को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं हो तो, आरक्षितियों और पूर्वोक्त लेखा को उलट देना चाहिए।

सामान्य प्रक्रियाएँ

40. समामेलन के लिए प्रतिफल में, कोई भी गैर–नकदी तत्व उचित मूल्य पर शामिल होना चाहिए। प्रतिभूतियों के निर्गमन की स्थिति में, कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मूल्य को उचित मूल्य माना जा सकता है। अन्य आस्तियों की स्थिति में, उचित मूल्य त्यागी गई आस्तियों के बाजार मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। जहाँ त्यागी गई आस्तियों का बाजार मूल्य विश्वसनीय रूप से आँका नहीं जा सकता, वहाँ ऐसी आस्तियों को उनके क्रमशः शुद्ध बही मूल्य पर मूल्यांकित किया जा सकता है।

41. जहाँ समामेलन की योजना, एक या अधिक घटनाओं पर समाश्रित प्रतिफल के लिए समायोजन प्रदान करती है, तो यदि भुगतान संभाव्य है और रकम का एक तर्कसंगत अनुमान लगाया जा सकता है तो अतिरिक्त भुगतान की रकम प्रतिफल में शामिल की जानी चाहिए। अन्य सभी मामलों में, जैसे ही रकम निर्धारण योग्य बनती है, समायोजन अभिज्ञात होना चाहिए देखें लेखा मानक 4 आकस्मिकताएँ तथा तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ।

समामेलन की योजना में विनिर्दिष्ट आरक्षितियों का प्रतिपादन

42.[*] *जहाँ कानून के अंतर्गत स्वीकृत समामेलन की योजना, अंतरिती कम्पनी के आरक्षितियों को दिए जाने वाला प्रतिपादन निर्धारित करती है, वहाँ उसी का अनुपालन होना चाहिए। जहाँ कानून के अंतर्गत स्वीकृत समामेलन की योजना इस मानक की उन अपेक्षाओं की तुलना में जिनका पालन योजना द्वारा व्यवहार न निर्धारित करने की स्थिति में किया जाता, समामेलन के बाद अंतरक कम्पनी आरक्षितियों का एक भिन्न प्रतिपादन निर्धारित करता है, वहाँ समामेलन के बाद प्रथम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं :*

(क) आरक्षितियों के दिए गए लेखा प्रतिपादन और इस मानक में निर्धारित प्रतिपादन से भिन्न प्रतिपादन का पालन करने के कारणों का वर्णन।

(ख) इस मानक में उन अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित प्रतिपादन, जिनका पालन योजना द्वारा प्रतिपादन न निर्धारित करने की दशा में किया जाता, की तुलना में कानून के अंतर्गत स्वीकृत समामेलन की योजना द्वारा आरक्षितियों के लिए निर्धारित प्रतिपादन में विचलन।

(ग) ऐसे विचलन के कारण उत्पन्न रहा वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो।

प्रकटन

43. सभी समामेलनों के लिए, समामेलन के बाद प्रथम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित प्रकटन किए जाने चाहिए :

(क) समामेलित हो रही कम्पनियों के नाम और व्यवसाय की सामान्य प्रकृति;

(ख) लेखा उद्देश्यों के लिए समामेलन की प्रभावी तारीख ;

(ग) समामेलन को प्रतिबिम्बित करने में प्रयुक्त लेखा पद्धति ; और

(घ) कानून के अंतर्गत स्वीकृत योजना के विवरण।

44. हितों के समूहीकरण की पद्धति के अंतर्गत समामेलन के लेखा के लिए, समामेलन के बाद प्रथम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटन किए जाने चाहिएं :

(क) समोमलन को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक कम्पनी के विनिमय किए गए साधारण शेयरों के प्रतिशत के साथ निर्गमित शेयरों का वर्णन तथा संख्या ;

(ख) प्रतिफल तथा अर्जित शुद्ध अलग से पहचानने योग्य आस्तियों के मूल्य के बीच किसी भी अंतर की रकम और उसका प्रतिपादन।

45. क्रय पद्धति के अंतर्गत लेखाबद्ध समामेलनों के लिए, समामेलन के बाद प्रथम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित प्रकटन किए जाने चाहिए :

(क) समामेलन के लिए प्रतिफल और संदाय किए गए प्रतिफल या आकस्मिक रूप से संदेय प्रतिफल का वर्णन; और

(ख) प्रतिफल और अर्जित शुद्ध अलग से पहचानने योग्य आस्तियों के मूल्य के बीच किसी भी अंतर की रकम और उनका प्रतिपादन और समामेलन पर उत्पन्न हो रही किसी भी गुडविल के क्रमिक अपाकरण की अवधि।

तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् समामेलन

46. जब समामेलन, तुलनपत्र की तारीख के पश्चात्, किंतु समामेलन के प्रति किसी भी पक्षकार के वित्तीय विवरणों के निर्गमन से पहले क्रियान्वित होता है, तो प्रकटन लेखा मानक 4 'आकस्मिकताएँ तथा तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ' के अनुसार किया जाना चाहिए, किंतु समामेलन वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं होना

[*] कपंनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अनुमोदित समामेलन की किसी भी योजना के लिए अनुच्छेद 42 लागू नही होगा ।

IndiaCode

चाहिए। कुछ परिस्थितियों में, समामेलन स्वयं वित्तीय विवरणों को प्रभावित करने वाली अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान कर सकता है, उदाहरण के लिए चलायमान समुत्थान की मान्यता को बनाए रखने के लिए स्वीकृति देना।"

11. मूल नियम में "अनुलग्नक" में "लेखा मानक" शीर्ष के अधीन "लेखा मानक (एएस) 21" के स्थान पर निम्नलिखित लेखा मानक रखे जाएँगे, अर्थात् :–

"लेखा मानक 21
समेकित वित्तीय विवरण[1]

(इस लेखा मानक में कुछ ***मोटे तिरछे*** *टाइप और कुछ सीधे टाईप में व्यवस्थित पैरा सम्मिलित हैं, जिनका समान प्राधिकार है। मोटे तिरछे टाइप में दिये गए पैरा मुख्य सिद्धांत उपदर्शित करते हैं। इस लेखा मानक को अधिसूचना के प्रति उपाबंध के भाग क में अतंर्विष्ट साधारण अनुदेशों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये।)*

उद्देश्य

इस मानक का उद्देश्य समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना है। मूल कंपनी (जो नियंत्री उद्यम के नाम से भी ज्ञात है) द्वारा उसके समूह के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में वित्तीय जानकारी प्रदान करने के लिए, समेकित वित्तीय विवरण, प्रस्तुत किए जाते हैं। इन विवरणों का उद्देश्य मूल और इसकी समनुषंगियों के बारे में एक एकल आर्थिक इकाई के रूप में समूह द्वारा नियंत्रित आर्थिक संसाधनों, समूह के दायित्वों और अपने संसाधनों से समूह को प्राप्त परिणामों को दर्शित करने के लिए वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करना होता है।

कार्यक्षेत्र

1. यह मानक मूल कंपनी के नियंत्रण के अधीन उद्यमों के समूह के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण में लागू होना चाहिए।

2. यह मानक, मूल कंपनी के पृथक वित्तीय विवरणों में समनुषंगियों में विनिधान के लेखा में भी लागू किया जाना चाहिए।

3. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में, अन्य लेखा मानक भी उसी तरह लागू होते हैं जैसे वे पृथक वित्तीय विवरणों में लागू होते हैं।

4. यह मानक निम्नलिखित से संबंधित नहीं है :

(क) समामेलन पर उद्भूत गुडविल सहित, समामेलनों के लेखा के लिए पद्धतियाँ और समेकन पर उनके प्रभाव, (लेखा मानक 14, *समामेलनों के लिए लेखा, देखें)* ;

(ख) सहयुक्तों में विनिधानों के लिए लेखा (वर्तमान में लेखा मानक 13, *विनिधानों के लिए लेखा*[2] द्वारा शासित हैं) ; और

(ग) सहउद्यमों में विनिधानों के लिए लेखा (वर्तमान में लेखा मानक 13, *विनिधानों के लिए लेखा*[3] द्वारा शासित है)

[1] यह स्पष्ट किया जाता है कि, यदि एक उद्यम समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है तो लेखा मानक 21 आज्ञापक है। दूसरे शब्दों में, लेखा मानक एक उद्यम को समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का आदेश नहीं देता लेकिन, यदि कोई उद्यम किसी कानून की आवश्यकताओं के साथ अनुपालन के लिए या अन्यथा समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, तो इसे समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक 21 के अनुसार तैयार और प्रस्तुत करने चाहिए।

[2] लेखा मानक 23, *सहयुक्तों में विनिधानों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में लेखा,* समेकित वित्तीय विवरणों में सहयुक्तों में विनिधानों के लिए लेखा से संबंधित अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करता है।

[3] लेखामानक 27, *सहउद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग,* सहउद्यमों में विनिधानों के लिए लेखा संबंधित अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करता है।

IndiaCode

परिभाषाएँ

5. इस मानक के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित शब्द विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयोग किए गए हैं:

5.1 <u>नियंत्रण</u> :

(क) प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, समनुषंगी (समनुषंगियों) के माध्यम एक उद्यम की आधी से अधिक मतदान शक्ति का स्वामित्व ; या

(ख) किसी कम्पनी की दशा में निदेशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण या किसी अन्य उद्यम की दशा में तत्समान शासी निकाय की संरचना का नियंत्रण जिससेकि इसके क्रियाकलापों से आर्थिक लाभ प्राप्त किए जा सके।

5.2 एक <u>समनुषंगी</u> एक उद्यम है, जो अन्य उद्यम (जो मूल के नाम से जाने जाते हैं) द्वारा नियंत्रित होता है।

5.3 <u>मूल</u> एक उद्यम है जिसकी एक या अधिक समनुषंगी कंपनी होती हैं।

5.4 <u>समूह,</u> मूल और इसकी सभी समनुषंगी है।

5.5 <u>समेकित वित्तीय विवरण</u> समूह के वित्तीय विवरण होते हैं, जो कि एकल उद्यम के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

5.6 <u>इक्विटी</u> एक उद्यम की आस्तियों में इसके सभी दायित्वों को घटा देने के बाद, उपस्थित अवशिष्ट हित है।

5.7. <u>अल्पसंख्यक हित</u> प्रचालनों के शुद्ध परिणामों और शुद्ध आस्तियों का वह भाग है, जो उन हितों से संबंधित है जिन पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से समनुषंगी के माध्यम से मूल का कोई स्वामित्व नहीं है।

IndiaCode

6. समेकित वित्तीय विवरणों में आमतौर पर समेकित तुलनपत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, और टिप्पण, अन्य विवरण और स्पष्टीकारक सामग्री सम्मिलित होती है, जो उसका एक समाकलित भाग बनता है। यदि मूल अपना रोकड़ प्रवाह विवरण प्रस्तुत करता है तो समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ तक संभव हो समेकित वित्तीय विवरण उसी प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो मूल द्वारा इसके पृथक वित्तीय विवरणों के लिए अपनाया जाता है।

स्पष्टीकरण :

मूल उद्यम और इसकी समनुषंगियों के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रकट हो रहे सभी टिप्पणों को समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणों में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है। समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए, टिप्पणों और अन्य स्पष्टीकारक सामग्री जो उनका एक अभिन्न भाग बनती है, के संदर्भ में निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुपालन किया जा सकता है :

(क) वे टिप्पण जो समेकित वित्तीय विवरणों का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, उनके अभिन्न भाग के रूप में समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किए जाते हैं।

(ख) केवल सारवान मदों वाले टिप्पणों को प्रकट करने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए सारवानता समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के संबंध में अवधारित होती है। इसको देखते हुए, यह संभव हो सकता है कि जब सारवानता का परीक्षण समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में लागू होता है तो मूल या समनुषंगी के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रकट कुछ टिप्पणों की समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन की आवश्यकता न हो।

(ग) समनुषंगी और/या मूल के पृथक वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त कानूनी जानकारी को समेकित वित्तीय विवरणों के सही और ऋजु चित्र से कोई प्रासंगिकता न रखने के कारण, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट करने आवश्यकता नहीं होती।

कम्पनियों की दशा में ऐसी जानकारी का दृष्टांत, इस मानक से संलग्न दृष्टांत में शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण

7. एक मूल जो समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, उसे यह विवरण उसकी पृथक वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

8. मूल के वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता प्रायः न केवल उद्यम अपितु पूरे समूह की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों से सम्बंध रखते हैं और उन्हें इस बारे में सूचित भी किया जाना चाहिए। यह आवश्यकता प्रयोगकर्ताओं को निम्नलिखित प्रदान करके होती है :

(क) मूल के पृथक वित्तीय विवरण ; और

(ख) समेकित वित्तीय विवरण, जो पृथक विधिक इकाइयों की विधिक सीमाओं को ध्यान में न रखते हुए एकल उद्यम की तरह समूह के बारे में वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों का कार्यक्षेत्र

9. एक मूल उद्यम को, जो समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है, पैरा 11 में निर्दिष्ट समनुषंगियों के अतिरिक्त, देशी साथ ही साथ विदेशी, सभी समनुषंगियों को समेकित करना चाहिए। जहां उद्यम को कोई समनुशंगी नहीं है किंतु सहयुक्त और/या सहउद्यम है, वहां उद्यम को क्रमशः लेखा मानक 23, सहयुक्तों में विनिधानों हेतु समेकित वित्तीय विवरणों में लेखा तथा लेखा मानक 27, सहउद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण भी तैयार करना चाहिए।

10. समेकित वित्तीय विवरण, मूल उद्यम के और पैरा 11 में दिए गए कारणों के लिए अपवर्जित समनुषंगियों के अतिरिक्त उन सभी उद्यमों के वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार होते हैं जो मूल द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। नियंत्रण तब विद्यमान होता है जब प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः समनुषंगियों के द्वारा, मूल उद्यम के पास एक उद्यम की आधी से अधिक मतदान शक्ति का स्वामित्व होता है। नियंत्रण तब भी विद्यमान होता है जब एक उद्यम, निदेशक बोर्ड की संरचना पर नियंत्रण रखता हो (एक कम्पनी की दशा में) या तत्समान शासी निकाय पर नियंत्रण रखता हो (एक उद्यम के कम्पनी न होने की दशा में) ताकि इसके क्रियाकलापों से आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। एक उद्यम इकाइयों की शासी निकायों की संरचना को नियंत्रित कर सकता है जैसे कि उपदान न्यास, भविष्य निधि न्यास आदि। क्योंकि ऐसी इकाइयों पर नियंत्रण का उद्देश्य उनके क्रियाकलापों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना नहीं होता, इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता। इस मानक के उद्देश्य लिए, एक उद्यम को निम्नलिखित की संरचना का नियंत्रक माना जाता है :

(i) एक कम्पनी का निदेशक बोर्ड, यदि इसके पास किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति या सहमति के बिना उस कम्पनी के सभी या अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति है एक उद्यम के पास निदेशक को नियुक्ति करने की शक्ति तब समझी जाती है, यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है :

(क) उद्यम द्वारा पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग उसके पक्ष में करें बिना एक व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया सकता ; या

(ख) एक व्यक्ति की निदेशक के रूप में नियुक्ति आवश्यक रूप से उद्यम में उसके द्वारा धारित पद पर नियुक्ति के कारण होती है ; या

(ग) निदेशक उस उद्यम या उसकी समनुषंगी द्वारा नामनिर्दिष्ट होता है।

(ii) एक उद्यम का शासी निकाय जो एक कम्पनी नहीं है, यदि इसके पास किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति या सहमति के बिना उस अन्य उद्यम के शासी निकाय के सभी या अधिकांश सदस्यों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति है। एक उद्यम के पास एक सदस्य को नियुक्त करने की शक्ति होती है यदि निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा किया जाता है:

(क) एक व्यक्ति के पक्ष में उस अन्य उद्यम द्वारा पूर्वोक्त शक्ति के उपयोग के बिना, उसे शासी निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

(ख) एक व्यक्ति की शासी निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्ति, आवश्यक रूप से उस अन्य उद्यम में उसके द्वारा धारित पद की नियुक्ति के कारण है ; या

(ग) शासी निकाय के सदस्य को उस अन्य उद्यम द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

स्पष्टीकरण :

यह संभव है कि एक उद्यम, दो उद्यमों द्वारा नियंत्रित हो पहला, उस उद्यमों की बहुसंख्यक मतदान शक्ति के स्वामित्व के आधार पर नियंत्रित करता है और दूसरा एक करार के आधार पर या अन्यथा इसके क्रियाकलापों से आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के लिए, निदेशक बोर्ड की संरचना को नियंत्रित करता है। ऐसी दुर्लभ स्थिति में, जब एक उद्यम, 'नियंत्रण' की परिभाषा के अनुसार दो उद्यमों द्वारा नियंत्रित होता है, पहला उल्लिखित उद्यम, इस मानक के अर्थ में, नियंत्रण करने वाले दोनों उद्यमों का समनुषंगी माना जाएगा और, इसलिए, दोनों उद्यमों को इस मानक की आवश्यकताओं के अनुसार उस उद्यम के वित्तीय विवरणों को समेकित करने की आवश्यकता होती है।

11. एक समनुषंगी को समेकन से तब अपवर्जित करना चाहिए जब :

(क) नियंत्रण अस्थाई हो, क्योंकि समनुषंगी को अनन्य रूप से निकट भविष्य मे इसके पश्चात्वर्ती व्ययन की दृष्टि से अर्जित या धारित किया जाता है ; या

(ख) यह ऐसे कठोर दीर्घकालिक निर्बंधनों में प्रचालन करती है जो महत्वपूर्ण रूप से मूल उद्यम को निधि अंतरित करने की उसकी क्षमता का ह्रास करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में, ऐसी समनुषंगियों में विनिधानों का लेखा लेखा मानक 13, विनिधानों के लिए लेखा, के अनुसार होना चाहिए। समनुषंगियों को समेकित न करने के कारणों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण :

(क) जहाँ एक उद्यम, अन्य उद्यम के शेयरों के स्वामित्व के आधार पर बहुसंख्यक मतदान शक्ति का अधिकारी होता है और सभी शेयर 'व्यापार स्टाक' के रूप में धारण किए जाते है और निकट भविष्य में उन्हें उनकेअनन्य रूप से पश्चात्वर्ती व्ययन की दृष्टि से अर्जित तथा धारण किए जाते हैं, प्रथम उल्लिखित उद्यम द्वारा नियंत्रण पैरा 11 (क) के अर्थ में अस्थाई समझा जाएगा।

(ख) वह समयावधि, जो इस मानक के उद्देश्य के लिए निकट भविष्य समझी जाती है, प्राथमिक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यद्यपि, आमतौर पर 'निकट भविष्य' शब्दों का अर्थ सुसंगत विनिधानों के अर्जन से बारह मास से अधिक नहीं माना जाता, जब तक कि इससे लम्बी अवधि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायोचित न हो। आशय विनिधानों के व्ययन से सम्बंधित आशय पर विनिधान के अर्जन के समय विचार किया जाता है। तदनुसार, यदि सुसंगत विनिधान, निकट भविष्य में इसके पश्चात्वर्ती व्ययन के आशय के बिना अर्जित किया जाता है और पश्चात्वर्ती रूप से, विनिधान के व्ययन का निर्णय लिया जाता है, तो एक वास्तविक रूप से विनिधान के व्ययन होने तक, ऐसे विनिधान समेकन से अपवर्जित नहीं किए जाते हैं। इसके विपरीत, यदि आशय विनिधान, निकट भविष्य में इसके पश्चातवर्ती व्ययन के आशय के साथ अर्जित किया जाता है, लेकिन, कुछ मान्य कारणों से इसका उस समयाविधि में व्ययन नहीं जा सकता तो, आशय में कोई परिवर्तन न होने तक यह समेकन से अपवर्जित होता रहेगा।

12. इस आधार पर समेकन से समनुषंगी का अपवर्जन कि इसके व्यवसायिक क्रियाकलापों, समूह के अंदर अन्य उद्यम के व्यवसायिक क्रियाकलापों से असमान है, उचित नहीं है क्योंकि ऐसी समनुषंगियों के समेकन द्वारा और समनुषंगियों के भिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापों के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों में अतिरिक्त जानकारी प्रकट करते हुए बेहतर जानकारी प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, लेखा मानक 17, *खंड रिपोर्टिंग,* द्वारा अपेक्षित प्रकटन समूह के भीतर भिन्न व्यापारिक क्रियाकलापों के महत्व को स्पष्ट करने में मदद करते हैं।

समेकन प्रक्रियाएँ

13. समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, मूल उद्यम और इसकी समनुषंगियों के वित्तीय विवरण को आस्तियों, दायित्वों, आय और व्यय की एक समान मदों को एक साथ जोड़ते हुए, पंक्ति दर पंक्ति के आधार पर सम्मिलित किया जाना चाहिए। समेकित वित्तीय विवरणों द्वारा समूह की वित्तीय जानकारी को एकल उद्यम के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए :

(क) प्रत्येक समनुषंगी में विनिधान करने की तारीख पर, प्रत्येक समनुषंगी में मूल के विनिधान की लागत और प्रत्येक समनुषंगी की इक्विटी में मूल—उद्यम का भाग, हटा देना चाहिए ;

(ख) समनुषंगी में किए गए विनिधान की तारीख पर समनुषंगी की इक्विटी में मूल के भाग पर समनुषंगी में मूल के विनिधान की लागत के किसी आधिक्य को, समेकित वित्तीय विवरणों में एक आस्ति के रूप में अभिज्ञात करने के लिए गुडविल रूप में वर्णित किया जाना चाहिए ;

(ग) समनुषंगी में किए गए विनिधान की तारीख पर, जब समनुषंगी में मूल के विनिधान की लागत, समनुषंगियों की इक्विटी में मूल के भाग की तुलना में कम होती है, तो समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर को पूँजी आरक्षिति माना जाना चाहिए ;

(घ) मूल उद्यम के स्वामियों के प्रति चिन्हित की जाने वाली शुद्ध आय निकालने के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु समेकित समनुषंगियों की शुद्ध आय में अल्पसंख्यक हित को पहचानना और समूह की आय के प्रति समायोजित किया जाना चाहिए।

(ङ) समेकित समनुषंगियों के शुद्ध आस्तियों में अल्पसंख्यक हित, पहचाने और मूल उद्यम के शेयर धारकों की इक्विटी और उसके दायित्वों से अलग, समेकित तुलनपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। शुद्ध आस्तियों में अल्पसंख्यक शामिल करते हैं:

(i) समनुषंगी में किए गए विनिधान की तारीख पर अल्पसंख्यकों के प्रति चिन्हित की जा सकने वाली समता की रकम ; और

(ii) मूल समनुषंगी संबंध के अस्तित्व में आने की तारीख से समता के संचलन में अल्पसंख्यकों का भाग।

जहाँ समनुषंगी में विनिधान की कैरिंग रकम इसकी लागत से भिन्न होती है वहाँ उपरोक्त गणनाओं के लिए कैरिंग रकम पर विचार किया जाता है।

स्पष्टीकरण :

(क) समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाने के लिए कर व्यय (चालू कर और आस्थगित कर सहित), मूल उद्यम और इसकी समनुषंगियों के पृथक वित्तीय विवरणों में प्रकट हो रहे कर व्यय की रकमों का योग होनी चाहिए।

(ख) यह ध्यान में रखते हुए कि समेकित वित्तीय विवरणों का, उद्देश्य समूह की पूर्ण रूप से वित्तीय जानकारी को प्रस्तुत करना है, समनुषंगी के अर्जन के पश्चात् की आरक्षितियों में मूल के शेयर को, जो समेकित तुलनपत्र में तत्संबंधी आरक्षितियों का एक भाग होता है, पृथक समेकित तुलनपत्र में पृथकतः प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। यह देखेते हुए, समेकित तुलनपत्र में प्रकट समेकित आरक्षितियाँ, समनुषंगी के अर्जन के पश्चात् की आरक्षितियों में मूल के शेयर सहित होते हैं।

14. विनिधान किए जाने की तारीख पर, समनुषंगी की समता में मूल उद्यम का भाग, विनिधान तारीख पर समनुषंगी के वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के आधार पर अवधारित होता है। यद्यपि, अगर विनिधान तारीख पर समनुषंगी के वित्तीय विवरण उपलब्ध न हो और यदि उस तारीख पर समनुषंगी के वित्तीय विवरण बनाना अव्यवहारिक हो तो, समेकन के लिए, तत्कालिक पूर्ववती अवधि हेतु समनुषंगी के वित्तीय विवरण आधार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन वित्तीय विवरणों में, महत्वपूर्ण संव्यवहारों के या उन अन्य घटनाओं के प्रभाव के लिए समायोजानाएँ की जाती हैं, जो ऐसे वित्तीय विवरणों की तारीख और समनुषंगी में विनिधान की तारीख के बीच घटित होती हैं।

15. यदि एक उद्यम भिन्न तारीखों पर अन्य उद्यम में दो या अधिक बार विनिधान करता है और अन्ततः अन्य उद्यम का नियंत्रण प्राप्त करता है तो, समेकित वित्तीय विवरण केवल उस तारीख से ही प्रस्तुत होते हैं जिस तारीख से नियंत्री समनुषंगी संबंध अस्तित्व में आता है। यदि एक समयावधि के दौरान दो या दो से अधिक विनिधान किए जाते हैं, तो उपरोक्त पैरा 13 के उद्देश्य के लिए, विनिधान की तारीख पर समनुषंगी की समता प्रायः पर एक–एक करके निर्धारित होती है ; यद्यपि, यदि एक समयावधि में छोटे विनिधान किए जाते हैं और तब एक ऐसा विनिधान किया जाता है जिसका परिणाम नियंत्रण में निकलता है, तो विनिधान की पश्चात् की तारीख, व्यवहारिक उपाय के रूप में, विनिधान की तारीख मानी जा सकती है।

16. आंतर समूह शेष और आंतर समूह संव्यवहार और परिणामस्वरूप उत्पन्न अप्राप्त लाभों को पूर्णतः हटा देना चाहिए। जब तक कि लागत प्राप्त न की जा सके, तब तक आंतर समूह संव्यवहारों से उत्पन्न अप्राप्त हानियों को भी हटा देना चाहिए।

17. बिक्री, व्यय और लाभांशों समेत आंतर समूह शेष और आंतर समूह संव्यवहार, पूर्णतः हटाए जाते हैं। आंतर समूह संव्यवहारों से उत्पन्न वे अप्राप्त लाभ जो आस्तियों की कैरिंग रकम में शामिल किए जाते हैं, जैसे कि सूचीबद्ध सामान और स्थिर आस्तियाँ पूर्णतः हटाए जाते हैं। आंतर समूह संव्यवहारों से उत्पन्न वे अप्राप्त हानियाँ जो आस्तियों की कैरिंग रकम निकालने में घटाई जाती हैं, वे भी जब तक कि लागत वसूल न की जा सके, तब तक हटाई जाती हैं।

IndiaCode

18. समेकन में प्रयुक्त वित्तीय विवरण, समान रिपोर्टिंग तारीख तक आरेखित होने चाहिए। यदि ऐसी तारीख तक एक या अधिक समनुषंगियों के वित्तीय विवरणों को तैयार करना व्यवहारिक नहीं है और तदनुसार, वे वित्तीय विवरण भिन्न रिपोर्टिंग तारीखों तक आरेखित होते हैं तो उन महत्वपूर्ण संव्यवहारों और अन्य घटनाओं के प्रभावों के लिए समायोजन किए जाने चाहिए, जो उन तारीखों और मूल उद्यम के वित्तीय विवरणों के बीच घटित हुई हैं। किसी भी दशा में, रिपोर्टिंग तारीखों के बीच का अन्तर छः मास से अधिक नहीं होना चाहिए।

19. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त मूल और समनुषंगियों के वित्तीय विवरण सामान्यतः समान तारीख तक आरेखित होते हैं। जब रिपोर्टिंग तारीखें भिन्न होती हैं तो, समनुषंगी बहुधा समेकन उद्देश्यों के लिए मूल वाली तारीख पर विवरण तैयार करती है। जब ऐसा करना अव्यवहारिक होता है तो, भिन्न रिपोर्टिंग तारीखों तक आरेखित वित्तीय विवरणों का प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु यह तब जब कि रिपोर्टिंग तारीखों के बीच का अंतर छः मास से अधिक न हो। संगतता के सिद्धांत द्वारा यह अपेक्षित होता है कि एक अवधि से दूसरी अवधि में रिपोर्टिंग अवधियों की समय अवधि और रिपोर्टिंग तारीखों में कोई भी अंतर समान होना चाहिए।

20. समेकित वित्तीय विवरण, एक जैसे संव्यवहारों और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए, समरूप लेखा नीतियों का प्रयोग करके तैयार किए जाने चाहिए। यदि समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते हुए समरूप लेखा नीतियों का प्रयोग व्यवहारिक नहीं हो तो, यह तथ्य समेकित वित्तीय विवरणों में उन मदों के अनुपातों के साथ प्रकट किए जाने चाहिए जिनके लिए भिन्न लेखा नीतियाँ लागू की गई है।

21. यदि समूह का एक सदस्य, एक जैसे संव्यवहारों और एक जैसी परिस्थितियों में घटनाओं के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखा नीतियों के अतिरिक्त अन्य लेखा नीतियों का प्रयोग करता है तो, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इसके वित्तीय विवरणों का प्रयोग करते हुए, इसके वित्तीय विवरणों के प्रति उचित समायोजन किए जाते हैं।

22. समनुषंगी के प्रचालनों के परिणाम उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किए जाते हैं, जिस तारीख पर मूल–समनुषंगी संबंध अस्तित्व में आते हैं। उस समनुषंगी के प्रचालनों के परिणाम जिसके साथ मूल के संबंध समाप्त हो गए हों, संबंध की समाप्ति की तारीख तक, लाभ और हानि के समेकित विवरण में शामिल होते है। समनुषंगी में विनिधान के व्ययन से प्राप्त आगम और व्ययन की तारीख पर इसकी आस्तियों की कैरिंग रकम घटा दायित्वों के बीच का अंतर लाभ और हानि के समेकित विवरण में, समनुषंगी में विनिधान के व्ययन पर लाभ या हानि के रूप में अभिज्ञात होते हैं। एक लेखा अवधि से अगली लेखा अवधि तक वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए, रिपोर्टिंग तारीख पर वित्तीय स्थिति और प्रतिवेदित अवधि के परिणामों पर तथा पूर्ववर्ती अवधि के लिए तत्संबंधी रकमों पर समनुषंगी के अर्जन और व्ययन के प्रभाव के बारे में बहुधा अनुपूरक जानकारी प्रदान की जाती है।

23. उद्यम में विनिधान को, उस तारीख से, लेखा मानक 13, विनिधानों के लिए लेखा, के अनुसार लेखाबद्ध करना चाहिए, जिस तारीख से एक उद्यम, समनुषंगी नहीं रहता और एक सहयुक्त नहीं बनता।[1]

24. विनिधान की उस तारीख पर जब यह (उद्यम) समनुषंगी नहीं रहती, कैरिंग रकम उसके बाद से लागत मानी जाती है।

25. अल्पसंख्यकों के हितों को मूल उद्यम के शेयर धारकों की समता और दायित्वों से अलग समेकित तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समूह की आय में अल्पसंख्यकों के हितों को भी पृथकतः प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

26. समेकित समनुषंगी में अल्पसंख्यकों के प्रति प्रयोज्य हानियाँ, समनुषंगी की समता में अल्पसंख्यकों के हित से अधिक हो सकती हैं। आधिक्य और अल्पसंख्यकों के प्रति प्रयोज्य अन्य अतिरिक्त हानियाँ बहुसंख्यकों के हित के प्रति समायोजित होती हैं, केवल इस सीमा तक कि अल्पसंख्यकों के पास हानि की पूर्ति करने के लिए आबद्धकर बाध्यता है और वे ऐसा करने में सक्षम है। यदि समनुषंगी उत्तरगामी रूप से लाभ रिपोर्ट करती है तो, जब तक कि अल्पसंख्यकों के हिस्से की उन हानियों, जो पहले बहुसंख्यकों द्वारा आमेलित किए गए थे, की पूर्ति न हो जाए, तब तक ऐसे सभी लाभ बहुसंख्यक हितों को आबंटित किए जाते हैं।

27. यदि एक समनुषंगी के पास ऐसे बकाया संचित अधिमानी शेयर हैं जो समूह के बाहर धारित हैं, तो लाभांश घोषित हुए हो या नहीं, मूल उद्यम, समनुषंगी के अधिमानी लाभांशों के लिए समायोजित करने के बाद अपने लाभों या हानियों के हिस्से की गणना करता है।

[1] लेखा मानक, 23, *सहयुक्तों में विनिधानों हेतु समेकित वित्तीय विवरणों में लेखा* 'सहयुक्त' शब्द को परिभाषित करता है तथा समेकित वित्तीय विवरणों में विनिधान के लिए लेखा से संबंधित आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट करता है।

मूल उद्यम के पृथक वित्तीय विवरणों में समनुषंगियों में विनिधानों के लिए लेखा

28. मूल उद्यम के पृथक वित्तीय विवरणों में समनुषंगी में विनिधान को लेखा मानक 13, विनिधानों के लिए लेखा, के अनुसार लेखाबद्ध करना चाहिए।

प्रकटन

29. पैरा 11 और 20 द्वारा अपेक्षित प्रकटनों के साथ, निम्नलिखित प्रकटन भी किए जाने चाहिए :

(क) समेकित वित्तीय विवरणों में, नाम, निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हित के अनुपात और यदि भिन्न है तो धारित मतदान शक्ति का अनुपात सहित सभी समनुषंगियों की सूची।

(ख) जहाँ लागू हो, वहाँ समेकित वित्तीय विवरणों में :

(i) यदि मूल उद्यम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से समनुषंगियों के द्वारा समनुषंगी की आधे से अधिक मतदान शक्ति का स्वामित्व नही रखता है तो मूल और समनुषंगी के बीच संबंध की प्रकृति;

(ii) रिपोर्टिंग तारीख पर वित्तीय स्थिति रिपोर्टिंग अवधि के परिणामों और पूर्ववर्ती अवधि के लिए तत्समान रकमों पर समनुषगियों के अर्जन और व्ययन के प्रभाव ; और

(iii) उन समनुषिगयों के नाम जिनकी रिपोर्टिंग तारीख मूल उद्यम से भिन्न है और रिपोर्टिंग तारीखों में अंतर।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

30. पहली बार समेकित वित्तीय विवरणों के प्रस्तुत किए जाने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए तुलनात्मक संख्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही होती है। सभी उत्तरगामी वर्षों में, पूर्ववर्त्ती अवधि के लिए, पूर्ण तुलनात्मक संख्याएँ समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

दृष्टांत

टिप्पण : यह दृष्टांत लेखा मानक का भाग नहीं है। इसका उद्देश्य लेखा मानक के अर्थ के स्पष्टीकरण में सहायता प्रदान करना है।

कम्पनियों की दशा में, मूल उद्यम और/या समनुषंगी के पृथक वित्तीय विवरणों के प्रति टिप्पणों में दी गई ऐसी जानकारी जैसी की नीचे दी गयी है, को समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं होती :

1. वे स्रोत जिनसे बोनस शेयर जारी होते है जैसे कि, लाभों का पूँजीकरण या आरक्षितियों या शेयर प्रीमियम लेखा से।

2. अप्रयुक्त धनराशियों के विनिधान का स्वरूप दर्शाते हुए, निगमन में से बची अप्रयुक्त धनराशियों का प्रकटन।

3. उन लघु उद्योग उद्यम (उद्यमों) का (के) नाम जिसके प्रति, तीस दिन से अधिक बकाया ब्याज सहित किसी भी रकम में कम्पनी की देनदारी हो।

4. पृथक रूप से व्यापारिक विनिधानों और अन्य विनिधानों को वर्गीकृत करते हुए, उन निगमित निकायों के नाम दर्शाते हुए (एक ही प्रबंधन में निगमित निकायों के नामों को पृथकतः दर्शाते हुए) जिनके शेयरों या ऋणपत्रों में विनिधान किए गए हैं (उस तारीख के बाद किए गए सभी विनिधान चाहे उपस्थित हो या नही, जिस पर पिछला तुलनपत्र बनाया था) और ऐसी प्रत्येक निगमित निकाय में किए गए विनिधान की प्रकृति और रकम को दर्शाते हुए, विनिधानों का विवरण (चाहे ''विनिधान'' के अंतर्गत दर्शाए गए हों या व्यापार स्टाक की तरह ''चालू आस्तियों'' के अंतर्गत दर्शाए गए हों)।

5. विक्रय, उपभोग किए गए कच्चे माल, जहाँ कहीं भी प्रयोज्य हो, उत्पादित की गई, व्यापारित और खरीदी गई वस्तुओं के आरंभिक और अंतिम स्टॉक के संदर्भ में मात्रात्मक जानकारी।

6. निदेशकों (प्रबंध–निदेशकों समेत) या प्रबंधकों (यदि हो तो) के प्रति शुद्ध लाभ के प्रतिशत द्वारा देय कमीशनों की गणना के सुसंगत विवरण के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार शुद्ध लाभों की गणना दर्शाता हुआ विवरण ।

IndiaCode

7. विनिर्माण कम्पनियों की दशा में, अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षमता (जहाँ अनुज्ञप्ति प्रवृत्त हो); संस्थापित क्षमता ; और वास्तविक उत्पादन के संदर्भ में मात्रात्मक जानकारी।

8. निम्नलिखित के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा भाड़ा बीमा सहित मूल्य के आधार पर निकाला गया आयातों का मूल्य :

(क) कच्चे माल ;

(ख) घटक और कल पुर्जे ;

(ग) पूंजीगत माल।

9. रायल्टी, व्यवहार—ज्ञान, व्यवसायिक, परामर्श शुल्क, ब्याज और अन्य विषयों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय।

10. वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग किए गए सभी आयातित कच्चे माल, कल पुर्जों और घटकों के मूल्य और समान रूप से उपभोग किए गए सभी देशी कच्चे माल, कल पुर्जों और घटकों का मूल्य और कुल उपभोग के प्रति प्रत्येक का प्रतिशत।

11. गैर—आवासीय शेयर धारकों की विशिष्ट उल्लिखित संख्या और उनके द्वारा धारण किए गए उन शेयरों जिन पर लाभांश देय थे और वह वर्ष जिनसे लाभांश सम्बंधित थे के साथ लाभांशों के लिए वर्ष के दौरान विदेशी मुद्राओं में प्रेषित रकम।

12. विदेशी मुद्रा में आय जो निम्न शीषर्कों में वर्गीकृत की गई है :

(क) एफ. ओ. बी. के आधार पर गणना की गई वस्तुओं का निर्यात ;

(ख) रायल्टी, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवसायिक और परामर्श फीस ;

(ग) ब्याज और लाभांश ;

(घ) अन्य आय, उनकी प्रकृति उपदर्शित करते हुए।"

IndiaCode

12. मूल नियम में "अनुलग्नक" में "लेखा मानक" शीर्ष के अधीन "लेखा मानक (एएस) 29" के स्थान पर निम्नलिखित लेखा मानक रखे जाएँगे, अर्थात् :—

"लेखा मानक 29

उपबंधित रकमें, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियाँ

(इस लेखा मानक में कुछ ***मोटे तिरछे*** *टाइप और कुछ सीधे टाईप में व्यवस्थित पैरा सम्मिलित है, जिनका समान प्राधिकार है। मोटे तिरछे टाइप में दिये गए पैरा मुख्य सिद्धांत उपदर्शित करते हैं। इस लेखा मानक को अधिसूचना के प्रति उपाबंध के भाग क में अतंर्विष्ट साधारण अनुदेशों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये।)*

लेखा मानक 29 के प्रभाव में आने से लेखा मानक 4, *आकस्मिकताएँ और तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली घटनाएँ,* के सभी पैरा जो आकस्मिकताओं से संबंधित हैं (जैसे कि पैरा 1(क), 2, 3.1, 4 (4.1 से 4.4), 5 (5.1 से 5.6), 6,7 (7.1 से 7.3), 9.1 (सम्बंधित अनुभाग), 9.2, 10, 11, 12 और 16) को वापिस ले लिया गया है सिवाय उनके जो उन आस्तियों के ह्रास से सम्बंधित हैं जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत नहीं हैं।

उद्देश्य

इस मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त अभिज्ञान की कसौटियों और माप आधारों को उपबंधित रकमों और आकस्मिक दायित्वों पर लागू किया जाए और वित्तीय विवरणों मे दी गई टिप्पणियों में पर्याप्त सूचना प्रकट की जाए ताकि प्रयोगकर्त्ता उनकी प्रकृति, समय और रकम को समझ सकें। इस मानक का प्रयोजन आकस्मिक आस्तियों के लिए उपयुक्त लेखा अधिकथित करना भी है।

कार्यक्षेत्र

1. इस मानक को उपबंधित रकमों और आकस्मिक दयित्वों तथा आकस्मिक आस्तियों के लेखे में लागू करना चाहिये, सिवाय निम्नलिखित के :

(क) जो वित्तीय लिखतों[1] के परिणामस्वरूप होते हैं और जिनको उचित मूल्य पर दिखाया गया है ;

(ख) निष्पादन योग्य संविदा का परिणाम सिवाय जहाँ संविदा दुर्भर है।

स्पष्टीकरण

(i) 'दुर्भर संविदा' वह संविदा है जिसमें संविदा की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अपरिहार्य लागत, उस संविदा से प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक है। अतः एक संविदा को दुर्भर संविदा तभी कहा जायेगा यदि संविदा के अधीन उसे पूरा करने की अनिवार्य लागतें उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से अधिक हों। इस संविदा के आधीन अपरिहार्य लागतें इस संविदा से निकलने की शुद्ध न्यूनतम लागत को प्रदर्शित करती हैं जो कि संविदा को पूरा करने की लागत और संविदा को पूरा न करने की स्थिति में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति या दण्ड में से कम है।

(ii) यदि किसी उद्यम के पास ऐसी संविदा है जो दुर्भर है, इस मानक के अधीन वर्तमान बध्यता अभिज्ञात की जाती है और उपबंधित रकम की तरह, उसकी माप की जाती है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण को लागू करना इस मानक से संलग्न दृष्टांत ग के दृष्टांत 10 में स्पष्ट किया गया है।

(ग) जो बीमा धारकों के साथ संविदा से बीमा उद्यम में उत्पन्न होते हैं ; और

(घ) जो दूसरे लेखा मानकों के अधीन हैं।

2. यह मानक उन वित्तीय लिखतों पर (गारंटियों को सम्मिलित करते हुए) लागू होता है जिनको उचित मूल्य पर नहीं दिखाया जाता है।

3. निष्पादन योग्य संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनके अधीन या तो किसी पक्ष ने अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं किया या दोनों पक्षों ने समान सीमा तक अपनी बाध्यताओं को आंशिक रूप से पूरा किया है। यह मानक निष्पादन योग्य संविदाओं पर तब तक लागू नहीं होता जब तक कि वे दुर्भर न हों।

4. यह मानक बीमा उद्यमों की उपबंधित रकमों, आकस्मिक दायित्वों और आकस्मिक आस्तियों पर लागू होता है सिवाय बीमाधारियों से उत्पन्न संविदाओं के।

5. यदि कोई अन्य लेखा मानक विशेष प्रकार की उपबंधित रकम, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्ति का वर्णन करता है, उद्यम इस मानक की बजाय उसी मानक को लागू करता है। उदाहरणतः कुछ विशेष प्रकार की उपबंधित रकमों को निम्नलिखित लेखा मानकों में सम्बोधित किया गया है :

(क) निर्माण ठेके (देखिए लेखा मानक 7, *निमार्ण ठेके*) ;

(ख) आय पर कर (देखिए लेखा मानक 22, *आय पर करों के लिए लेखा*) ;

(ग) पट्टे (देखिए लेखा मानक 19, *पट्टे*) यद्यपि क्योंकि लेखा मानक 19 में प्रचालन पट्टे जो दुर्भर बन चुके हैं उनका प्रतिपादन करने के लिए कोई विशेष अनिवार्यताएं नहीं हैं, यह मानक ऐसे मामलों पर लागू होता है; और

(घ) सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं (देखिए लेखा मानक 15, *कर्मचारी प्रसुविधाएं*)

6. कुछ रकमें जिनको उपबंधित रकमों की तरह प्रतिपादित किया जाता है, राजस्व के अभिज्ञान से सम्बंधित हो सकती हैं, उदाहरण के लिए जहाँ एक उद्यम फीस के बदले में गारंटी देता है। यह मानक राजस्व के अभिज्ञान को सम्बोधित नहीं करता है। लेखा मानक 9, ऐसी परिस्थितियों की पहचान करता है जहाँ राजस्व को अभिज्ञात किया जाता है और अभिज्ञान के आधार को लागू करने के लिए व्यवहारिक मार्ग दर्शन करता है। यह मानक लेखा मानक 9, की अपेक्षाओं को नहीं बदलता है।

[1] इस मानक के प्रयोजन के लिए, 'वित्तीय लिखत' का वही अर्थ होगा जैसा कि लेखा मानक 20, *प्रति शेयर उपार्जन, में* है।

7. यह मानक उपबंधित रकमों को ऐसे दायित्वों की तरह परिभाषित करता है जिनकी माप सारभूत डिग्री का उपयोग करके किया जा सकता है। उपबंधित रकम शब्द का प्रयोग कुछ ऐसे मदों के लिए भी किया जाता है जैसे कि अवक्षयण, आस्तियों का ह्रास और संदिग्ध उधार, ये आस्तियों की कैरिंग रकम पर समायोजन हैं और इनको इस मानक में सम्बोधित नहीं किया गया है।

8. अन्य लेखा मानक निश्चित करते हैं कि व्ययों को आस्तियाँ माना जाए या खर्च । इस मानक में इन विषयों को सम्बोधित नहीं किया गया है। तदनुसार जब उपबन्ध किया जाता है तो यह मानक न तो पहचानी गई लागतों के पूंजीकरण को आवश्यक मानता है न ही इस पर रोक लगाता है।

9. यह मानक पुनर्निमाण के लिए उपबंधित रकमों पर लागू होता है (बंद हो रहे प्रचालनों सहित)। जहाँ पुनर्निमाण बंद हो रहे प्रचालनों की परिभाषा को पूरा करता है वहाँ लेखा मानक 24, *बंद हो रहे प्रचालन,* के द्वारा अतिरिक्त प्रकटन की अपेक्षा होती है।

परिभाषाएँ

10. इस मानक में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग विनिर्दिष्ट अर्थों के साथ किया गया है :

10.1. उपबंधित रकम ऐसा दायित्व है जिसे प्राक्कलन की सारभूत डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है।

10.2 .दायित्व पूर्व घटनाओं से उत्पन्न उद्यम की वर्तमान बाध्यता है जिसके व्ययन से आर्थिक लाभ वाले संसाधन से उद्यम के बाहरी प्रवाह की अपेक्षा है।

10.3. बाध्यबद्ध घटना वह घटना है जो ऐसी बाध्यता को सृजित करती है जिसका परिणाम एक ऐसा उद्यम है जिसके पास उस बाध्यता को निपटाने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

10.4. आकस्मिक दायित्व :

(क) एक संभव बाध्यता जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसकी विद्यमानता एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से पुष्ट होगी जो कि उद्यम के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है ; या

(ख) एक वर्तमान बाध्यता जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती है जो अभिज्ञात नहीं की जाती है क्योंकि:

(i) यह अधिसंभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की बाध्यता का निपटारा करने के लिए आवश्यकता होगी ; या

(ii) दायित्व की रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है।

10.5 आकस्मिक आस्ति एक संभव आस्ति है जो पूर्व घटनाओं से उत्पन्न होती है, जिसकी विद्यमानता एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से पुष्ट होगी जो कि उद्यम के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है।

10.6 वर्तमान बाध्यता—कोई बाध्यता तब वर्तमान बाध्यता है यदि, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर इसकी विद्यमानता को सम्भाव्य माना गया है, अर्थात न होने से होने की संभावना अधिक है।

10.7 संभव बाध्यता—कोई बाध्यता तब संभव बाध्यता है यदि, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर है, तुलन पत्र की तारीख पर जिसकी विद्यमानता को अधिसंभाव्य नहीं माना गया है।

10.8 पुनर्संरचना एक कार्यक्रम है जिसे प्रबंधन द्वारा योजनाबद्ध और नियंत्रित किया जाता है, और यह महत्वपूर्ण रूप से बदलता है या तो :

(क) एक उद्यम द्वारा किये गए व्यापार के कार्यक्षेत्र को, या

(ख) एक तरीके को जिससे व्यापार का संचालन किया जाता है।

IndiaCode

11. बाध्यता एक निश्चित तरीके से निष्पादन या कार्य करने का कर्त्तव्य या उत्तदायित्व है। बाध्यता बाध्यकारी संविदा या कानूनी अपेक्षा के परिणामस्वरूप विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो सकती है। बाध्यता सामान्य कारबारी व्यवहार, परम्परा और अच्छे कारबारी संबंध को बनाये रखने की इच्छा या एक साम्यापूर्ण रीति से कार्य करने के कारण भी उत्पन्न होती है।

12. उपबंधित रकमों को अन्य दायित्वों से जैसे कि व्यापारिक देयताओं और प्रोद्भवनों से अलग किया जा सकता है क्योंकि भविष्य के खर्चों के निपटारे के लिए उपबंधित रकमों के मापन में सारभूत डिग्री तक प्राक्कलन सम्मिलित होता है। इसके विपरीतः

(क) व्यापारिक देयताएं उन मालों या सेवाओं के भुगतान के दायित्व हैं जो प्राप्त हो चुकी हैं या जिनकी आपूर्ति हो चुकी है और उनका बीजक कट चुका हो या औपचारिक ढंग से विक्रेता से समझौता हो चुका हो ; और

(ख) प्रोद्भवन उन माल और सेवाओं के भुगतान के दायित्व हैं जो प्राप्त किये जा चुके हैं या जिनकी आपूर्ति हो चुकी है लेकिन भुगतान नहीं किया गया है, न बीजक कटा है या औपचारिक ढंग से विक्रेता से समझौता नहीं हुआ है, और इसमें कर्मचारियों को संदेय रकम को सम्मिलित करना। यद्यपि, कई बार प्रोद्भवनों का प्राक्कलन करना पड़ता है, परन्तु प्राक्कलन की डिग्री उपबंधित रकम की तुलना में बहुत कम होती है।

13. इस मानक में 'आकस्मिक' शब्द दायित्वों और आस्तियों के लिए प्रयोग होता है जो अभिज्ञात नहीं किये गये हैं क्योंकि उनके विद्यमान होने की पुष्टि भविष्य की अनिश्चित घटनाओं जो कि पूर्णतः उद्यम के नियंत्राण में नहीं है, के होने या न होने से होगी। इसके अतिरिक्त, शब्द 'आकस्मिक दायित्व' उन दायित्वों के लिए प्रयोग होता है जो अभिज्ञान की कसौटियों पर खरे नहीं उतरते हैं।

अभिज्ञान

उपबंधित रकमें

14. किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात कर देना चाहिये जब :

(क) किसी पूर्व घटना के परिणाम स्वरूप किसी उद्यम के पास वर्तमान दायित्व है;

(ख) यह अधिसम्भाव्य है कि दायित्व के निपटारे में आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी ; और

(ग) दायित्व की रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती है तो किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं करना चाहिये।

वर्तमान बाध्यता

15. प्रायः सभी मामलों में यह स्पष्ट होगा कि क्या पूर्व घटना वर्तमान बाध्यता को जन्म दे चुकी है। कुछ विरले मामलों में, उदाहरणतः एक कानूनी मुकद्दमें में, यह विवाद का विषय है कि या तो कुछ घटनाएँ घटी हैं या उन घटनाओं का परिणाम वर्तमान दायित्व है। इस प्रकार के मामले में, एक उद्यम यह निश्चित करता है कि क्या कोई दायित्व सभी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, उदाहरणार्थ विशेषज्ञों की राय का समावेश करते हुए, तुलन पत्रा की तारीख पर विद्यमान है। विचार किये गये साक्ष्य तुलन पत्रा की तारीख के पश्चात् घटनाओं द्वारा प्रदत्त किन्हीं अतिरिक्त साक्ष्य को भी सम्मिलित करते हैं। ऐसे साक्ष्य के आधार पर :

(क) जहाँ न होने की अपेक्षा इस बात के होने की अधिक संभावना हो कि तुलन पत्र की तारीख पर वर्तमान बाध्यता विद्यमान है,उद्यम किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात करता है (यदि अभिज्ञान के मानदंडों को पूरा किया जाता है); और

(ख) इस बात की अधिक संभावना हो कि तुलनपत्र की तारीख को कोई वर्तमान बाध्यता विद्यमान नहीं है, उद्यम आकस्मिक दायित्व प्रकट करता है, जब तक कि आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की संभावना बहुत कम न हो (पैरा 68, देखिए)

पूर्व घटना

16. कोई पूर्व घटना जिसका परिणाम एक वर्तमान बाध्यता है एक बाध्यबद्ध घटना कहलाती है। एक घटना के बाध्यबद्ध घटना होने के लिए यह अनिवार्य है कि उस घटना से उत्पन्न दायित्व के निपटारे के अतिरिक्त उद्यम के पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

IndiaCode

17. वित्तीय विवरण एक उद्यम की रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में वित्तीय स्थिति को सम्बोधित करते हैं न कि इसकी भविष्य की सम्भावित स्थिति को । इसलिए वे लागतें जिनकी भविष्य में प्रचालन के लिए आवश्यकता है उनके लिए उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया जाता है। उद्यम तुलन पत्रा में केवल उन्हीं दायित्वों को अभिज्ञात करता है जो तुलन पत्रा की तारीख को विद्यमान होते हैं।

18. केवल एक उद्यम की भावी कार्यवाही (अर्थात् इसके व्यापार का भावी व्यवहार) से स्वतंत्रा रूप से विद्यमान पूर्व घटनाओं से उत्पन्न बाध्यताओं को उपबंधित रकम के रूप में अभिज्ञात किया जाता है। इस प्रकार की बाध्यताओं के उदाहरण है, गैर–विधिक पर्यावरण क्षति के लिए सफाई लागतें या शास्तियाँ, दोनों उद्यम की भावी कार्यवाही पर विचार किये बगैर निपटारे में आर्थिक लाभ वाले संसाधन को बाह्य प्रवाह की तरफ ले जायेंगे। इसी प्रकार एक उद्यम को एक तेल स्थापना की डिकमिशनिंग लागत की उपबंधित रकम को उस सीमा तक अभिज्ञात करना चाहिये जहाँ तक एक उद्यम पहले से हुई क्षति को ठीक करने के लिए उत्तरदायी है। इसके विपरीत, कुछ मामलों में वाणिज्यिक दबाव या विधिक अपेक्षाओं के कारण एक उद्यम को भविष्य में एक विशेष तरीके से प्रचालन पर व्यय करने का आशय हो सकता है या आवश्यकता हो सकती है (उदाहरणतः, एक विशेष प्रकार की फैक्टरी में धुँआ छन्नी के द्वारा)। क्योंकि एक उद्यम अपनी भावी कार्यवाही द्वारा भविष्य के व्यय से बच सकता है, उदाहरण के लिए, प्रचालन के तरीके को बदल कर, तो उसके पास भावी व्यय के लिए वर्तमान बाध्यता नहीं है और किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया जाता है।

19. बाध्यता में हमेशा एक अन्य पक्षकार होता है जिसके प्रति बाध्यता होती है। यद्यपि उस पक्षकार की पहचान करना जरूरी नहीं है जिस पक्ष के प्रति बाध्यता है—वास्तव में यह जनता के प्रति भी हो सकती है।

20. विधि में परिवर्तन के कारण एक घटना जो तुरंत उसी समय ही बाध्यता को उत्पन्न न कर सकी हो, भविष्य में भी बाध्यता को उत्पन्न कर सकती है । उदाहरणतः, जब पर्यावरण में क्षति हुई हो, हो सकता है उस समय क्षति की पूर्ति की कोई बाध्यता न हो। तथापि यह क्षति एक बाध्यता बन जाएगी जब नयी विधि के अनुसार वर्तमान घटना के कारण हुई क्षति को सुधारना अनिवार्य हो जाये।

21. जहाँ प्रस्तवित नयी विधि के प्रस्ताव को अन्तिम स्वरूप देना शेष है, बाध्यता तभी उत्पन्न होगी जब विधान का लागू होना वास्तव में निश्चित हो जाए। लागू करने की परिस्थितियों में अन्तर आ जाने से यह पहचानना असम्भव सा हो जाता है कि कौन सी एक निश्चित घटना विधि का लागू होना सुनिश्चित कर सकती है। अनेक मामलों में तो जब तक विधि अधिनियमित न हो जाये तब तक इसके लागू होने के बारे में वास्तव में सुनिश्चित होना असंभव हो जाता है।

आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के अधिसम्भाव्य बाह्य प्रवाह

22. एक दायित्व को अभिज्ञान के लिए अर्हित होने के लिए न केवल एक वर्तमान बाध्यता का होना आवश्यक है बल्कि उस बाध्यता के निपटारे के लिए अर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह का होना भी अधिसम्भाव्य आवश्यक है। इस मानक[2] के प्रयोजन के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह या एक घटना को अधिसम्भाव्य माना जायेगा यदि घटना घटने की संभावना घटना न घटने की संभावना की अपेक्षा अधिक हो अर्थात इस बात की अधिसम्भाव्यता कि घटना घटेगी, घटना के न घटने की अधिसम्भाव्यता से अधिक होगी। जब यह अधिसम्भाव्य न हो कि कोई वर्तमान बाध्यता विद्यमान है, उद्यम आकस्मिक हानि का प्रकटन करता है, जब तक कि आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की सम्भावना नगण्य न हो। (देखिए, पैरा 68)

23. जहाँ पर समान प्रकार की कई बाध्यताएं हैं (उदाहरणतः उत्पाद वारंटी या इसी प्रकार की संविदाएं) यह अधिसम्भाव्यता कि निपटारे में बाह्य प्रवाह आवश्यक होगा कुल मिलाकर बाध्यताओं की श्रेणी पर विचार करते हुए निश्चित की जानी चाहिए। यद्यपि किसी एक मद के बाह्य प्रवाह की सम्भावना बहुत कम हो सकती है तो भी यह सम्भव है कि बाध्यताओं की श्रेणी के निपटारे के लिए कुछ संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता हो। यदि यह मामला है तो उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है (यदि अभिज्ञान की अन्य कसौटी को पूरा कर दिया गया हो)।

बाध्यता का विश्वसनीय अनुमान

24. वित्तीय विवरण को तैयार करने में अनुमानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथापि यह इनकी विश्वसनीयता को कम नहीं करते हैं। यह उन उपबंधित रकमों के सम्बंध में तो विशेषरूप से सत्य है जो अपनी प्रकृति के कारण अन्य मदों की अपेक्षा अनुमानों पर अधिक निर्भर हैं। सिवाय बहुत दुर्लभ मामलों में एक उद्यम सम्भावित परिणामों के परास को निश्चित करने में समर्थ होगा और इसलिए बाध्यता का अनुमान लगा सकता है जिसको उपबंधित रकम के अभिज्ञान के लिए विश्वास के साथ प्रयोग किया जा सकता है।

[2] इस मानक के 'अधिसम्भाव्य' शब्द की व्याख्या 'न होने की अपेक्षा, होने की अधिक सम्भावना' अन्य लेखा मानकों में आवश्यक रूप से लागू नहीं होती है।

25. अत्यंत दुर्लभ मामले में जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता, एक दायित्व विद्यमान होता है जिसको अभिज्ञात नहीं किया जा सकता है। उस दायित्व को एक आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट किया जाता है। (पैरा 68, देखिए)

आकस्मिक दायित्व

26. ***एक उद्यम को आकस्मिक दायित्व को अभिज्ञात नहीं करना चाहिए।***

27. पैरा 68 की अपेक्षा के अनुसार, एक आकस्मिक हानि को प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधन के बाह्य प्रवाह की सम्भावना नगण्य न हो।

28. जहाँ कोई उद्यम एक दायित्व के लिए संयुक्त और पृथक रूप से उत्तरदायी है, दायित्व के उस भाग को जिसे अन्य पक्षकारों द्वारा पूरा किये जाने की अपेक्षा है आकस्मिक दायित्व माना जाता है। उद्यम बाध्यता के उस भाग के लिए उपबंधित रकम को अभिज्ञात करता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह अधिसम्भाव्य होता है, सिवाय उन अत्यधिक दुर्लभ परिस्थितियों के जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता (देखिए, पैरा 14)।

29. आकस्मिक दायित्व ऐसे तरीके से विकसित हो सकते हैं जैसी आरम्भ में आशा नहीं थी। इसलिए निरंतर यह निर्धारित करने के लिए अनुमान लगाया जाता है कि क्या आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की अधिसम्भाव्यता हो गयी है। यदि यह अधिसम्भाव्यता है कि किसी ऐसी मद के लिए जिसको पूर्व अवधि में आकस्मिक दायित्व माना गया था, उसके लिए भावी आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी तो पैरा 14 के अनुसार उस अवधि के वित्तीय विवरणों में जिसमें कि अधिसम्भाव्यता में परिवर्तन हुआ है, उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है (सिवाय अत्यंत दुलर्भ परिस्थितियों के जहाँ पर कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है)।

आकस्मिक आस्तियाँ

30. एक उद्यम को आकस्मिक आस्ति को अभिज्ञात नहीं करना चाहिये।

31. आकस्मिक आस्तियाँ आमतौर पर गैर योजनागत या अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो उद्यम के लिए आर्थिक लाभों के अर्न्तप्रवाह की सम्भावना को उत्पन्न करती हैं। इसका उदाहरण, एक ऐसा दावा है जिसका उद्यम विधिक प्रक्रिया द्वारा अनुसरण कर रहा है जहाँ पर परिणाम निश्चित नहीं है।

32. आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात नहीं किया जाता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप उस आय को अभिज्ञात कर सकते हैं जिसे कभी वसूल नहीं किया जा सकता है। यद्यपि जब आय का प्राप्त करना वस्तुतः निश्चित है, तब सम्बंधित आस्ति आकस्मिक आस्ति नहीं है, इसका अभिज्ञान उचित है।

33. आकस्मिक आस्ति को वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया जाता है। साधारणतः इसको अनुमोदक प्राधिकारी की रिपोर्ट में प्रकट किया जाता है (कम्पनी के मामले में निदेशक बोर्ड और, अन्य किसी उद्यम के मामले में तत्संबंधी अनुमोदक प्राधिकारी), जहाँ पर आर्थिक लाभों का अर्न्तप्रवाह अधिसंभाव्य है।

34. आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण निरंतर किया जाता है और यदि यह वास्तव में निश्चित हो जाता है कि आर्थिक लाभों का अर्न्तप्रवाह उत्पन्न होगा, आस्ति और सम्बंधित आय को उस अवधि के वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात किया जाता है जिस अवधि में परिवर्तन हुआ है।

मापन

सर्वोत्तम अनुमान

35. उपबंधित रकम की मात्रा तुलनपत्र की तारीख पर वर्तमान बाध्यता के निपटारे के लिए आवश्यक व्यय का सर्वोत्तम अनुमान होना चाहिए। उपबंधित रकम को वर्तमान मूल्य तक मितिकाटा नहीं करना चाहिये, डिकमिशनिंग, प्रत्यावर्तन तथा समरूप दायित्वों को छोड़कर जो संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत के रूप में अभिज्ञात हैं। मितिकाटा दर (या दरें) कर पूर्व दर (या दरें) होनी चाहिए जो मुद्रा के समय मूल्य तथा दायित्व के विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करता (ते) है (हैं)। मितिकाटा दर (दरें) को उन जोखिमों को प्रतिबिंबित नही करना चाहिए जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह अनुमानों (प्राक्कलनों) को समयोजित की गई हैं। बट्टा (मितिकाटा) को लाभ–हानि विवरण में आवधिक पड़ताल (अनवाइंडिंग) को अभिज्ञात किया जाना चाहिए।

IndiaCode

36. परिणाम के अनुमानों और वित्तीय प्रभाव का निर्धारण उद्यम के प्रबंधन के निर्णय पर होता है, जिसको इसी प्रकार के संव्यवहारों के अनुभव से अनुपूरित किया जाता है, कुछ मामलों में, स्वतंत्रा विशेषज्ञों की रिपोर्ट से अनुपूरित किया जाता है। विचार किए गए साक्ष्यों में तुलनपत्र की तारीख के पश्चात् घटनाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कोई अतिरिक्त साक्ष्य भी सम्मिलित होते हैं।

37. उपबंधित रकम को कर पूर्व मापा जाता है; उपबंधित रकम पर कर के परिणाम और उसमें परिवर्तनों को लेखा मानक 22, *आय पर करों के लिए लेखा,* के अधीन सम्बोधित किया जाता है।

जोखिम और अनिश्चितताएँ

38. किसी उपबंधित रकम के सर्वोत्तम अनुमान प्राप्त करने के लिए उन जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखना चाहिये जो अनिवार्य रूप से कई घटनाओं तथा परिस्थितियों को घेरे रहते हैं।

39. जोखिम परिणाम की परिवर्तनशीलता का वर्णन करता है। जोखिम का समायोजन उस रकम को बढ़ा सकता है जिस पर दायित्व को मापा गया है। अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय करने में सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि आय या आस्तियों को ज्यादा वर्णित न किया जाये और व्यय तथा दायित्व को कम वर्णित न किया जाय। यद्यपि अनिश्चितता अत्यधिक उपबंधित रकम या दायित्व के जानबूझ कर अत्यधिक वर्णन को न्याय संगत नहीं ठहराती है। उदाहरणार्थ, किसी विशेष प्रतिकूल परिणाम की आँकी गयी अनुमानित लागत, विवेक के आधार पर अनुमानित की जाती है, उस परिणाम को जानबूझ कर जो स्थिति की वास्तविकता है उससे अधिक अधिसम्भाव्य नहीं माना जाता है। जोखिम और अनिश्चितता के समायोजन के दोहराव, जिससे उपबंधित रकमें बढ़ती हैं, से बचने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है।

40. व्यय की रकम को घेरने वाली अनिश्चितताओं का प्रकटन पैरा 67(ख) के अधीन किया जाता है।

भावी घटनाएँ

41. भावी घटनाएँ जो एक बाध्यता के निपटारे के लिए आवश्यक रकम को प्रभावित कर सकती हैं, को उपबंध की रकम में परिलक्षित होना चाहिये बशर्ते इस बात के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हों कि वे घटेंगी।

42. प्रत्याशित भावी घटनाएँ उपबन्धित रकमों को मापने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उदाहरणतः एक उद्यम यह विश्वास कर सकता है कि भविष्य में तकनीकी परिवर्तनों के कारण संयंत्रा के उपयोगी जीवन के अंत में सफाई की लागतें कम हो जायेंगी। इसके लिए जिस रकम को अभिज्ञात किया गया है वह तकनीकी योग्यता प्राप्त, वस्तुनिष्ठ निरीक्षकों के द्वारा साक्ष्यों के आधार पर सफाई के समय उपलब्ध होने वाली तकनीक को ध्यान में रख कर लगाये गए अनुमानों को प्रदर्शित करती है। अतः उनको सम्मिलित करना उचित होगा, उदाहरण के लिए, वर्तमान तकनीक को लागू करने में अधिक अनुभव के कारण प्रत्याशित लागत में कमी या पहले की अपेक्षा बड़े या अधिक जटिल सफाई कार्यक्रम में वर्तमान तकनीक को लागू करने की लागत । यद्यपि उद्यम पूरी तरह नई तकनीक के विकास की पहले से ही आशा नहीं करता है जब तक कि यह पर्याप्त वस्तुनिष्ठ साक्ष्य द्वारा समर्थित न हो।

43. विद्यमान बाध्यता के मापन में सम्भावित नये विधान पर विचार किया जाता है जब नये विधान के वास्तव में लागू होने के पर्याप्त वस्तुनिष्ठ साक्ष्य उपलब्ध हों । व्यवहार में उत्पन्न होने वाली अनेकों भिन्न—भिन्न परिस्थितियों के कारण किसी एकल घटना जो प्रत्येक मामले में वस्तुनिष्ठ साक्ष्य प्रदान कर सके, को निश्चित करना असम्भव हो जाता है। साक्ष्य की आवश्यकता दोनों में है कि विधान की क्या मांग है और क्या यह वास्तव में निश्चित है कि यह उचित समय में विधान बन जायेगा और लागू हो जायेगा। बहुत से मामलों में विधान के लागू होने तक भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं।

आस्तियों का प्रत्याशित व्ययन

44. उपबंधित रकम को मापने के लिए आस्तियों के प्रत्याशित व्ययन से हुए लाभों को विचार में नहीं लेना चाहिये।

45. आस्तियों के प्रत्याशित व्ययन से हुए लाभों को उपबंधित रकम के मापन के लिए विचार में नहीं लिया जाता है, चाहे प्रत्याशित व्ययन उपबंधित रकम को उत्पन्न करने वाली घटना से निकटता से जुड़ा है। इसके विपरीत, एक उद्यम उस लेखा मानक के द्वारा जो संबंधित आस्तियों को सम्बोधित करते हैं, दिये गए निश्चित समय पर आस्तियों के प्रत्याशित व्ययन के लाभों को अभिज्ञात करता है।

प्रतिपूर्तियाँ

46. जहां पर उपबंधित रकम का निपटारा करने के लिए आवश्यक कुछ या संपुर्ण व्यय की दूसरे पक्षकार द्वारा प्रतिपूर्ति होने की आशा है, तो प्रतिपूर्ति को तब और केवल तभी अभिज्ञात किया जाएगा जब यह वास्तव में निश्चित हो जाये कि उद्यम द्वारा बाध्यता का निपटारा कर देने पर प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जायेगी। प्रतिपूर्ति को अलग आस्ति मानना चाहिये। प्रतिपूर्ति के लिए अभिज्ञात रकम को उपबंधित रकम की मात्राा से अधिक नहीं होना चाहिये।

47. लाभ–हानि के विवरण में, उपबंधित रकम से संबंधित व्यय को प्रतिपूर्ति की अभिज्ञात रकम से शुद्ध करके दिखाना चाहिए।

48. कई बार एक उद्यम उपबंधित रकम के निपटारे के लिए व्यय के पूर्णतया या अंशतः दायित्व के भुगतान के लिए अन्य पक्षकार पर निर्भर हा सकता है (उदाहरणतः, बीमा संविदाएं, क्षतिपूर्ति धारा या विक्रेताओं की वारंटी)। अन्य पक्षकार उद्यम द्वारा दी गई रकम की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं या प्रत्यक्ष भुगतान कर सकते हैं।

49. अधिकांश मामलों में उद्यम जिक्र की गयी सम्पूर्ण रकम के लिए उत्तरदायी होता है जिससे कि उद्यम को सम्पूर्ण रकम का निपटारा करना पड़ेगा यदि तीसरा पक्षकार किसी कारण से भुगतान ना कर सके। इस स्थिति में दायित्व की सम्पूर्ण रकम के लिए उपबंध को अभिज्ञात किया जाता है और प्रत्याशित प्रतिपूर्ति के लिए एक अलग आस्ति को भी अभिज्ञात किया जाता है जब यह निश्चित हो जाये कि प्रतिपूर्ति हो जायेगी यदि उद्यम दायित्व का भुगतान कर दे।

50. कुछ मामलों में उद्यम जिक्र की गयी लागतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि तीसरा पक्षकार भुगतान करने में असमर्थ हो। इस प्रकार के मामलों में उद्यम का उन लागतों के लिए दायित्व नहीं है इसलिए उनको उपबंधित रकम में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

51. जैसा कि पैरा 28 में दिया गया है कि एक दायित्व जिसके लिए उद्योग संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी है अन्य पक्षकारों द्वारा बाध्यता के निपटारे की अपेक्षित सीमा तक आकस्मिक आस्ति है।

उपबंधित रकमों में परिवर्तन

52. प्रत्येक तुलनपत्रकी तारीख को उपबंधित रकम का पुनर्विलोकन करना चाहिए और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किये जाने चाहिये। यदि यह और अधिक अधिसम्भाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह दायित्व के निपटारा करने के लिए आवश्यक होगा, तो उपबंध को उलटना चाहिये।

उपबंधित रकमों का उपयोग

53. एक उपबंधित रकम का उपयोग केवल उन्हीं खर्चों के लिए करना चाहिये जिनके लिए उपबंधित रकम को मूल रूप से अभिज्ञात किया गया था।

54. केवल मूल उपबंधित रकमों से सम्बंधित व्ययों को ही उसके विरुद्ध समायोजित किया जाता है। व्ययों को किसी ऐसी उपबंधित रकम से समायोजित करना जिसको मूलतः किसी और प्रयोजन के लिए अभिज्ञात किया गया था, दो अलग–अलग घटनाओं के प्रभाव को छुपा देगा ।

अभिज्ञान तथा मापन नियमों का लागू होना

भावी प्रचालन हानियाँ

55. भावी प्रचालन हानियों के लिए उपबंधित रकमों को अभिज्ञात नहीं करना चाहिये।

56. भावी प्रचालन हानियाँ पैरा 10 में दायित्व की परिभाषा के और उपबंधित रकमों को निर्धारित करने के पैरा 14 में सामान्य अभिज्ञान कसौटियों को पूरा नहीं करती हैं ।

57. भावी प्रचालन हानियों की प्रत्याशा इस बात का संकेत है कि प्रचालन की कुछ आस्तियों का ह्रास हो सकता है। एक उद्यम इन आस्तियों के ह्रास का परीक्षण लेखा मानक 28ए *आस्तियों का* ह्रास, के अनुसार में करता है।

IndiaCode

पुनर्संरचना

58. वे घटनाएँ जो पुनर्संरचना की परिभाषा में आ सकती हैं उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं:

(क) व्यवसाय की एक रेखा का विक्रय या समापन ;

(ख) एक देश में या क्षेत्रा में अवस्थानों का बंद होना या एक देश या क्षेत्रा से दूसरे देश अथवा क्षेत्रा में पुनर्स्थापित करना ;

(ग) प्रबंधतंत्रा संरचना में परिवर्तन, उदाहरण के लिए प्रबंधतंत्रा के एक स्तर को समाप्त कर देना ; और

(घ) आधारभूत पुनर्संगठन जिनका उद्यम के प्रचालनों की प्रकृति और क्रियाओं के फोकस पर सारभूत प्रभाव है।

59. पुनर्संरचना लागतों के लिए उपबंधित रकम को केवल तभी अभिज्ञात किया जाता है जब पैरा 14 में दी गयीं उपबंधित रकमों के अभिज्ञान के लिए दी कसौटियाँ पूरी होती हैं।

60. एक प्रचालन के विक्रय से कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता जब तक कि उद्यम विक्रय के लिए वचनबद्ध नहीं है अर्थात वहाँ एक बाध्य विक्रय करार है।

61. एक उद्यम एक विक्रय के लिए वचनबद्ध नहीं हो सकता जब तक कि क्रेता की पहचान न हो जाय और बाध्य विक्रय करार न हो। जब तक बाध्य विक्रय करार नहीं है, तो उद्यम के विचार में परिवर्तन आ सकता है, और वास्तव में उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा यदि उसे स्वीकार्य शर्तों पर क्रेता न मिल सके । जब एक प्रचालन के विक्रय को पुनर्संरचना का भाग माना जाता है, तो लेखा मानक 28, *आस्तियों का* ह्रास, के अधीन प्रचालन की आस्तियों के ह्रास का पुनर्विलोकन किया जाता है।

62. पुनर्संरचना की उपबंधित रकम में केवल पुनर्संरचना से उत्पन्न प्रत्यक्ष व्ययों को सम्मिलित करना चाहिये, वह जो कि निम्नलिखित दोनों हैं :

(क) आवश्यक रूप से पुनर्संरचना पर हुए हैं ; और

(ख) उद्यम के चल रहे क्रियाकलापों से जुड़े नहीं है।

63. पुनर्संरचना की उपबंधित रकम ऐसी लागतें सम्मिलित नहीं करती है जैसे कि :

(क) बने रहने वाले कर्मचारियों की पुनर्स्थापना या पुनर्प्रशिक्षण;

(ख) विपणन; या

(ग) नये प्रणाली और वितरण नेटवर्क में विनिधान ;

इन व्ययों का संबंध व्यवसाय के भविष्य के संचालन से है और तुलन पत्रा की तारीख पर पुनर्संरचना के लिए दायित्व नहीं है। ऐसे व्ययों को उसी आधार पर अभिज्ञात किया जाता है जैसे कि वे पुनर्संरचना से स्वतंत्रा रूप से उत्पन्न हुए हों।

64. पुनर्संरचना की तारीख तक पहचान योग्य भावी प्रचालन हानियाँ उपबंधित रकम में सम्मिलित नहीं की जाती हैं।

65. पैरा 44 की अपेक्षा के अनुसार, आस्तियों के अपेक्षित व्ययन पर लाभों को सम्मिलित नहीं किया जाता है चाहे आस्तियों के व्ययन को पुनर्संरचना के भाग के रूप में परिकल्पित किया गया हो।

प्रकटन

66. उपबंधित रकम की प्रत्येक श्रेणी के लिए किसी उद्यम को निम्न लिखित को प्रकट करना चाहिए :

(क) अवधि के आरम्भ और अंत पर कैरिंग रकम ;

(ख) अवधि में किये गए अतिरिक्त उपबंध, विद्यमान उपबंधित रकमों में व द्धि सहित ;

(ग) अवधि के दौरान प्रयुक्त रकम (अर्थात् उपबंधित रकम के विरूद्ध उत्पन्न और प्रभारित) ; तथा

(घ) अवधि के दौरान अप्रयुक्त रकम का उलटाव।

परन्तु एक लघु और मध्यम आकार की कम्पनी, जिसे अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, के पास उपरोक्त पैरा 66 का अनुपालन करने का विकल्प है।

67. उपबंधित रकम की प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्यम को निम्नलिखित को प्रकट करना चाहिये :

(क) बाध्यता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण और किन्ही परिणामिक आर्थिक लाभों के बाह्य प्रवाह का अपेक्षित समय ;

(ख) इन बाह्य प्रवाहों के बारे में अनिश्चितता का संकेत। जैसा कि पैरा 41 में कहा गया है, किसी उद्यम को सम्बन्धित भावी घटनाओं के बारे में की गयी मुख्य मान्यताओं को प्रकट करना चाहिये, यदि पर्याप्त सूचना को प्रदान करना अपेक्षित है ; और

(ग) किसी प्रत्याशित प्रतिपूर्ति की रकम, उस आस्ति की रकम को बताते हुए जिसको उस प्रत्याशित प्रतिपूर्ति के लिए अभिज्ञात किया गया है।

परन्तु एक लघु और मध्यम माध्यम आकार की कम्पनी, जिसे अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, के पास उपरोक्त पैरा 67 का अनुपालन करने का विकल्प है।

68. जब तक निपटारे में किसी बाह्य प्रवाह की संभावना नगण्य न हो, किसी उद्यम को तुलन पत्र की तारीख पर आकस्मिक दायित्व की प्रत्येक श्रेणी के लिए आकस्मिक दायित्व की प्रकृति के संक्षिप्त विवरण का प्रकटन करना चाहिये और, जहाँ व्यवहारिक हो:

(क) पैरा 35–45 के अधीन मापा गया, इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान ;

(ख) किसी बाह्य प्रवाह से सम्बंधित अनिश्चितताओं का संकेत ; और

(ग) किसी प्रतिपूर्ति की संभावना।

69. यह निर्धारित करने के लिए किस उपबंधित रकम या आकस्मिक दायित्व को एक श्रेणी बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, यह विचार करना आवश्यक है कि मदों की प्रकृति उनके बारे में एकल विवरण के लिए पैरा 67 (क) और (ख) और 68 के (क) और (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, पर्याप्त रूप से समान हैं। इस प्रकार विभिन्न उत्पादों की वारंटी से संबंधित उपबंध की रकम को एकल श्रेणी में मानना उपयुक्त होगा, परन्तु कानूनी कार्यवाही के तहत रकमों और सामान्य वारंटी से संबंधित रकमों कों एकल श्रेणी रकम में मानना उपयुक्त नहीं होगा।

70. जहाँ उपबंधित रकम और आकस्मिक दायित्व एक ही प्रकार की परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, कोई उद्यम पैरा 66–68 की अपेक्षा के अनुसार प्रकटन इस तरीके से करता है जो उपबंधित रकम और आकस्मिक दायित्व के मध्य की कड़ी को दिखाता है।

71. जहाँ पर पैरा 68 द्वारा अपेक्षित किसी सूचना को प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है, तो उस तथ्य को बताना चाहिये।

72. बहुत ही दुर्लभ मामलों में आकस्मिक दायित्वों की उपबंधित रकम के विषय में पैरा 66–70 में अपेक्षित सभी या कुछ सूचनाओं का प्रकटन अन्य पक्षकारों के साथ विवाद में, उद्यम के विरोध में धारणा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मामलों में, उद्यम को जानकारी प्रकट करना अपेक्षित नहीं है, परन्तु विवाद की सामान्य प्रकृति के साथ यह तथ्य और कारण कि क्यों सूचना को प्रकट नहीं किया गया है, को प्रकट करना चाहिए ।

संक्रमणकालीन उपबंध

73. डिकमिशनिंग, प्रत्यावर्तन तथा समरूप दायित्वों (देखें अनुच्छेद 35) के मौजूदा सभी उपबंधों को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संबंधित मद में तत्संबंधी प्रभाव के साथ प्रत्याशित रूप से मितिकाटा करना चाहिए।

दृष्टांत क

तालिकाएं उपबंधित रकम, आकस्मिक दायित्व और प्रतिपूर्तियां

इस दृष्टांत का प्रयोजन मानक की मुख्य अपेक्षाओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना है। यह लेखा मानक का भाग नहीं है और इसे लेखा मानक के सम्पूर्ण मूल पाठ के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये।

उपबंधित रकम और आकस्मिक दायित्व

जहां, पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप, भावी आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का निम्नलिखित के निपटारे के लिए बाह्य प्रवाह हो सकता हैः (क) ऐसा वर्तमान दायित्व जिसका अस्तित्व तुलन पत्रा की तारीख पर अधिसम्भाव्य माना जाता है; (ख) ऐसी वर्तमान बाध्यता जिसका अस्तित्व तुलन पत्र की तारीख पर अधिसम्भाव्य नहीं माना जाता है।		
एक वर्तमान बाध्यता है जिससे सम्भवतः संसाधनों के बाह्य प्रवाह की अपेक्षा है और दायित्व की रकम का विश्वसनीयअनुमान लगाया जा सकता है।	**एक सम्भव बाध्यता है या वर्तमान बाध्यता है जिसके लिए बाह्य संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, परन्तु अधिसम्भाव्य रूप से होगी नहीं।**	**एक सम्भव बाध्यता है या वर्तमान बाध्यता है जहां पर संसाधनों के बाह्य प्रवाहों की संभावना नगण्य है।**
उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है (पैरा 14)। उपबंधित रकम के लिए प्रकटन की अपेक्षा है (पैरा 66 और 67)।	किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया जाता है (पैरा 26)। आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटन की अपेक्षा है (पैरा 68)।	किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया जाता है (पैरा 26)। किसी प्रकटन की अपेक्षा नहीं है (पैरा 68)।

प्रतिपूर्तियाँ

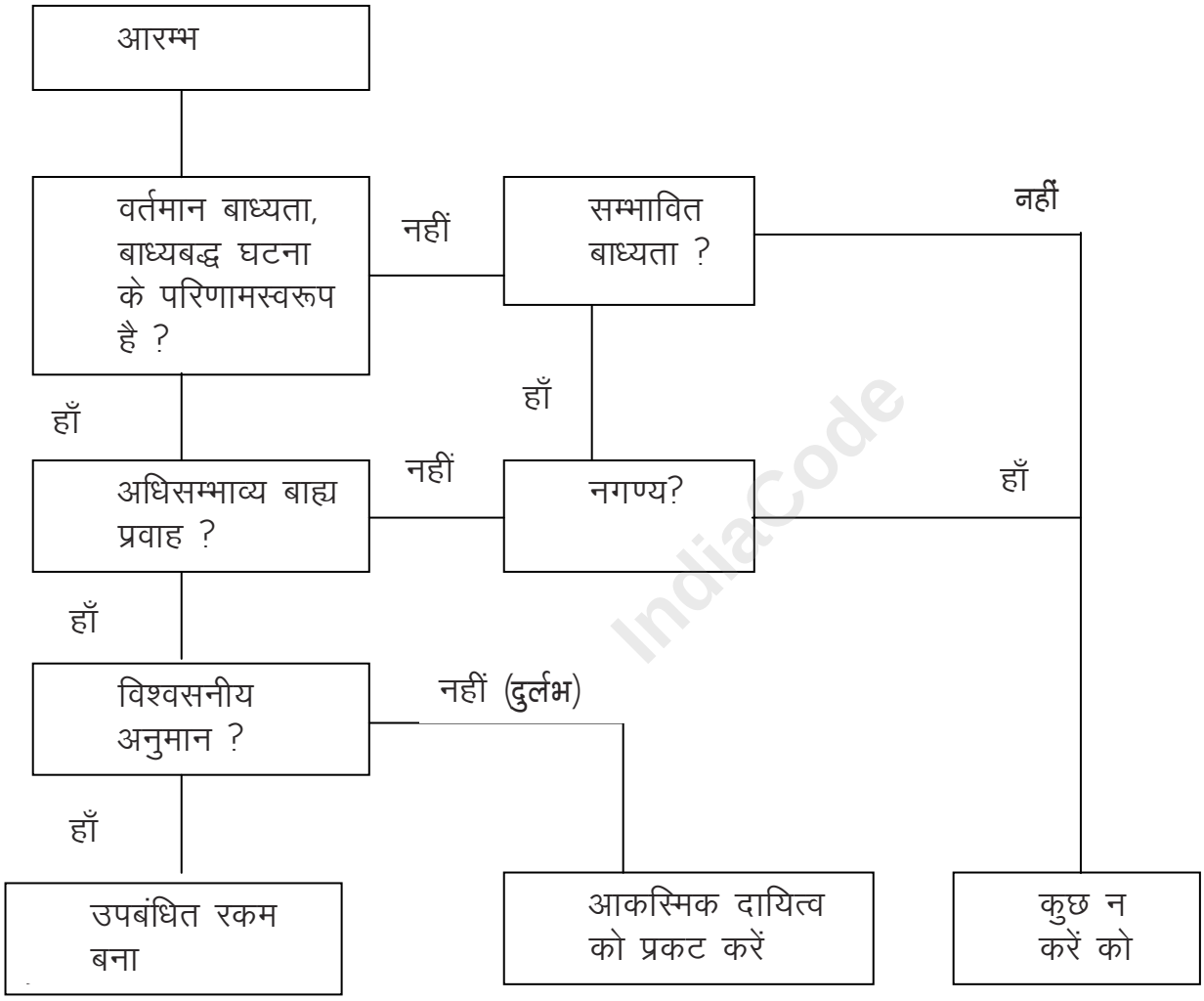
किसी उपबंधित रकम के निपटारे के लिए आवश्यक सभी या कुछ व्यय की प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा है।		
अन्य पक्षकार द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने वाले व्यय के भाग के लिए उद्यम की कोई बाध्यता नहीं है।	**वह रकम जिसकी प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा है उसकी बाध्यता उद्यम के पास रह जाती है और यह वास्तव में निश्चित है कि यदि उद्यम उपबंधित रकम का निपटारा करता है तो प्रतिपूर्ति की प्राप्ति होगी।**	**वह रकम जिसकी प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा है उसका बाध्यता उद्यम के पास रह जाती है और यह वास्तव में निश्चित नहीं है कि यदि उद्यम उपबंधित रकम का निपटारा करता है तो प्रतिपूर्ति की प्राप्ति होगी।**
प्रतिपूर्ति की जान वाली रकम के लिए उद्यम का कोई दायित्व नहीं है (पैरा 50)।	तुलन पत्रा में प्रतिपूर्ति को एक अलग आस्ति की तरह अभिज्ञात किया जाता है जो कि लाभ—हानि खाते के विवरण में व्यय के पूर्ण रूप से बराबर हो सकती है। प्रत्याशित प्रतिपूर्ति के लिए अभिज्ञात रकम दायित्व से अधिक नहीं होती है (पैरा 46 और 47)।	प्रत्याशित प्रतिपूर्ति को आस्ति की तरह अभिज्ञात नहीं किया जाता है (पैरा 46)।
किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं ।	प्रतिपूर्ति को प्रतिपूर्ति के लिए अभिज्ञात रकम के साथ ही प्रकट किया जाता है (पैरा 67(ग))।	प्रत्याशित प्रतिपूर्ति प्रकट की जाती है (पैरा 67 (क))।

IndiaCode

दृष्टांत ख

निर्णय वृक्ष

निर्णय वृक्ष का उद्देश्य उपबंधित रकमों और आकस्मिक दायित्वों के लिए लेखा मानक की मुख्य अभिज्ञान अपेक्षाओं को संक्षिप्त रूप देना है। निर्णय वृक्ष लेखा मानक का भाग नहीं है और लेखा मानक के सम्पूर्ण मूल पाठ के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिये



टिप्पण : दुर्लभ परिस्थितियों में, यह स्पष्ट नहीं होता है कि वर्तमान बाध्यता है इस मामले में यह मान लिया जाता है कि एक पूर्व घटना वर्तमान बाध्यता को उत्पन्न करता है यदि, सभी प्राप्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, तुलन पत्रा की तारीख पर वर्तमान दायित्व विद्यमान होने की सम्भावना न होने की अपेक्षा अधिक है (मानक का पैरा 15)।

IndiaCode

दृष्टांत ग

दृष्टांत : अभिज्ञान

यह दृष्टांत लेखा मानक को लागू करने के दृष्टांत देता है जो इसको समझने के लिए सहायक हैं। यह लेखा मानक का भाग नहीं है।

दृष्टांतों में सभी उद्यमों के वर्ष का अंत 31 मार्च माना गया है। सभी मामलों में, यह माना जाता है कि किसी भी प्रत्याशित बाह्य प्रवाह का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ उदाहरणों में वर्णित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप आस्तियों का ह्रास हुआ है इन उदाहरणों में इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

दृष्टांतों में दिए गए अन्तर्प्रसंग लेखा मानक के ऐसे पैरा की ओर संकेत करते हैं जो विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। इस दृष्टांत को सम्पूर्ण मूल पाठ के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

दृष्टांत 1 : वारंटी

एक निर्माता अपने उत्पाद के विक्रय के समय क्रेताओं को वारंटी देता है। विक्रय संविदा की शर्तों के अनुसार निर्माता विक्रय की तारीख से तीन साल के भीतर होने वाले निर्माण दोषों को उत्पाद की मरम्मत द्वारा या बदल कर हानि को पूरा करने का वादा करता है। गत अनुभव के आधार पर यह अधिसंभाव्य है (अर्थात न होने से होने की अधिक संभावना है) कि वारंटी के कुछ दावे होंगे।

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान बाध्यता

— बाध्यबद्ध घटना वारंटी के साथ उत्पाद का विक्रय है जो किसी बाध्यता को उत्पन्न करती है।

निपटारे के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह

— सभी वारंटी पर अखंड रूप से अधिसम्भाव्य है (देखिए पैरा 23)।

निष्कर्ष : तुलन पत्रा की तारीख से पूर्व वारंटी पर बेचे गए उत्पाद की हानि को पूरा करने की लागतों के सर्वोत्तम अनुमान के लिए उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है (देखिए पैरा 14 और 23)।

दृष्टांत 2 : प्रदूषित भूमि—विधान का लागू होना वास्तव में निश्चित

तेल उद्योग में एक उद्यम प्रदूषण फैला रहा है परन्तु सफाई नहीं करता है क्योंकि सफाई के बारे में कोई अधिनियम नहीं है, और उद्यम कई वर्षों से भूमि को प्रदूषित कर रहा है। 31 मार्च 2005 को यह वास्तव में निश्चित है कि पहले से प्रदूषित भूमि की सफाई को अनिवार्य बनाने वाला अधिनियम वर्ष के समाप्त होने के कुछ ही समय में लागू हो जायेगा।

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप उत्पन्न वर्तमान बाध्यता : बाध्यबद्ध घटना भूमि प्रदूषण है, क्योंकि सफाई के लिए विधान वास्तव में निश्चित है।

निपटारे के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह : अधिसम्भाव्य।

निष्कर्ष : सफाई की लागत के सर्वोत्तम अनुमान के लिए एक उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है (देखिए पैरा 14 और 21)

दृष्टांत 3 : अपतट तेल क्षेत्र

कोई उद्यम अपतटीय तेल क्षेत्रा का प्रचालन करता है जहाँ अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार उत्पादन की समाप्ति पर तेल मस्तूल को हटाना और समुद्र तल को पूर्व स्थिति में लाना अनिवार्य है। अंतिम लागतों में कुल लागत का नब्बे प्रतिशत तेल मस्तूल को हटाने और उसके बनाने के कारण हुई क्षति को पूरा करने, और दस प्रतिशत तेल को निकालने के लिए खर्च होता है। तुलनपत्र की तारीख पर तेल मस्तूल बनाया जा चुका है परन्तु तेल नहीं निकाला गया है।

पूर्व बाध्यबद्ध घटना से उत्पन्न वर्तमान बाध्यता तेल मस्तूल का निर्माण अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार मस्तूल को हटाने और समुद्र तल को पूर्व स्थिति में लाने की बाध्यता को उत्पन्न करता है अतः यह एक बाध्यबद्ध घटना है। तुलन पत्रा की तारीख पर, यद्यपि उस क्षति में सुधार के लिए कोई बाध्यता नहीं है जो कि तेल निकालने के कारण होगी।

IndiaCode

निपटारे के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह– अधिसम्भाव्य।

निष्कर्ष : अंतिम लागत के नब्बे प्रतिशत के सर्वोत्तम अनुमान जिनका संबंध मस्तूल को हटाने और मस्तूल के निर्माण के कारण हुई क्षति को दूर करने से संबंधित है, इसके लिए उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है (देखिए पैरा 14) । यह लागतें तेल मस्तूल की लागत में एक भाग के रूप में सम्मिलित होती हैं। लागत के दस प्रतिशत जो तेल निकालने के कारण उत्पन्न होती है, उसको दायित्व की तरह तब अभिज्ञात करते हैं जब तेल निकाला जाता है।

दृष्टांत 4 : प्रतिदाय की नीति

एक फुटकर दुकान की नीति है कि वह असंतुष्ट ग्राहक के क्रय किये गए माल का प्रतिदाय करती है, हालांकि ऐसा करने के लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है। उसकी इस प्रतिदाय की नीति की जानकारी सामान्यतः सब को है।

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता – बाध्यबद्ध

घटना माल का विक्रय है, जो कि बाध्यता को उत्पन्न करती है क्योंकि बाध्यता सामान्य व्यापारिक क्रियाओं, रीतियों, अच्छे व्यापारिक संबंधों और साम्यता के आधार पर कार्य करने की इच्छा से भी उत्पन्न होती है।

निपटारे के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्यप्रवाह–अधिसम्भाव्य, बेचे हुए माल का कुछ भाग प्रतिदाय के लिए वापस होता है। (देखिए पैरा 23)

निष्कर्ष प्रतिदाय की लागतों के सर्वोत्तम अनुमान के लिए उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है (देखिए पैरा 11, 14 तथा 23)

दृष्टांत 5 : धुआं छन्नी को लगाने की विधिक अपेक्षा

नये विधान के अनुसार 30 सितम्बर 2005 तक एक उद्यम को अपनी फैक्टरी में धुआं छन्नी लगाना अनविार्य है। उद्यम ने धुआं छन्नी नहीं लगायी है।

(क) 31 मार्च 2005 की तुलन पत्रा की तारीख पर

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता –कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि धुआं छन्नी को लगाने या विधान के आधीन दण्ड के लिए कोई दायित्व सृजक घटना नहीं हुई है।

निष्कर्ष धुआं छन्नी की लागतों के लिए किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया जाता है (देखिए पैरा 14 और 16–18)।

(ख) 31 मार्च 2005 की तुलन पत्रा की तारीख पर

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता– धुआं छन्नी को लगाने की लागतों की अभी भी कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि कोई बाध्यबद्ध घटना नहीं घटी है। (छन्नी को लगाना)। यद्यपि विधान के अधीन जुर्माने या शास्तियों के भुगतान की बाध्यता उत्पन्न हो सकती है क्योंकि बाध्यबद्ध घटना घट चुकी है (फैक्टरी का प्रचालन बगैर नियमों का पालन किये)।

निपटारे के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह–नियमों का पालन न करने के कारण दंड या अर्थ दंड की लागत की अधिसम्भाव्यता विधान के विस्तृत विवरण और सरकार की नियमों को लागू करने की सख्ती पर निर्भर करता है।

निष्कर्ष धुंआ छन्नी लगाने के लिए उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया जाता है। यद्यपि दंड या अर्थ दंड, जिसके लगने की संभावना न लगने से बहुत अधिक है, उसके सर्वोत्तम अनुमान के लिए उपबंधित रकम अभिज्ञात किया जाता है (देखिए पैरा 14 और 16–18)।

दृष्टांत 6 : आयकर व्यवस्था में परिवर्तन के कारण कर्मचारियों का पुनः प्रशिक्षण

सरकार आयकर व्यवस्था में अनेक परिवर्तनों को प्रारंभ करती है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वित्तीय सेवा क्षेत्र में लिप्त एक उद्योग को वित्तीय सेवा नियमावली के निरंतर पालन के लिए अपने प्रशासन और विक्रय विभाग के कर्मचारियों के बड़े भाग को पुनः प्रशिक्षित करना पड़ता है। तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारियों का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है।

IndiaCode

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता – कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि कोई बाध्यबद्ध घटना (पुनः प्रशिक्षण) नहीं घटी है । (पैरा 14 और 16–18)

दृष्टांत 7 : एकल गारंटी

2004–05 में उद्योग *क* किसी उद्योग *ख* के कुछ उधारों की गारंटी देता है जिसकी वित्तीय स्थिति उस समय सुदृढ़ है। 2005–06 में उद्योग ख की वित्तीय स्थिति बिगड़ जाती है और 30 सितम्बर 2005 को उद्योग ख समापन की ओर चला जाता है।

(क) 31 मार्च 2005 को

पूर्व बाध्यबद्ध घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता –बाध्यबद्ध घटना ऐसी गारंटी का देना है जो बाध्यता को उत्पन्न करती है।

निपटारे के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह– 31 मार्च 2005 को लाभों का बाह्य प्रवाह अधिसंभाव्य नहीं है।

निष्कर्ष– किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है (देखिए पैरा 14 और 22)। गारंटी को आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि किसी बाह्य प्रवाह की संभावना नगण्य न हो (देखिए पैरा 68) ।

(ख) 31 मार्च 2006 को

पूर्व बाध्यबद्ध घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता – बाध्यबद्ध घटना ऐसी गारंटी का देना है जो विधिक रूप से बाध्य दायित्व को उत्पन्न करती है।

निपटारे के लिए आर्थिक लाभों करने वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह– 31 मार्च 2006 को अधिसम्भाव्य है कि बाध्यता के निपटारे के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष –दायित्व के सर्वोत्तम अनुमान के लिए उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है (देखिए पैरा 14 से 22)

टिप्पण : यह उदाहरण एकल गारंटी को सम्बोधित करता है। यदि उद्यम के पास ऐसी गारंटी का संविभाग है तो आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह की अधिसम्भाव्यता का निर्धारण करने के लिए सम्पूर्ण संविभाग को एक साथ लेकर अनुमान लगाया जाएगा (देखिए पैरा 23)। यदि एक उद्यम फीस के बदले गारंटी देता है, तो राजस्व को लेखा मानक 9, *राजस्व अभिज्ञान* के अधीन अभिज्ञात किया जाता है।

दृष्टांत 8 : एक अदालती मामला

2004–05 में एक विवाह के उपरांत उद्यम द्वारा बेचे गए उत्पाद से सम्भवतः विषैले भोजन के कारण दस व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उद्यम से हरजाना प्राप्त करने के लिए विधिक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है परन्तु उद्यम ने इस दायित्व को चुनौती दी है। 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के समय तक उद्यम के वकीलों के मतानुसार यह अधिसम्भाव्य है कि उद्यम को उत्तरदायी न माना जाये। यद्यपि, जब उद्यम 31 मार्च 2006 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करता है, उसके वकीलों के मतानुसार मुकदमें के आगे बढ़ने के कारण यह अधिसम्भाव्य है कि उद्यम को उत्तरदायी माना जाये।

(क) 31 मार्च 2005 को

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता – वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के समय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गत घटनाओं के कारण कोई वर्तमान बाध्यता नहीं है।

निष्कर्ष– किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया जाता है। ('वर्तमान बाध्यता' की परिभाषा और पैरा 15 देखिए) । इस मामले को आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक किसी बाह्य प्रवाह की सम्भाव्यता नगण्य न हो (पैरा 68)।

(ख) 31 मार्च 2006 को

IndiaCode

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व – उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वर्तमान बाध्यता विद्यमान है।

निपटारे के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह– अधिसम्भाव्य।

निष्कर्ष –बाध्यता के निपटारे के लिए रकम के सर्वोत्तम अनुमान के लिए उपबंध को अभिज्ञात किया जाता है (पैरा 14 – 15)।

दृष्टांत 9 क : नवीनीकरण की लागतें विधिक आवश्यकता नहीं

एक भट्टी का एक अस्तर होता है जिसको हर पाँच वर्ष के पश्चात् तकनीकी कारणों से बदलने की आवश्यकता होती है। तुलन पत्र की तारीख पर अस्तर तीन वर्ष से प्रयोग में है।

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता – कोई वर्तमान बाध्यता नहीं हैं।

निष्कर्ष – किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया जाता है (देखिए पैरा 14 और 16–18)।

अस्तर को प्रतिस्थापित करने की लागत को अभिज्ञात नहीं किया गया है क्योंकि, तुलन पत्र की तारीख पर, कम्पनी की भविष्य की क्रियाओं से अस्तर को प्रतिस्थापित करने की कोई बाध्यता स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है यहाँ तक कि व्यय करने का आशय भी कम्पनी के निर्णय पर निर्भर करती है कि भट्टी को चलाने का कार्य जारी रखे या अस्तर को बदले।

दृष्टांत 9 ख : नवीनीकरण की लागतें विधिक आवश्यकता

एक हवाई जहाज कम्पनी को कानून के अनुसार अपने वायुयान की हर तीन वर्ष में एक बार पूरी तरह जांच और मरम्मत करने की आवश्यकता है।

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान् दायित्व– कोई वर्तमान बाध्यता नहीं है।
निष्कर्ष –किसी उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया गया है (देखिए पैरा 14 और 16 18) ।

वायुयान की जांच और पूर्ण मरम्मत की लागत की उपबंधित रकम को उसी कारण से अभिज्ञात नहीं किया जाता है जिससे कि उदाहरण 9 क में अस्तर को बदलने की लागत के लिए उपबंधित रकम को अभिज्ञात नहीं किया जाता हैं । यहाँ तक कि पूर्ण मरम्मत कराने की विधिक अनिवार्यता भी पूर्ण मरम्मत की लागत को बाध्यता नहीं बनाती है क्योकि वायुयान की पूर्ण मरम्मत के लिए उद्यम के भविष्य की कार्यवाही से स्वतंत्र रहते हुए कोई बाध्यता विद्यमान नहीं है उद्यम अपने भविष्य की कार्यवाही से भविष्य के खर्चों से बच सकता है, उदाहरण के लिए, वायुयान को बेच कर ।

दृष्टांत 10 : एक दुर्भर संविदा

एक उद्यम लाभ अर्जन करते हुए एक फैक्टरी चला रहा है जो इसने प्रचालन पट्टे के अन्तर्गत पट्टे पर ली है। 2005 में उद्यम प्रचालनों को नई फैक्टरी में पुनर्स्थापित करता है। पुरानी फैक्टरी पर पट्टा 4 साल तक चलता रहता है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता और न ही फैक्टरी को किसी और को प्रयोग करने के लिए पुनः किराये पर दिया जा सकता है।

पूर्व बाध्यबद्ध घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान् बाध्यता – जब उद्यम पट्टे के की संविदा से बाध्य हो जाता है बाध्यता सृजित करने वाली घटना घटित होती है जो कि विधिक बाध्यता उत्पन्न करती है।

निपटारे के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बाह्य प्रवाह–जब पट्टा दुर्भर हो जाता है तो आर्थिक लाभों वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह अधिसम्भाव्य हो जाता है (पट्टे के दुर्भर होने तक उद्यम पट्टे का लेखा मानक 19, *पट्टे,* के अधीन लेखा करता है)।

निष्कर्ष– अनिवार्य पट्टा भुगतानों के सर्वोत्तम अनुमान के लिए उपबंधित रकम को अभिज्ञात किया जाता है।

दृष्टांत घ

दृष्टांत : प्रकटन

यह दृष्टांत लेखा मानक का भाग नहीं है। इसका प्रयोजन लेखा मानक के लागू करने के लिए इसका अर्थ स्पष्ट करने में सहायता देने के लिए दृष्टांत देना है।

पैरा 67 द्वारा आवश्यक प्रकटनों का दृष्टांत नीचे दिया गया है।

दृष्टांत 1 : वारंटी

एक निर्माता विक्रय के समय अपने क्रेताओं को तीन उत्पाद रेखाओं पर वारंटी देता है। वारंटी के अनुसार निर्माता विक्रय की तारीख से दो वर्षों तक वस्तु के ठीक प्रकार से काम न करने पर उसकी मरम्मत या बदलने का वादा करता है। तुलन पत्र की तारीख पर 60,000 रू. उपबंधित रकम अभिज्ञान है। निम्नलिखित सूचना प्रकट की जाती है :

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उत्पाद की वारंटी दावों के लिए 60,000 रुपयों की उपबंधित रकमों को अभिज्ञात किया गया है। यह आशा की जाती है कि व्यय का अधिकांश भाग अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा, और सभी व्यय तुलन पत्र की तारीख के दो वर्ष के अन्दर होंगे।

पैरा 72 द्वारा अपेक्षित प्रकटन का एक दृष्टांत नीचे दिया गया है जहां कुछ अपेक्षित आवश्यक सूचना नहीं दी गई क्योंकि इससे उद्यम की स्थिति को बहुत क्षति हो सकती है।

IndiaCode

दृष्टांत 2 : प्रकटन में छूट

एक उद्यम का अपने प्रतियोगी से विवाद है, जिसके आरोप है कि उद्यम ने पेटेंट का उल्लंघन किया है और उसने 1000 लाख रुपयों का हर्जाना माँगा है । उद्यम बाध्यता के सर्वोत्तम अनुमान की उपबंधित रकम को अभिज्ञात करता है, परन्तु मानक के पैरा 66, और 67 की मांगी गई किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करता। निम्न सूचना प्रकट की गई है :

एक प्रतियोगी के साथ विवाद से सम्बंधित मुकदमा कम्पनी के विरूद्व प्रक्रिया में है, कम्पनी के विरूद्ध दिवालिया की प्रक्रिया चल रही है। जिसका आरोप है कि कम्पनी ने पेटेंट का उल्लंधन किया है और 1000 लाख रुपये का हर्जाना मांगा जा रहा है। लेखा मानक 29, उपबंधित रकमें, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियाँ, में साधारणतया मांगी जाने वाली सूचना को प्रकट नहीं किया गया क्योंकि यह प्रत्याशित है कि यह प्रकटन कम्पनी के हितों को क्षति पहुँचायेगा । निदेशकों का मत है कि दावे का सफलता पूर्वक प्रतिरोध किया जाएगा।"

[फा. सं. 17/151/2013—सीएल. v]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग—II, खंड—3, उपखंड (i), तारीख 07 दिसंबर, 2006 में सा.का.नि. 734(अ), तारीख 07 दिसंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और सा.का.नि. 914(अ) तारीख 29 दिसंबर 2011 द्वारा उसमें पिछला संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2016

G.S.R. 364(E).—*In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with section 210A and sub-section (3C) of section 211 and of the said Act, the Central Government, in consultation with National Advisory Committee on Accounting Standards, hereby makes the following rules to amend the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, namely:—*

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(ii) In the Companies(Accounting Standards) Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2,-

(i) for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:-

'(a) "Accounting Standards" means the standards of accounting or any addendum thereto as specified in rule 3 of these rules;

(b) "Act" means the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as the case may be;';

(ii) for clauses (d) and (e), the following clauses shall be substituted, namely:-

'(d) "Financial Statements" means financial statements as defined in sub-section (40) of section 2 of the Companies Act, 2013;

(e) "Enterprise" means a 'company' as defined in sub-section (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 or as defined in section 3 of the Companies Act, 196, as the case may be;'.

3. In the principal rules, in rule 4, in sub-rule (2), the words "General Purpose" shall be omitted.

4. In the principals rules, in the ANNEXURE, under the heading "ACCOUNTING STANDARDS", under the sub-heading "A. General Instructions", after paragraph 4, the following paragraph shall be inserted namely:-

5. The reference to 'Schedule VI' or 'Companies Act, 1956' shall mutatis mutandis mean 'Schedule III' and 'Companies Act, 2013', respectively.

5. In the principal rules, in the "ANNEXURE", under the heading "ACCOUNTING STANDARDS" for "Accounting Standard (AS) 2", the following Accounting Standard shall be substituted, namely:-

"Accounting Standard (AS) 2

Valuation of Inventories

*(This Accounting Standard includes paragraphs set in **bold italic** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principles. This Accounting Standard should be read in the context of its objective and the General Instructions contained in part A of the Annexure to the Notification.)*

Objective

A primary issue in accounting for inventories is the determination of the value at which inventories are carried in the financial statements until the related revenues are recognised. This Standard deals with the determination of such value, including the ascertainment of cost of inventories and any write-down thereof to net realisable value.

Scope

1. This Standard should be applied in accounting for inventories other than:

(a) work in progress arising under construction contracts, including directly related service contracts (see Accounting Standard (AS) 7, Construction Contracts);

(b) work in progress arising in the ordinary course of business of service providers;

(c) shares, debentures and other financial instruments held as stock-in-trade; and

(d) producers' inventories of livestock, agricultural and forest products, and mineral oils, ores and gases to the extent that they are measured at net realisable value in accordance with well established practices in those industries.

IndiaCode

2. The inventories referred to in paragraph 1 (d) are measured at net realisable value at certain stages of production. This occurs, for example, when agricultural crops have been harvested or mineral oils, ores and gases have been extracted and sale is assured under a forward contract or a government guarantee, or when a homogenous market exists and there is a negligible risk of failure to sell. These inventories are excluded from the scope of this Standard.

Definitions

3. The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

3.1 Inventories are assets:

(a) held for sale in the ordinary course of business;

(b) in the process of production for such sale; or

(c) in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services.

3.2 Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

4. Inventories encompass goods purchased and held for resale, for example, merchandise purchased by a retailer and held for resale, computer software held for resale, or land and other property held for resale. Inventories also encompass finished goods produced, or work in progress being produced, by the enterprise and include materials, maintenance supplies, consumables and loose tools awaiting use in the production process. Inventories do not include spare parts, servicing equipment and standby equipment which meet the definition of property, plant and equipment as per AS 10, *Property, Plant and Equipment*. Such items are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 10, *Property, Plant and Equipment*.

Measurement of Inventories

5. Inventories should be valued at the lower of cost and net realisable value.

Cost of Inventories

6. The cost of inventories should comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition.

Costs of Purchase

7. The costs of purchase consist of the purchase price including duties and taxes (other than those subsequently recoverable by the enterprise from the taxing authorities), freight inwards and other expenditure directly attributable to the acquisition. Trade discounts, rebates, duty drawbacks and other similar items are deducted in determining the costs of purchase.

Costs of Conversion

8. The costs of conversion of inventories include costs directly related to the units of production, such as direct labour. They also include a systematic allocation of fixed and variable production overheads that are incurred in converting materials into finished goods. Fixed production overheads are those indirect costs of production that remain relatively constant regardless of the volume of production, such as depreciation and maintenance of factory buildings and the cost of factory management and administration. Variable production overheads are those indirect costs of production that vary directly, or nearly directly, with the volume of production, such as indirect materials and indirect labour.

9. The allocation of fixed production overheads for the purpose of their inclusion in the costs of conversion is based on the normal capacity of the production facilities. Normal capacity is the production expected to be achieved on an average over a number of periods or seasons under normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance. The actual level of production may be used if it approximates normal capacity. The amount of fixed production overheads allocated to each unit of production is not increased as a consequence of low production or idle plant. Un allocated overheads are recognised as an expense in the period in which they are incurred. In periods of abnormally high production, the amount of fixed production overheads allocated to each unit of production is decreased so that inventories are not measured above cost. Variable production overheads are assigned to each unit of production on the basis of the actual use of the production facilities.

10. A production process may result in more than one product being produced simultaneously. This is the case, for example, when joint products are produced or when there is a main product and a by-product. When the costs of conversion of each product are not separately identifiable, they are allocated between the products on a rational and consistent basis. The allocation may be based, for example, on the relative sales value of each product either at the stage in the production process when the products become separately identifiable, or at the completion of production. Most by-products as well as scrap or waste materials, by their nature, are immaterial. When this is the case, they are often measured at net realisable value and this value is deducted from the cost of the main product. As a result, the carrying amount of the main product is not materially different from its cost.

IndiaCode

Other Costs

11. Other costs are included in the cost of inventories only to the extent that they are incurred in bringing the inventories to their present location and condition. For example, it may be appropriate to include overheads other than production overheads or the costs of designing products for specific customers in the cost of inventories.

12. Interest and other borrowing costs are usually considered as not relating to bringing the inventories to their present location and condition and are, therefore, usually not included in the cost of inventories.

Exclusions from the Cost of Inventories

13. In determining the cost of inventories in accordance with paragraph 6, it is appropriate to exclude certain costs and recognise them as expenses in the period in which they are incurred. Examples of such costs are:

(a) abnormal amounts of wasted materials, labour, or other production costs;

(b) storage costs, unless those costs are necessary in the production process prior to a further production stage;

(c) administrative overheads that do not contribute to bringing the inventories to their present location and condition; and

(d) selling and distribution costs.

Cost Formulas

14. The cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable and goods or services produced and segregated for specific projects should be assigned by specific identification of their individual costs.

15. Specific identification of cost means that specific costs are attributed to identified items of inventory. This is an appropriate treatment for items that are segregated for a specific project, regardless of whether they have been purchased or produced. However, when there are large numbers of items of inventory which are ordinarily interchangeable, specific identification of costs is inappropriate since, in such circumstances, an enterprise could obtain predetermined effects on the net profit or loss for the period by selecting a particular method of ascertaining the items that remain in inventories.

16. The cost of inventories, other than those dealt with in paragraph 14, should be assigned by using the first-in, first-out (FIFO), or weighted average cost formula. The formula used should reflect the fairest possible approximation to the cost incurred in bringing the items of inventory to their present location and condition.

17. A variety of cost formulas is used to determine the cost of inventories other than those for which specific identification of individual costs is appropriate. The formula used in determining the cost of an item of inventory needs to be selected with a view to providing the fairest possible approximation to the cost incurred in bringing the item to its present location and condition. The FIFO formula assumes that the items of inventory which were purchased or produced first are consumed or sold first, and consequently the items remaining in inventory at the end of the period are those most recently purchased or produced. Under the weighted average cost formula, the cost of each item is determined from the weighted average of the cost of similar items at the beginning of a period and the cost of similar items purchased or produced during the period. The average may be calculated on a periodic basis, or as each additional shipment is received, depending upon the circumstances of the enterprise.

Techniques for the Measurement of Cost

18. Techniques for the measurement of the cost of inventories, such as the standard cost method or the retail method, may be used for convenience if the results approximate the actual cost. Standard costs take into account normal levels of consumption of materials and supplies, labour, efficiency and capacity utilisation. They are regularly reviewed and, if necessary, revised in the light of current conditions.

19. The retail method is often used in the retail trade for measuring inventories of large numbers of rapidly changing items that have similar margins and for which it is impracticable to use other costing methods. The cost of the inventory is determined by reducing from the sales value of the inventory the appropriate percentage gross margin. The percentage used takes into consideration inventory which has been marked down to below its original selling price. An average percentage for each retail department is often used.

Net Realisable Value

20. The cost of inventories may not be recoverable if those inventories are damaged, if they have become wholly or partially obsolete, or if their selling prices have declined. The cost of inventories may also not be recoverable if the estimated costs of completion or the estimated costs necessary to make the sale have increased. The practice of writing down inventories below cost to net realisable value is consistent with the view that assets should not be carried in excess of amounts expected to be realised from their sale or use.

21. Inventories are usually written down to net realisable value on an item-by-item basis. In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related items. This may be the case with items of inventory relating to the same product line that have similar purposes or end uses and are produced and marketed in the same geographical area and cannot be practicably evaluated separately from other items in that product line. It is not appropriate to write down inventories based on a classification of inventory, for example, finished goods, or all the inventories in a particular business segment.

22. Estimates of net realisable value are based on the most reliable evidence available at the time the estimates are made as to the amount the inventories are expected to realise. These estimates take into consideration fluctuations of price or cost directly relating to events occurring after the balance sheet date to the extent that such events confirm the conditions existing at the balance sheet date.

23. Estimates of net realisable value also take into consideration the purpose for which the inventory is held. For example, the net realisable value of the quantity of inventory held to satisfy firm sales or service contracts is based on the contract price. If the sales contracts are for less than the inventory quantities held, the net realisable value of the excess inventory is based on general selling prices. Contingent losses on firm sales contracts in excess of inventory quantities held and contingent losses on firm purchase contracts are dealt with in accordance with the principles enunciated in Accounting Standard (AS) 4, Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date.

24. Materials and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished products in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. However, when there has been a decline in the price of materials and it is estimated that the cost of the finished products will exceed net realisable value, the materials are written down to net realisable value. In such circumstances, the replacement cost of the materials may be the best available measure of their net realisable value.

25. An assessment is made of net realisable value as at each balance sheet date.

Disclosure

26. The financial statements should disclose:

(a) the accounting policies adopted in measuring inventories, including the cost formula used; and

(b) the total carrying amount of inventories and its classification appropriate to the enterprise.

27. Information about the carrying amounts held in different classifications of inventories and the extent of the changes in these assets is useful to financial statement users. Common classifications of inventories are:

(a) Raw materials and components

(b) Work-in-progress

(c) Finished goods

(d) Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)

(e) Stores and spares

(f) Loose tools

(g) Others (specify nature),".

6. In the principal rules, in the "ANNEXURE", under the heading "ACCOUNTING STANDARDS" for "Accounting Standard (AS) 4", the following Accounting Standard shall be substituted, namely:-

"Accounting Standards (AS) 4*

Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date

*(This Accounting Standard includes paragraphs set in **bold italic** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principles. This Accounting Standard should be read in the context of the General Instructions contained in part A of the Annexure to the Notification.)*

Introduction

1. This Standard deals with the treatment in financial statements of

(a) contingencies, and

(b) events occurring after the balance sheet date.

* All paragraphs of this Standard that deal with contingencies are applicable only to the extent not covered by other Accounting Standards prescribed by the Central Government. For example, the impairment of financial assets such as impairment of receivables (commonly known as provision for bad and doubtful debts) is governed by this Standard.

2. The following subjects, which may result in contingencies, are excluded from the scope of this Standard in view of special considerations applicable to them:

(a) liabilities of life assurance and general insurance enterprises arising from policies issued;

(b) obligations under retirement benefit plans; and

(c) commitments arising from long-term lease contracts.

Definitions

3. The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

3.1 A contingency is a condition or situation, the ultimate outcome of which, gain or loss, will be known or determined only on the occurrence, or non-occurrence, of one or more uncertain future events.

3.2 Events occurring after the balance sheet date are those significant events, both favourable and unfavourable, that occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved by the Board of Directors in the case of a company, and, by the corresponding approving authority in the case of any other entity.

Two types of events can be identified:

(a) those which provide further evidence of conditions that existed at the balance sheet date; and

(b) those which are indicative of conditions that arose subsequent to the balance sheet date.

Explanation

4. Contingencies

4.1 The term "contingencies" used in this Standard is restricted to conditions or situations at the balance sheet date, the financial effect of which is to be determined by future events which may or may not occur.

4.2 Estimates are required for determining the amounts to be stated in the financial statements for many on-going and recurring activities of an enterprise. One must, however, distinguish between an event which is certain and one which is uncertain. The fact that an estimate is involved does not, of itself, create the type of uncertainty which characterises a contingency. For example, the fact that estimates of useful life are used to determine depreciation, does not make depreciation a contingency; the eventual expiry of the useful life of the asset is not uncertain. Also, amounts owed for services received are not contingencies as defined in paragraph 3.1, even though the amounts may have been estimated, as there is nothing uncertain about the fact that these obligations have been incurred.

4.3 The uncertainty relating to future events can be expressed by a range of outcomes. This range may be presented as quantified probabilities, but in most circumstances, this suggests a level of precision that is not supported by the available information. The possible outcomes can, therefore, usually be generally described except where reasonable quantification is practicable.

4.4 The estimates of the outcome and of the financial effect of contingencies are determined by the judgement of the management of the enterprise. This judgement is based on consideration of information available up to the date on which the financial statements are approved and will include a review of events occurring after the balance sheet date, supplemented by experience of similar transactions and, in some cases, reports from independent experts.

5. Accounting Treatment of Contingent Losses

5.1 The accounting treatment of a contingent loss is determined by the expected outcome of the contingency. If it is likely that a contingency will result in a loss to the enterprise, then it is prudent to provide for that loss in the financial statements.

5.2 The estimation of the amount of a contingent loss to be provided for in the financial statements may be based on information referred to in paragraph 4.4.

5.3 If there is conflicting or insufficient evidence for estimating the amount of a contingent loss, then disclosure is made of the existence and nature of the contingency.

5.4 A potential loss to an enterprise may be reduced or avoided because a contingent liability is matched by a related counter-claim or claim against a third party. In such cases, the amount of the provision is determined after taking into account the probable recovery under the claim if no significant uncertainty as to its measurability or collectability exists. Suitable disclosure regarding the nature and gross amount of the contingent liability is also made.

5.5 The existence and amount of guarantees, obligations arising from discounted bills of exchange and similar obligations undertaken by an enterprise are generally disclosed in financial statements by way of note, even though the possibility that a loss to the enterprise will occur, is remote.

5.6 Provisions for contingencies are not made in respect of general or unspecified business risks since they do not relate to conditions or situations existing at the balance sheet date.

6. Accounting Treatment of Contingent Gains

Contingent gains are not recognised in financial statements since their recognition may result in the recognition of revenue which may never be realised. However, when the realisation of a gain is virtually certain, then such gain is not a contingency and accounting for the gain is appropriate.

7. Determination of the Amounts at which Contingencies are included in Financial Statements

7.1 The amount at which a contingency is stated in the financial statements is based on the information which is available at the date on which the financial statements are approved. Events occurring after the balance sheet date that indicate that an asset may have been impaired, or that a liability may have existed, at the balance sheet date are, therefore, taken into account in identifying contingencies and in determining the amounts at which such contingencies are included in financial statements.

7.2 In some cases, each contingency can be separately identified, and the special circumstances of each situation considered in the determination of the amount of the contingency. A substantial legal claim against the enterprise may represent such a contingency. Among the factors taken into account by management in evaluating such a contingency are the progress of the claim at the date on which the financial statements are approved, the opinions, wherever necessary, of legal experts or other advisers, the experience of the enterprise in similar cases and the experience of other enterprises in similar situations.

7.3 If the uncertainties which created a contingency in respect of an individual transaction are common to a large number of similar transactions, then the amount of the contingency need not be individually determined, but may be based on the group of similar transactions. An example of such contingencies may be the estimated uncollectable portion of accounts receivable. Another example of such contingencies may be the warranties for products sold. These costs are usually incurred frequently and experience provides a means by which the amount of the liability or loss can be estimated with reasonable precision although the particular transactions that may result in a liability or a loss are not identified. Provision for these costs results in their recognition in the same accounting period in which the related transactions took place.

8. Events Occurring after the Balance Sheet Date

8.1 Events which occur between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved, may indicate the need for adjustments to assets and liabilities as at the balance sheet date or may require disclosure.

8.2 Adjustments to assets and liabilities are required for events occurring after the balance sheet date that provide additional information materially affecting the determination of the amounts relating to conditions existing at the balance sheet date. For example, an adjustment may be made for a loss on a trade receivable account which is confirmed by the insolvency of a customer which occurs after the balance sheet date.

8.3 Adjustments to assets and liabilities are not appropriate for events occurring after the balance sheet date, if such events do not relate to conditions existing at the balance sheet date. An example is the decline in market value of investments between the balance sheet date and the date on which the financial statements are approved. Ordinary fluctuations in market values do not normally relate to the condition of the investments at the balance sheet date, but reflect circumstances which have occurred in the following period.

8.4 Events occurring after the balance sheet date which do not affect the figures stated in the financial statements would not normally require disclosure in the financial statements although they may be of such significance that they may require a disclosure in the report of the approving authority to enable users of financial statements to make proper evaluations and decisions.

8.5 There are events which, although they take place after the balance sheet date, are sometimes reflected in the financial statements because of statutory requirements or because of their special nature. For example, if dividends are declared after the balance sheet date but before the financial statements are approved for issue, the dividends are not recognised as a liability at the balance sheet date because no obligation exists at that time unless a statute requires otherwise. Such dividends are disclosed in the notes.

8.6 Events occurring after the balance sheet date may indicate that the enterprise ceases to be a going concern. A deterioration in operating results and financial position, or unusual changes affecting the existence or substratum of the enterprise after the balance sheet date (e.g., destruction of a major production plant by a fire after the balance sheet date) may indicate a need to consider whether it is proper to use the fundamental accounting assumption of going concern in the preparation of the financial statements.

9. Disclosure

9.1 The disclosure requirements herein referred to apply only in respect of those contingencies or events which affect the financial position to a material extent.

9.2 If a contingent loss is not provided for, its nature and an estimate of its financial effect are generally disclosed by way of note unless the possibility of a loss is remote (other than the circumstances mentioned in paragraph 5.5). If a reliable estimate of the financial effect cannot be made, this fact is disclosed.

9.3 When the events occurring after the balance sheet date are disclosed in the report of the approving authority, the information given comprises the nature of the events and an estimate of their financial effects or a statement that such an estimate cannot be made.

Main Principles

Contingencies

10. The amount of a contingent loss should be provided for by a charge in the statement of profit and loss if:

(a) it is probable that future events will confirm that, after taking into account any related probable recovery, an asset has been impaired or a liability has been incurred as at the balance sheet date, and

(b) a reasonable estimate of the amount of the resulting loss can be made.

11. The existence of a contingent loss should be disclosed in the financial statements if either of the conditions in paragraph 10 is not met, unless the possibility of a loss is remote.

12. Contingent gains should not be recognised in the financial statements.

Events Occurring after the Balance Sheet Date

13. Assets and liabilities should be adjusted for events occurring after the balance sheet date that provide additional evidence to assist the estimation of amounts relating to conditions existing at the balance sheet date or that indicate that the fundamental accounting assumption of going concern (i.e., the continuance of existence or substratum of the enterprise) is not appropriate.

14. If an enterprise declares dividends to shareholders after the balance sheet date, the enterprise should not recognise those dividends as a liability at the balance sheet date unless a statute requires otherwise. Such dividends should be disclosed in notes.

15. Disclosure should be made in the report of the approving authority of those events occurring after the balance sheet date that represent material changes and commitments affecting the financial position of the enterprise.

Disclosure

16. If disclosure of contingencies is required by paragraph 11 of this Standard, the following information should be provided:

(a) the nature of the contingency;

(b) the uncertainties which may affect the future outcome;

(c) an estimate of the financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made.

17. If disclosure of events occurring after the balance sheet date in the report of the approving authority is required by paragraph 15 of this Standard, the following information should be provided:

(a) the nature of the event;

(b) an estimate of the financial effect, or a statement that such an estimate cannot be made".

7. In the principals rules, in the "ANNEXURE", under the heading "ACCOUNTING STANDARDS", Accounting Standard (AS) 6 shall be omitted.

IndiaCode

8. In the principal rules, in the "ANNEXURE", under the heading "ACCOUNTING STANDARDS", for Accounting Standard (AS) 10, the following Accounting Standard shall be substituted, namely:-

"Accounting Standard (AS) 10

Property, Plant and Equipment

*(This Accounting Standard includes paragraphs set in **bold italic** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principles. This Accounting Standard should be read in the context of the General Instructions contained in part A of the Annexure to the Notification.)*

Objective

1. The objective of this Standard is to prescribe the accounting treatment for property, plant and equipment so that users of the financial statements can discern information about investment made by an enterprise in its property, plant and equipment and the changes in such investment. The principal issues in accounting for property, plant and equipment are the recognition of the assets, the determination of their carrying amounts and the depreciation charges and impairment losses to be recognised in relation to them.

Scope

2. This Standard should be applied in accounting for property, plant and equipment except when another Accounting Standard requires or permits a different accounting treatment.

3. This Standard does not apply to:

(a) biological assets related to agricultural activity other than bearer plants. This Standard applies to bearer plants but it does not apply to the produce on bearer plants; and

(b) wasting assets including mineral rights, expenditure on the exploration for and extraction of minerals, oil, natural gas and similar non-regenerative resources.

However, this Standard applies to property, plant and equipment used to develop or maintain the assets described in (a) and (b) above.

4. Other Accounting Standards may require recognition of an item of property, plant and equipment based on an approach different from that in this Standard. For example, AS 19, Leases, requires an enterprise to evaluate its recognition of an item of leased property, plant and equipment on the basis of the transfer of risks and rewards. However, in such cases other aspects of the accounting treatment for these assets, including depreciation, are prescribed by this Standard.

5. Investment property, as defined in AS 13, Accounting for Investments, should be accounted for only in accordance with the cost model prescribed in this standard.

Definitions

6. ***The following terms are used in this Standard with the meanings specified:***

***Agricultural Activity** is the management by an enterprise of the biological transformation and harvest of biological assets for sale or for conversion into agricultural produce or into additional biological assets.*

***Agricultural Produce** is the harvested product of biological assets of the enterprise.*

***Bearer plant is a plant** that*

(a) is used in the production or supply of agricultural produce;

(b) is expected to bear produce for more than a period of twelve months; and

(c) has a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales.

The following are not bearer plants:

(i) plants cultivated to be harvested as agricultural produce (for example, trees grown for use as lumber);

(ii) plants cultivated to produce agricultural produce when there is more than a remote likelihood that the entity will also harvest and sell the plant as agricultural produce, other than as incidental scrap sales (for example, trees that are cultivated both for their fruit and their lumber); and

(iii) annual crops (for example, maize and wheat).

When bearer plants are no longer used to bear produce they might be cut down and sold as scrap, for example, for use as firewood. Such incidental scrap sales would not prevent the plant from satisfying the definition of a bearer plant.

***Biological Asset** is a living animal[1] or plant.*

***Carrying amount** is the amount at which an asset is recognised after deducting any accumulated depreciation and accumulated impairment losses.*

***Cost** is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or, where applicable, the amount attributed to that asset when initially recognised in accordance with the specific requirements of other Accounting Standards.*

***Depreciable amount** is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.*

***Depreciation** is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life.*

***Enterprise -specific value** is the present value of the cash flows an enterprise expects to arise from the continuing use of an asset and from its disposal at the end of its useful life or expects to incur when settling a liability.*

***Fair value** is the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction.*

***Gross carrying amount** of an asset is its cost or other amount substituted for the cost in the books of account, without making any deduction for accumulated depreciation and accumulated impairment losses.*

*An **impairment loss** is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.*

***Property, plant and equipment** are tangible items that:*

(a) are held for use in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes; and

(b) are expected to be used during more than a period of twelve months.

***Recoverable amount** is the higher of an asset's net selling price and its value in use.*

*The **residual value** of an asset is the estimated amount that an enterprise would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life.*

***Useful life** is:*

(a) the period over which an asset is expected to be available for use by an enterprise ; or

(b) the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an enterprise.

Recognition

7. ***The cost of an item of property, plant and equipment should be recognised as an asset if, and only if:***

(a) it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise; and

(b) the cost of the item can be measured reliably.

8. Items such as spare parts, stand-by equipment and servicing equipment are recognised in accordance with this Standard when they meet the definition of property, plant and equipment. Otherwise, such items are classified as inventory.

9. This Standard does not prescribe the unit of measure for recognition, i.e., what constitutes an item of property, plant and equipment. Thus, judgement is required in applying the recognition criteria to specific circumstances of an enterprise. An example of a 'unit of measure' can be a 'project' of construction of a manufacturing plant rather than individual assets comprising the project in appropriate cases for the purpose of capitalisation of expenditure incurred during construction period. Similarly, it may be appropriate to aggregate individually insignificant items, such as moulds, tools and dies and to apply the criteria to the aggregate value. An enterprise may decide to expense an item which could otherwise have been included as property, plant and equipment, because the amount of the expenditure is not material.

[1]An Accounting Standard on Agriculture is under formulation, which will, inter alia, cover accounting for livestock. Till the time, the Accounting Standard on Agriculture is issued, accounting for livestock meeting the definition of Property, Plant and Equipment, will be covered as per AS 10 (Revised), Property, Plant and Equipment.

10. An enterprise evaluates under this recognition principle all its costs on property, plant and equipment at the time they are incurred. These costs include costs incurred:

 (a) initially to acquire or construct an item of property, plant and equipment; and

 (b) subsequently to add to, replace part of, or service it.

Initial Costs

11. The definition of 'property, plant and equipment' covers tangible items which are held for use or for administrative purposes. The term 'administrative purposes' has been used in wider sense to include all business purposes other than production or supply of goods or services or for rental for others. Thus, property, plant and equipment would include assets used for selling and distribution, finance and accounting, personnel and other functions of an enterprise. Items of property, plant and equipment may also be acquired for safety or environmental reasons. The acquisition of such property, plant and equipment, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item of property, plant and equipment, may be necessary for an enterprise to obtain the future economic benefits from its other assets. Such items of property, plant and equipment qualify for recognition as assets because they enable an enterprise to derive future economic benefits from related assets in excess of what could be derived had those items not been acquired. For example, a chemical manufacturer may install new chemical handling processes to comply with environmental requirements for the production and storage of dangerous chemicals; related plant enhancements are recognised as an asset because without them the enterprise is unable to manufacture and sell chemicals. The resulting carrying amount of such an asset and related assets is reviewed for impairment in accordance with AS 28, *Impairment of Assets*.

Subsequent Costs

12. Under the recognition principle in paragraph 7, an enterprise does not recognise in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the costs of the day-to-day servicing of the item. Rather, these costs are recognised in the statement of profit and loss as incurred. Costs of day-to-day servicing are primarily the costs of labour and consumables, and may include the cost of small parts. The purpose of such expenditures is often described as for the 'repairs and maintenance' of the item of property, plant and equipment.

13. Parts of some items of property, plant and equipment may require replacement at regular intervals. For example, a furnace may require relining after a specified number of hours of use, or aircraft interiors such as seats and galleys may require replacement several times during the life of the airframe. Similarly, major parts of conveyor system, such as, conveyor belts, wire ropes, etc., may require replacement several times during the life of the conveyor system. Items of property, plant and equipment may also be acquired to make a less frequently recurring replacement, such as replacing the interior walls of a building, or to make a non-recurring replacement. Under the recognition principle in paragraph 7, an enterprise recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if the recognition criteria are met. The carrying amount of those parts that are replaced is derecognised in accordance with the derecognition provisions of this Standard (see paragraphs 74-80).

14. A condition of continuing to operate an item of property, plant and equipment (for example, an aircraft) may be performing regular major inspections for faults regardless of whether parts of the item are replaced. When each major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the item of property, plant and equipment as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Any remaining carrying amount of the cost of the previous inspection (as distinct from physical parts) is derecognised.

15. The derecognition of the carrying amount as stated in paragraphs 13-14 occurs regardless of whether the cost of the previous part / inspection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. If it is not practicable for an enterprise to determine the carrying amount of the replaced part/ inspection, it may use the cost of the replacement or the estimated cost of a future similar inspection as an indication of what the cost of the replaced part/ existing inspection component was when the item was acquired or constructed.

Measurement at Recognition

16. ***An item of property, plant and equipment that qualifies for recognition as an asset should be measured at its cost.***

Elements of Cost

17. The cost of an item of property, plant and equipment comprises:

 (a) its purchase price, including import duties and non –refundable purchase taxes,, after deducting trade discounts and rebates.

 (b) any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

 (c) the initial estimate of the costs of dismantling, removing the item and restoring the site on which it is located, referred to as 'decommissioning, restoration and similar liabilities', the obligation for

which an enterprise incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

18. Examples of directly attributable costs are:

(a) costs of employee benefits (as defined in AS 15, Employee Benefits) arising directly from the construction or acquisition of the item of property, plant and equipment;

(b) costs of site preparation;

(c) initial delivery and handling costs;

(d) installation and assembly costs;

(e) costs of testing whether the asset is functioning properly, after deducting the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to that location and condition (such as samples produced when testing equipment); and

(f) professional fees.

19. An enterprise applies AS 2, Valuation of Inventories, to the costs of obligations for dismantling, removing and restoring the site on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventories during that period. The obligations for costs accounted for in accordance with AS 2 or AS 10 are recognised and measured in accordance with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

20. Examples of costs that are not costs of an item of property, plant and equipment are:

(a) costs of opening a new facility or business, such as, inauguration costs;

(b) costs of introducing a new product or service(including costs of advertising and promotional activities);

(c) costs of conducting business in a new location or with a new class of customer (including costs of staff training); and

(d) administration and other general overhead costs.

IndiaCode

21. Recognition of costs in the carrying amount of an item of property, plant and equipment ceases when the item is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Therefore, costs incurred in using or redeploying an item are not included in the carrying amount of that item. For example, the following costs are not included in the carrying amount of an item of property, plant and equipment:

(a) costs incurred while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity;

(b) initial operating losses, such as those incurred while demand for the output of an item builds up; and

(c) costs of relocating or reorganising part or all of the operations of an enterprise.

22. Some operations occur in connection with the construction or development of an item of property, plant and equipment, but are not necessary to bring the item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. These incidental operations may occur before or during the construction or development activities. For example, income may be earned through using a building site as a car park until construction starts. Because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, the income and related expenses of incidental operations are recognised in the statement of profit and loss and included in their respective classifications of income and expense.

23. The cost of a self-constructed asset is determined using the same principles as for an acquired asset. If an enterprise makes similar assets for sale in the normal course of business, the cost of the asset is usually the same as the cost of constructing an asset for sale (see AS 2). Therefore, any internal profits are eliminated in arriving at such costs. Similarly, the cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred in self-constructing an asset is not included in the cost of the asset. AS 16, Borrowing Costs, establishes criteria for the recognition of interest as a component of the carrying amount of a self-constructed item of property, plant and equipment.

24. Bearer plants are accounted for in the same way as self-constructed items of property, plant and equipment before they are in the location and condition necessary to be capable of operating in the manner intended by management. Consequently, references to 'construction' in this Standard should be read as covering activities that are necessary to cultivate the bearer plants before they are in the location and condition necessary to be capable of operating in the manner intended by management.

Measurement of Cost

25. The cost of an item of property, plant and equipment is the cash price equivalent at the recognition date. If payment is deferred beyond normal credit terms, the difference between the cash price equivalent and the total payment is recognised as interest over the period of credit unless such interest is capitalised in accordance with AS 16.

26. One or more items of property, plant and equipment may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary assets. The following discussion refers simply to an exchange of one non-monetary asset for another, but it also applies to all exchanges described in the preceding sentence. The cost of such an item of property, plant and equipment is measured at fair value unless (a) the exchange transaction lacks commercial substance or (b) the fair value of neither the asset(s) received nor the asset(s) given up is reliably measurable. The acquired item(s) is/are measured in this manner even if an enterprise cannot immediately derecognise the asset given up. If the acquired item(s) is/are not measured at fair value, its/their cost is measured at the carrying amount of the asset(s) given up.

27. An enterprise determines whether an exchange transaction has commercial substance by considering the extent to which its future cash flows are expected to change as a result of the transaction. An exchange transaction has commercial substance if:

 (a) the configuration (risk, timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred; or

 (b) the enterprise-specific value of the portion of the operations of the enterprise affected by the transaction changes as a result of the exchange;

 (c) and the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged.

 For the purpose of determining whether an exchange transaction has commercial substance, the enterprise - specific value of the portion of operations of the enterprise affected by the transaction should reflect post-tax cash flows. In certain cases, the result of these analyses may be clear without an enterprise having to perform detailed calculations.

28. The fair value of an asset is reliably measurable if (a) the variability in the range of reasonable fair value measurements is not significant for that asset or (b) the probabilities of the various estimates within the range can be reasonably assessed and used when measuring fair value. If an enterprise is able to measure reliably the fair value of either the asset received or the asset given up, then the fair value of the asset given up is used to measure the cost of the asset received unless the fair value of the asset received is more clearly evident.

29. Where several items of property, plant and equipment are purchased for a consolidated price, the consideration is apportioned to the various items on the basis of their respective fair values at the date of acquisition. In case the fair values of the items acquired cannot be measured reliably, these values are estimated on a fair basis as determined by competent valuers.

30. The cost of an item of property, plant and equipment held by a lessee under a finance lease is determined in accordance with AS 19, Leases.

31. The carrying amount of an item of property, plant and equipment may be reduced by government grants in accordance with AS 12, Accounting for Government Grants.

Measurement after Recognition

32. ***An enterprise should choose either the cost model in paragraph 33 or the revaluation model in paragraph 34 as its accounting policy and should apply that policy to an entire class of property, plant and equipment.***

Cost Model

33. ***After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment should be carried at its cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losse***s.

Revaluation Model

34. ***After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment whose fair value can be measured reliably should be carried at a revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluations should be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the balance sheet date.***

35. The fair value of items of property, plant and equipment is usually determined from market-based evidence by appraisal that is normally undertaken by professionally qualified valuers.

36. If there is no market-based evidence of fair value because of the specialised nature of the item of property, plant and equipment and the item is rarely sold, except as part of a continuing business, an enterprise may need to estimate fair value using an income approach (for example, based on discounted cash flow projections) or a depreciated replacement cost approach which aims at making a realistic estimate of the current cost of acquiring or constructing an item that has the same service potential as the existing item.

37. The frequency of revaluations depends upon the changes in fair values of the items of property, plant and equipment being revalued. When the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required. Some items of property, plant and equipment experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating annual revaluation. Such frequent revaluations are unnecessary for items of property, plant and equipment with only insignificant changes in fair value. Instead, it may be necessary to revalue the item only every three or five years.

38. When an item of property, plant and equipment is revalued, the carrying amount of that asset is adjusted to the revalued amount. At the date of the revaluation, the asset is treated in one of the following ways:

 (a) the gross carrying amount is adjusted in a manner that is consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset. For example, the gross carrying amount may be restated by reference to observable market data or it may be restated proportionately to the change in the carrying amount. The accumulated depreciation at the date of the revaluation is adjusted to equal the difference between the gross carrying amount and the carrying amount of the asset after taking into account accumulated impairment losses; or

 (b) the accumulated depreciation is eliminated against the gross carrying amount of the asset.

 The amount of the adjustment of accumulated depreciation forms part of the increase or decrease in carrying amount that is accounted for in accordance with paragraphs 42 and 43.

39. ***If an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of property, plant and equipment to which that asset belongs should be revalued.***

40. A class of property, plant and equipment is a grouping of assets of a similar nature and use in operations of an enterprise. The following are examples of separate classes:

 (a) land;
 (b) land and buildings;
 (c) machinery;
 (d) ships;
 (e) aircraft;
 (f) motor vehicles;
 (g) furniture and fixtures;
 (h) office equipment;and
 (i) bearer plants.

41. The items within a class of property, plant and equipment are revalued simultaneously to avoid selective revaluation of assets and the reporting of amounts in the financial statements that are a mixture of costs and values as at different dates. However, a class of assets may be revalued on a rolling basis provided revaluation of the class of assets is completed within a short period and provided the revaluations are kept up to date.

42. ***An increase in the carrying amount of an asset arising on revaluation should be credited directly to owners' interests under the heading of revaluation surplus However, the increase should be recognised in the statement of profit and loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in the statement of profit and loss.***

43. ***A decrease in the carrying amount of an asset arising on revaluation should be charged to the statement of profit and loss. However, the decrease should be debited directly to owners' interests under the heading of revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.***

44. The revaluation surplus included in owners' interests in respect of an item of property, plant and equipment may be transferred to the revenue reserves when the asset is derecognised. This may involve transferring the whole of the surplus when the asset is retired or disposed of. However, some of the surplus may be transferred as the asset is used by an enterprise. In such a case, the amount of the surplus transferred would be the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the asset and depreciation based on its original cost. Transfers from revaluation surplus to the revenue reserves are not made through the statement of profit and loss.

IndiaCode

Depreciation

45. ***Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately.***

46. An enterprise allocates the amount initially recognised in respect of an item of property, plant and equipment to its significant parts and depreciates each such part separately. For example, it may be appropriate to depreciate separately the airframe and engines of an aircraft, whether owned or subject to a finance lease.

47. A significant part of an item of property, plant and equipment may have a useful life and a depreciation method that are the same as the useful life and the depreciation method of another significant part of that same item. Such parts may be grouped in determining the depreciation charge.

48. To the extent that an enterprise depreciates separately some parts of an item of property, plant and equipment, it also depreciates separately the remainder of the item. The remainder consists of the parts of the item that are individually not significant. If an enterprise has varying expectations for these parts, approximation techniques may be necessary to depreciate the remainder in a manner that faithfully represents the consumption pattern and/or useful life of its parts.

49. An enterprise may choose to depreciate separately the parts of an item that do not have a cost that is significant in relation to the total cost of the item.

50. ***The depreciation charge for each period should be recognised in the statement of profit and loss unless it is included in the carrying amount of another asset.***

51. The depreciation charge for a period is usually recognised in the statement of profit and loss. However, sometimes, the future economic benefits embodied in an asset are absorbed in producing other assets. In this case, the depreciation charge constitutes part of the cost of the other asset and is included in its carrying amount. For example, the depreciation of manufacturing plant and equipment is included in the costs of conversion of inventories (see AS 2). Similarly, the depreciation of property, plant and equipment used for development activities may be included in the cost of an intangible asset recognised in accordance with AS 26, *Intangible Assets*.

Depreciable Amount and Depreciation Period

52. ***The depreciable amount of an asset should be allocated on a systematic basis over its useful life.***

53. ***The residual value and the useful life of an asset should be reviewed at least at each financial year-end and, if expectations differ from previous estimates, the change(s) should be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with AS 5, Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies.***

54. Depreciation is recognised even if the fair value of the asset exceeds its carrying amount, as long as the asset's residual value does not exceed its carrying amount. Repair and maintenance of an asset do not negate the need to depreciate it.

55. The depreciable amount of an asset is determined after deducting its residual value.

56. The residual value of an asset may increase to an amount equal to or greater than its carrying amount. If it does, depreciation charge of the asset is zero unless and until its residual value subsequently decreases to an amount below its carrying amount.

57. Depreciation of an asset begins when it is available for use, *i.e.*, when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Depreciation of an asset ceases at the earlier of the date that the asset is retired from active use and is held for disposal and the date that the asset is derecognised. Therefore, depreciation does not cease when the asset becomes idle or is retired from active use (but not held for disposal) unless the asset is fully depreciated. However, under usage methods of depreciation, the depreciation charge can be zero while there is no production.

58. The future economic benefits embodied in an asset are consumed by an enterprise principally through its use. However, other factors, such as technical or commercial obsolescence and wear and tear while an asset remains idle, often result in the diminution of the economic benefits that might have been obtained from the asset. Consequently, all the following factors are considered in determining the useful life of an asset:

(a) expected usage of the asset. Usage is assessed by reference to the expected capacity or physical output of the asset.

(b) expected physical wear and tear, which depends on operational factors such as the number of shifts for which the asset is to be used and the repair and maintenance programme, and the care and maintenance of the asset while idle.

(c) technical or commercial obsolescence arising from changes or improvements in production, or from a change in the market demand for the product or service output of the asset. Expected future reductions in the selling price of an item that was produced using an asset could indicate the expectation of technical or commercial obsolescence of the asset, which, in turn, might reflect a reduction of the future economic benefits embodied in the asset.

(d) legal or similar limits on the use of the asset, such as the expiry dates of related leases.

59. The useful life of an asset is defined in terms of its expected utility to the enterprise. The asset management policy of the enterprise may involve the disposal of assets after a specified time or after consumption of a specified proportion of the future economic benefits embodied in the asset. Therefore, the useful life of an asset may be shorter than its economic life. The estimation of the useful life of the asset is a matter of judgement based on the experience of the enterprise with similar assets.

60. Land and buildings are separable assets and are accounted for separately, even when they are acquired together. With some exceptions, such as quarries and sites used for landfill, land has an unlimited useful life and therefore is not depreciated. Buildings have a limited useful life and therefore are depreciable assets. An increase in the value of the land on which a building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building.

61. If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Depreciation Method

62. ***The depreciation method used should reflect the pattern in which the future economic benefits of the asset are expected to be consumed by the enterprise.***

63. ***The depreciation method applied to an asset should be reviewed at least at each financial year-end and, if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset, the method should be changed to reflect the changed pattern. Such a change should be accounted for as a change in an accounting estimate in accordance with AS 5.***

64. A variety of depreciation methods can be used to allocate the depreciable amount of an asset on a systematic basis over its useful life. These methods include the straight-line method, the diminishing balance method and the units of production method. Straight-line depreciation results in a constant charge over the useful life if the residual value of the asset does not change. The diminishing balance method results in a decreasing charge over the useful life. The units of production method results in a charge based on the expected use or output. The enterprise selects the method that most closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the asset. That method is applied consistently from period to period unless there is a change in the expected pattern of consumption of those future economic benefits or that the method is changed in accordance with the statute to best reflect the way the asset is consumed.

65. A depreciation method that is based on revenue that is generated by an activity that includes the use of an asset is not appropriate. The revenue generated by an activity that includes the use of an asset generally reflects factors other than the consumption of the economic benefits of the asset. For example, revenue is affected by other inputs and processes, selling activities and changes in sales volumes and prices. The price component of revenue may be affected by inflation, which has no bearing upon the way in which an asset is consumed.

Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Other Liabilities

66. ***The cost of property, plant and equipment may undergo changes subsequent to its acquisition or construction on account of changes in liabilities, price adjustments, changes in duties, changes in initial estimates of amounts provided for dismantling, removing, restoration and similar factors and included in the cost of the asset in accordance with paragraph 16. Such changes in cost should be accounted for in accordance with paragraphs 67–68 below.***

67. ***If the related asset is measured using the cost model:***

(a) ***subject to (b), changes in the liability should be added to, or deducted from, the cost of the related asset in the current period.***

(b) ***the amount deducted from the cost of the asset should not exceed its carrying amount. If a decrease in the liability exceeds the carrying amount of the asset, the excess should be recognised immediately in the statement of profit and loss.***

(c) if the adjustment results in an addition to the cost of an asset, the enterprise should consider whether this is an indication that the new carrying amount of the asset may not be fully recoverable. If it is such an indication, the enterprise should test the asset for impairment by estimating its recoverable amount, and should account for any impairment loss, in accordance with AS 28.

68. ***If the related asset is measured using the revaluation model:***

(a) changes in the liability alter the revaluation surplus or deficit previously recognised on that asset, so that:

(i) a decrease in the liability should (subject to (b)) be credited directly to revaluation surplus in the owners' interest, except that it should be recognised in the statement of profit and loss to the extent that it reverses a revaluation deficit on the asset that was previously recognised in the statement of profit and loss;

(ii) an increase in the liability should be recognised in the statement of profit and loss, except that it should be debited directly to revaluation surplus in the owners' interest to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.

(b) in the event that a decrease in the liability exceeds the carrying amount that would have been recognised had the asset been carried under the cost model, the excess should be recognised immediately in the statement of profit and loss.

(c) a change in the liability is an indication that the asset may have to be revalued in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the balance sheet date. Any such revaluation should be taken into account in determining the amounts to be taken to the statement of profit and loss and the owners' interest under (a). If a revaluation is necessary, all assets of that class should be revalued.

69. ***The adjusted depreciable amount of the asset is depreciated over its useful life. Therefore, once the related asset has reached the end of its useful life, all subsequent changes in the liability should be recognised in the statement of profit and loss as they occur. This applies under both the cost model and the revaluation model.***

Impairment

70. To determine whether an item of property, plant and equipment is impaired, an enterprise applies AS 28, Impairment of Assets. AS 28 explains how an enterprise reviews the carrying amount of its assets, how it determines the recoverable amount of an asset, and when it recognises, or reverses the recognition of, an impairment loss.

Compensation for Impairment

71. ***Compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up should be included in the statement of profit and loss when the compensation becomes receivable.***

72. Impairments or losses of items of property, plant and equipment, related claims for or payments of compensation from third parties and any subsequent purchase or construction of replacement assets are separate economic events and are accounted for separately as follows:

(a) impairments of items of property, plant and equipment are recognised in accordance with AS 28;

(b) derecognition of items of property, plant and equipment retired or disposed of is determined in accordance with this Standard;

(c) compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up is included in determining profit or loss when it becomes receivable; and

(d) the cost of items of property, plant and equipment restored, purchased or constructed as replacements is determined in accordance with this Standard.

Retirements

73. ***Items of property, plant and equipment retired from active use and held for disposal should be stated at the lower of their carrying amount and net realisable value. Any write-down in this regard should be recognised immediately in the statement of profit and loss.***

Derecognition

74. ***The carrying amount of an item of property, plant and equipment should be derecognised***

(a) on disposal; or

(b) when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

75. ***The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment should be included in the statement of profit and loss when the item is derecognised (unless AS 19, Leases, requires otherwise on a sale and leaseback). Gains should not be classified as revenue, as defined in AS 9, Revenue Recognition.***

76. ***However, an enterprise that in the course of its ordinary activities, routinely sells items of property, plant and equipment that it had held for rental to others should transfer such assets to inventories at their carrying amount when they cease to be rented and become held for sale. The proceeds from the sale of such assets should be recognised in revenue in accordance with AS 9, Revenue Recognition.***

77. The disposal of an item of property, plant and equipment may occur in a variety of ways (e.g. by sale, by entering into a finance lease or by donation). In determining the date of disposal of an item, an enterprise applies the criteria in AS 9 for recognising revenue from the sale of goods. AS 19, Leases, applies to disposal by a sale and leaseback.

78. If, under the recognition principle in paragraph 7, an enterprise recognises in the carrying amount of an item of property, plant and equipment the cost of a replacement for part of the item, then it derecognises the carrying amount of the replaced part regardless of whether the replaced part had been depreciated separately. If it is not practicable for an enterprise to determine the carrying amount of the replaced part, it may use the cost of the replacement as an indication of what the cost of the replaced part was at the time it was acquired or constructed.

79. ***The gain or loss arising from the derecognition of an item of property, plant and equipment should be determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item.***

80. The consideration receivable on disposal of an item of property, plant and equipment is recognised in accordance with the principles enunciated in AS 9.

Disclosure

81. ***The financial statements should disclose, for each class of property, plant and equipment:***

(a) the measurement bases (i.e., cost model or revaluation model) used for determining the gross carrying amount;

(b) the depreciation methods used;

(c) the useful lives or the depreciation rates used. In case the useful lives or the depreciation rates used are different from those specified in the statute governing the enterprise, it should make a specific mention of that fact;

(d) the gross carrying amount and the accumulated depreciation (aggregated with accumulated impairment losses) at the beginning and end of the period; and

(e) a reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period showing:

(i) additions;

(ii) assets retired from active use and held for disposal;

(iii) acquisitions through business combinations ;

(iv) increases or decreases resulting from revaluations under paragraphs 34, 42 and 43 and from impairment losses recognised or reversed directly in revaluation surplus in accordance with AS 28;

(v) impairment losses recognised in the statement of profit and loss in accordance with AS 28;

(vi) impairment losses reversed in the statement of profit and loss in accordance with AS 28;

(vii) depreciation;

(viii) the net exchange differences arising on the translation of the financial statements of a non-integral foreign operation in accordance with AS 11, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates; and

(ix) other changes.

IndiaCode

82. ***The financial statements should also disclose:***

(a) ***the existence and amounts of restrictions on title, and property, plant and equipment pledged as security for liabilities;***

(b) ***the amount of expenditure recognised in the carrying amount of an item of property, plant and equipment in the course of its construction;***

(c) ***the amount of contractual commitments for the acquisition of property, plant and equipment;***

(d) ***if it is not disclosed separately on the face of the statement of profit and loss, the amount of compensation from third parties for items of property, plant and equipment that were impaired, lost or given up that is included in the statement of profit and loss; and***

(e) ***the amount of assets retired from active use and held for disposal.***

83. Selection of the depreciation method and estimation of the useful life of assets are matters of judgement. Therefore, disclosure of the methods adopted and the estimated useful lives or depreciation rates provides users of financial statements with information that allows them to review the policies selected by management and enables comparisons to be made with other enterprises. For similar reasons, it is necessary to disclose:

(a) depreciation, whether recognised in the statement of profit and loss or as a part of the cost of other assets, during a period; and

(b) accumulated depreciation at the end of the period.

84. In accordance with AS 5, an enterprise discloses the nature and effect of a change in an accounting estimate that has an effect in the current period or is expected to have an effect in subsequent periods. For property, plant and equipment, such disclosure may arise from changes in estimates with respect to:

(a) residual values;

(b) the estimated costs of dismantling, removing or restoring items of property, plant and equipment;

(c) useful lives; and

(d) depreciation methods.

85. ***If items of property, plant and equipment are stated at revalued amounts, the following should be disclosed:***

(a) ***the effective date of the revaluation;***

(b) ***whether an independent valuer was involved;***

(c) ***the methods and significant assumptions applied in estimating fair values of the items;***

(d) ***the extent to which fair values of the items were determined directly by reference to observable prices in an active market or recent market transactions on arm's length terms or were estimated using other valuation techniques; and***

(e) ***the revaluation surplus, indicating the change for the period and any restrictions on the distribution of the balance to shareholders.***

86. In accordance with AS 28, an enterprise discloses information on impaired property, plant and equipment in addition to the information required by paragraph 81 (e), (iv), (v) and (vi).

87. An enterprise is encouraged to disclose the following:

(a) the carrying amount of temporarily idle property, plant and equipment;

(b) the gross carrying amount of any fully depreciated property, plant and equipment that is still in use;

(c) for each revalued class of property, plant and equipment, the carrying amount that would have been recognised had the assets been carried under the cost model;

(d) the carrying amount of property, plant and equipment retired from active use and not held for disposal.

Transitional Provisions

88. ***Where an entity has in past recognized an expenditure in the statement of profit and loss which is eligible to be included as a part of the cost of a project for construction of property, plant and equipment in accordance with the requirements of paragraph 9, it may do so retrospectively for such a project. The effect of such retrospective application of this requirement, should be recognised net-of-tax in revenue reserves.***

IndiaCode

89. ***The requirements of paragraphs 26-28 regarding the initial measurement of an item of property, plant and equipment acquired in an exchange of assets transaction should be applied prospectively only to transactions entered into after this Standard becomes mandatory.***

90. ***On the date of this Standard becoming mandatory, the spare parts, which hitherto were being treated as inventory under AS 2, Valuation of Inventories, and are now required to be capitalised in accordance with the requirements of this Standard, should be capitalised at their respective carrying amounts. The spare parts so capitalised should be depreciated over their remaining useful lives prospectively as per the requirements of this Standard.***

91. ***The requirements of paragraph 32 and paragraphs 34 – 44 regarding the revaluation model should be applied prospectively. In case, on the date of this Standard becoming mandatory, an enterprise does not adopt the revaluation model as its accounting policy but the carrying amount of item(s) of property, plant and equipment reflects any previous revaluation it should adjust the amount outstanding in the revaluation reserve against the carrying amount of that item. However, the carrying amount of that item should never be less than residual value. Any excess of the amount outstanding as revaluation reserve over the carrying amount of that item should be adjusted in revenue reserves".***

9. In the principal rules, in the "ANNEXURE", under the heading "ACCOUNTING STANDARDS", for Accounting Standard (AS) 13, the following Accounting Standard shall be substituted, namely:-

"Accounting Standard (AS) 13

Accounting for Investments

(This Accounting Standard includes paragraphs set in ***bold italic*** *type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principles. This Accounting Standard should be read in the context of the General Instructions contained in part A of the Annexure to the Notification.)*

Introduction

1. This Standard deals with accounting for investments in the financial statements of enterprises and related disclosure requirements.[2]

2. This Standard does not deal with:

 (a) the bases for recognition of interest, dividends and rentals earned on investments which are covered by Accounting Standard 9 on Revenue Recognition;

 (b) operating or finance leases;

 (c) investments of retirement benefit plans and life insurance enterprises; and

 (d) mutual funds and venture capital funds and/or the related asset management companies, banks and public financial institutions formed under a Central or State Government Act or so declared under the Companies Act, 2013.

Definitions

3. The following terms are used in this Standard with the meanings assigned:

3.1 Investments are assets held by an enterprise for earning income by way of dividends, interest, and rentals, for capital appreciation, or for other benefits to the investing enterprise. Assets held as stock-in-trade are not 'investments'.

3.2 A current investment is an investment that is by its nature readily realisable and is intended to be held for not more than one year from the date on which such investment is made.

3.3 A long term investment is an investment other than a current investment.

3.4 An investment property is an investment in land or buildings that are not intended to be occupied substantially for use by, or in the operations of, the investing enterprise.

3.5 Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between a knowledgeable, willing buyer and a knowledgeable, willing seller in an arm's length transaction. Under appropriate circumstances, market value or net realisable value provides an evidence of fair value.

[2] Shares, debentures and other securities held as stock-in-trade (i.e., for sale in the ordinary course of business) are not 'investments' as defined in this Standard. However, the manner in which they are accounted for and disclosed in the financial statements is quite similar to that applicable in respect of current investments. Accordingly, the provisions of this Standard, to the extent that they relate to current investments, are also applicable to shares, debentures and other securities held as stock-in-trade, with suitable modifications as specified in this Standard.

IndiaCode

3.6 <u>Market value</u> is the amount obtainable from the sale of an investment in an open market, net of expenses necessarily to be incurred on or before disposal.

Explanation

Forms of Investments

4. Enterprises hold investments for diverse reasons. For some enterprises, investment activity is a significant element of operations, and assessment of the performance of the enterprise may largely, or solely, depend on the reported results of this activity.

5. Some investments have no physical existence and are represented merely by certificates or similar documents (e.g., shares) while others exist in a physical form (e.g., buildings). The nature of an investment may be that of a debt, other than a short or long term loan or a trade debt, representing a monetary amount owing to the holder and usually bearing interest; alternatively, it may be a stake in the results and net assets of an enterprise such as an equity share. Most investments represent financial rights, but some are tangible, such as certain investments in land or buildings.

6. For some investments, an active market exists from which a market value can be established. For such investments, market value generally provides the best evidence of fair value. For other investments, an active market does not exist and other means are used to determine fair value.

Classification of Investments

7. Enterprises present financial statements that classify fixed assets, investments and current assets into separate categories. Investments are classified as long term investments and current investments. Current investments are in the nature of current assets, although the common practice may be to include them in investments.[3]

8. Investments other than current investments are classified as long term investments, even though they may be readily marketable.

Cost of Investments

9. The cost of an investment includes acquisition charges such as brokerage, fees and duties.

10. If an investment is acquired, or partly acquired, by the issue of shares or other securities, the acquisition cost is the fair value of the securities issued (which, in appropriate cases, may be indicated by the issue price as determined by statutory authorities). The fair value may not necessarily be equal to the nominal or par value of the securities issued.

11. If an investment is acquired in exchange, or part exchange, for another asset, the acquisition cost of the investment is determined by reference to the fair value of the asset given up. It may be appropriate to consider the fair value of the investment acquired if it is more clearly evident.

12. Interest, dividends and rentals receivables in connection with an investment are generally regarded as income, being the return on the investment. However, in some circumstances, such inflows represent a recovery of cost and do not form part of income. For example, when unpaid interest has accrued before the acquisition of an interest-bearing investment and is therefore included in the price paid for the investment, the subsequent receipt of interest is allocated between pre-acquisition and post-acquisition periods; the pre-acquisition portion is deducted from cost. When dividends on equity are declared from pre-acquisition profits, a similar treatment may apply. If it is difficult to make such an allocation except on an arbitrary basis, the cost of investment is normally reduced by dividends receivable only if they clearly represent a recovery of a part of the cost.

13. When right shares offered are subscribed for, the cost of the right shares is added to the carrying amount of the original holding. If rights are not subscribed for but are sold in the market, the sale proceeds are taken to the profit and loss statement. However, where the investments are acquired on cum-right basis and the market value of investments immediately after their becoming ex-right is lower than the cost for which they were acquired, it may be appropriate to apply the sale proceeds of rights to reduce the carrying amount of such investments to the market value.

[3] Shares, debentures and other securities held for sale in the ordinary course of business are disclosed as 'stock-in-trade' under the head 'current assets'.

IndiaCode

Carrying Amount of Investments

Current Investments

14. The carrying amount for current investments is the lower of cost and fair value. In respect of investments for which an active market exists, market value generally provides the best evidence of fair value. The valuation of current investments at lower of cost and fair value provides a prudent method of determining the carrying amount to be stated in the balance sheet.

15. Valuation of current investments on overall (or global) basis is not considered appropriate. Sometimes, the concern of an enterprise may be with the value of a category of related current investments and not with each individual investment, and accordingly the investments may be carried at the lower of cost and fair value computed categorywise (i.e. equity shares, preference shares, convertible debentures, etc.). However, the more prudent and appropriate method is to carry investments individually at the lower of cost and fair value.

16. For current investments, any reduction to fair value and any reversals of such reductions are included in the profit and loss statement.

Long-term Investments

17. Long-term investments are usually carried at cost. However, when there is a decline, other than temporary, in the value of a long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. Indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investee's assets and results and the expected cash flows from the investment. The type and extent of the investor's stake in the investee are also taken into account. Restrictions on distributions by the investee or on disposal by the investor may affect the value attributed to the investment.

18. Long-term investments are usually of individual importance to the investing enterprise. The carrying amount of long-term investments is therefore determined on an individual investment basis.

19. Where there is a decline, other than temporary, in the carrying amounts of long term investments, the resultant reduction in the carrying amount is charged to the profit and loss statement. The reduction in carrying amount is reversed when there is a rise in the value of the investment, or if the reasons for the reduction no longer exist.

India Code

Investment Properties

20. An investment property is accounted for in accordance with cost model as prescribed in Accounting Standard (AS) 10, *Property, Plant and Equipment*. The cost of any shares in a co-operative society or a company, the holding of which is directly related to the right to hold the investment property, is added to the carrying amount of the investment property.

Disposal of Investments

21. On disposal of an investment, the difference between the carrying amount and the disposal proceeds, net of expenses, is recognised in the profit and loss statement.

22. When disposing of a part of the holding of an individual investment, the carrying amount to be allocated to that part is to be determined on the basis of the average carrying amount of the total holding of the investment.[4]

Reclassification of Investments

23. Where long-term investments are reclassified as current investments, transfers are made at the lower of cost and carrying amount at the date of transfer.

24. Where investments are reclassified from current to long-term, transfers are made at the lower of cost and fair value at the date of transfer.

Disclosure

25. The following disclosures in financial statements in relation to investments are appropriate:—

(a) the accounting policies for the determination of carrying amount of investments;

[4] In respect of shares, debentures and other securities held as stock-in-trade, the cost of stocks disposed of is determined by applying an appropriate cost formula (e.g. first-in, first-out, average cost, etc.). These cost formulae are the same as those specified in Accounting Standard (AS) 2, in respect of Valuation of Inventories.

(b) the amounts included in profit and loss statement for:

(i) interest, dividends (showing separately dividends from subsidiary companies*), and rentals on investments showing separately such income from long term and current investments. Gross income should be stated, the amount of income tax deducted at source being included under Advance Taxes Paid;

(ii) profits and losses on disposal of current investments and changes in carrying amount of such investments;

(iii) profits and losses on disposal of long-term investments and changes in the carrying amount of such investments;

(c) significant restrictions on the right of ownership, realisability of investments or the remittance of income and proceeds of disposal;

(d) the aggregate amount of quoted and unquoted investments, giving the aggregate market value of quoted investments;

(e) other disclosures as specifically required by the relevant statute governing the enterprise.

Main Principles

Classification of Investments

26. An enterprise should disclose current investments and long-term investments distinctly in its financial statements.

27. Further classification of current and long-term investments should be as specified in the statute governing the enterprise. In the absence of a statutory requirement, such further classification should disclose, where applicable, investments in:

(a) Government or Trust securities

(b) Shares, debentures or bonds

(c) Investment properties

(d) Others—specifying nature.

Cost of Investments

28. The cost of an investment should include acquisition charges such as brokerage, fees and duties.

29. If an investment is acquired, or partly acquired, by the issue of shares or other securities, the acquisition cost should be the fair value of the securities issued (which in appropriate cases may be indicated by the issue price as determined by statutory authorities). The fair value may not necessarily be equal to the nominal or par value of the securities issued. If an investment is acquired in exchange for another asset, the acquisition cost of the investment should be determined by reference to the fair value of the asset given up. Alternatively, the acquisition cost of the investment may be determined with reference to the fair value of the investment acquired if it is more clearly evident.

Investment Properties

30. An enterprise holding investment properties should account for them in accordance with cost model as prescribed in AS 10, Property, Plant and Equipment.

Carrying Amount of Investments

31. Investments classified as current investments should be carried in the financial statements at the lower of cost and fair value determined either on an individual investment basis or by category of investment, but not on an overall (or global) basis.

32. Investments classified as long term investments should be carried in the financial statements at cost. However, provision for diminution shall be made to recognise a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually.

Changes in Carrying Amounts of Investments

33. Any reduction in the carrying amount and any reversals of such reductions should be charged or credited to the profit and loss statement.

Disposal of Investments

34. On disposal of an investment, the difference between the carrying amount and net disposal proceeds should be charged or credited to the profit and loss statement.

* As defined in AS 21, Consolidated Financial Statements

IndiaCode

Disclosure

35. The following information should be disclosed in the financial statements:

(a) the accounting policies for determination of carrying amount of investments;

(b) classification of investments as specified in paragraphs 26 and 27 above;

(c) the amounts included in profit and loss statement for:

(i) interest, dividends (showing separately dividends from subsidiary companies), and rentals on investments showing separately such income from long term and current investments. Gross income should be stated, the amount of income tax deducted at source being included under Advance Taxes Paid;

(ii) profits and losses on disposal of current investments and changes in the carrying amount of such investments; and

(iii) profits and losses on disposal of long term investments and changes in the carrying amount of such investments;

(d) significant restrictions on the right of ownership, realisability of investments or the remittance of income and proceeds of disposal;

(e) the aggregate amount of quoted and unquoted investments, giving the aggregate market value of quoted investments;

(f) other disclosures as specifically required by the relevant statute governing the enterprise".

10. In the principal rules, in the "ANNEXURE", under the heading "ACCOUNTING STANDARDS", for Accounting Standard (AS) 14, the following Accounting Standard shall be substituted, namely:-

Accounting Standard (AS) 14

Accounting for Amalgamations

*(This Accounting Standard includes paragraphs set in **bold italic** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principles. This Accounting Standard should be read in the context of the General Instructions contained in part A of the Annexure to the Notification.)*

Introduction

1. This standard deals with accounting for amalgamations and the treatment of any resultant goodwill or reserves. This standard is directed principally to companies although some of its requirements also apply to financial statements of other enterprises.

2. This standard does not deal with cases of acquisitions which arise when there is a purchase by one company (referred to as the acquiring company) of the whole or part of the shares, or the whole or part of the assets, of another company (referred to as the acquired company) in consideration for payment in cash or by issue of shares or other securities in the acquiring company or partly in one form and partly in the other. The distinguishing feature of an acquisition is that the acquired company is not dissolved and its separate entity continues to exist.

Definitions

3. The following terms are used in this standard with the meanings specified:

(a) Amalgamation means an amalgamation pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 or any other statute which may be applicable to companies and includes 'merger'.

(b) Transferor company means the company which is amalgamated into another company.

(c) Transferee company means the company into which a transferor company is amalgamated.

(d) Reserve means the portion of earnings, receipts or other surplus of an enterprise (whether capital or revenue) appropriated by the management for a general or a specific purpose other than a provision for depreciation or diminution in the value of assets or for a known liability.

(e) Amalgamation in the nature of merger is an amalgamation which satisfies all the following conditions.

(i) All the assets and liabilities of the transferor company become, after amalgamation, the assets and liabilities of the transferee company.

(ii) Share holders holding not less than 90% of the face value of the equity shares of the transferor company (other than the equity shares already held therein, immediately before the amalgamation, by the transferee company or its subsidiaries* or their nominees) become equity shareholders of the transferee company by virtue of the amalgamation.

(iii) The consideration for the amalgamation receivable by those equity shareholders of the transferor company who agree to become equity shareholders of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by the issue of equity shares in the transferee company, except that cash may be paid in respect of any fractional shares.

(iv) The business of the transferor company is intended to be carried on, after the amalgamation, by the transferee company.

(v) No adjustment is intended to be made to the book values of the assets and liabilities of the transferor company when they are incorporated in the financial statements of the transferee company except to ensure uniformity of accounting policies.

(f) Amalgamation in the nature of purchase is an amalgamation which does not satisfy any one or more of the conditions specified in sub-paragraph (e) above.

(g) Consideration for the amalgamation means the aggregate of the shares and other securities issued and the payment made in the form of cash or other assets by the transferee company to the shareholders of the transferor company.

(h) Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between a knowledgeable, willing buyer and a knowledgeable, willing seller in an arm's length transaction.

(i) Pooling of interests is a method of accounting for amalgamations the object of which is to account for the amalgamation as if the separate businesses of the amalgamating companies were intended to be continued by the transferee company. Accordingly, only minimal changes are made in aggregating the individual financial statements of the amalgamating companies.

Explanation

Types of Amalgamations

4. Generally speaking, amalgamations fall into two broad categories. In the first category are those amalgamations where there is a genuine pooling not merely of the assets and liabilities of the amalgamating companies but also of the shareholders' interests and of the businesses of these companies. Such amalgamations are amalgamations which are in the nature of 'merger' and the accounting treatment of such amalgamations should ensure that the resultant figures of assets, liabilities, capital and reserves more or less represent the sum of the relevant figures of the amalgamating companies. In the second category are those amalgamations which are in effect a mode by which one company acquires another company and, as a consequence, the shareholders of the company which is acquired normally do not continue to have a proportionate share in the equity of the combined company, or the business of the company which is acquired is not intended to be continued. Such amalgamations are amalgamations in the nature of 'purchase'.

5. An amalgamation is classified as an 'amalgamation in the nature of merger' when all the conditions listed in paragraph 3(e) are satisfied. There are, however, differing views regarding the nature of any further conditions that may apply. Some believe that, in addition to an exchange of equity shares, it is necessary that the shareholders of the transferor company obtain a substantial share in the transferee company even to the extent that it should not be possible to identify any one party as dominant therein. This belief is based in part on the view that the exchange of control of one company for an insignificant share in a larger company does not amount to a mutual sharing of risks and benefits.

6. Others believe that the substance of an amalgamation in the nature of merger is evidenced by meeting certain criteria regarding the relationship of the parties, such as the former independence of the amalgamating companies, the manner of their amalgamation, the absence of planned transactions that would undermine the effect of the amalgamation, and the continuing participation by the management of the transferor company in the management of the transferee company after the amalgamation.

* As defined in AS 21, Consolidated Financial Statements

Methods of Accounting for Amalgamations

7. There are two main methods of accounting for amalgamations:

 (a) the pooling of interests method; and

 (b) the purchase method.

8. The use of the pooling of interests method is confined to circumstances which meet the criteria referred to in paragraph 3(e) for an amalgamation in the nature of merger.

9. The object of the purchase method is to account for the amalgamation by applying the same principles as are applied in the normal purchase of assets. This method is used in accounting for amalgamations in the nature of purchase.

The Pooling of Interests Method

10. Under the pooling of interests method, the assets, liabilities and reserves of the transferor company are recorded by the transferee company at their existing carrying amounts (after making the adjustments required in paragraph 11).

11. If, at the time of the amalgamation, the transferor and the transferee companies have conflicting accounting policies, a uniform set of accounting policies is adopted following the amalgamation. The effects on the financial statements of any changes in accounting policies are reported in accordance with Accounting Standard (AS) 5, Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies.

The Purchase Method

12. Under the purchase method, the transferee company accounts for the amalgamation either by incorporating the assets and liabilities at their existing carrying amounts or by allocating the consideration to individual identifiable assets and liabilities of the transferor company on the basis of their fair values at the date of amalgamation. The identifiable assets and liabilities may include assets and liabilities not recorded in the financial statements of the transferor company.

13. Where assets and liabilities are restated on the basis of their fair values, the determination of fair values may be influenced by the intentions of the transferee company. For example, the transferee company may have a specialised use for an asset, which is not available to other potential buyers. The transferee company may intend to effect changes in the activities of the transferor company which necessitate the creation of specific provisions for the expected costs, e.g. planned employee termination and plant relocation costs.

Consideration

14. The consideration for the amalgamation may consist of securities, cash or other assets. In determining the value of the consideration, an assessment is made of the fair value of its elements. A variety of techniques is applied in arriving at fair value. For example, when the consideration includes securities, the value fixed by the statutory authorities may be taken to be the fair value. In case of other assets, the fair value may be determined by reference to the market value of the assets given up. Where the market value of the assets given up cannot be reliably assessed, such assets may be valued at their respective net book values.

15. Many amalgamations recognise that adjustments may have to be made to the consideration in the light of one or more future events. When the additional payment is probable and can reasonably be estimated at the date of amalgamation, it is included in the calculation of the consideration. In all other cases, the adjustment is recognised as soon as the amount is determinable [see Accounting Standard (AS) 4, Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date].

Treatment of Reserves on Amalgamation

16. If the amalgamation is an 'amalgamation in the nature of merger', the identity of the reserves is preserved and they appear in the financial statements of the transferee company in the same form in which they appeared in the financial statements of the transferor company. Thus, for example, the General Reserve of the transferor company becomes the General Reserve of the transferee company, the Capital Reserve of the transferor company becomes the Capital Reserve of the transferee company and the Revaluation Reserve of the transferor company becomes the Revaluation Reserve of the transferee company. As a result of preserving the identity, reserves which are available for distribution as dividend before the amalgamation would also be available for distribution as dividend after the amalgamation. The difference between the amount recorded as share capital issued (plus any additional consideration in the form of cash or other assets) and the amount of share capital of the transferor company is adjusted is reserves in the financial statements of the transferee company.

17. If the amalgamation is an 'amalgamation in the nature of purchase', the identity of the reserves, other than the statutory reserves dealt with in paragraph 18, is not preserved. The amount of the consideration is deducted from the value of the net assets of the transferor company acquired by the transferee company. If the result of the computation is negative, the difference is debited to goodwill arising on amalgamation and dealt with in the manner stated in paragraphs 19-20. If the result of the computation is positive, the difference is credited to Capital Reserve.

18. Certain reserves may have been created by the transferor company pursuant to the requirements of, or to avail of the benefits under, the Income-tax Act, 1961; for example, Development Allowance Reserve, or Investment Allowance Reserve. The Act requires that the identity of the reserves should be preserved for a specified period. Likewise, certain other reserves may have been created in the financial statements of the transferor company in terms of the requirements of other statutes. Though, normally, in an amalgamation in the nature of purchase, the identity of reserves is not preserved, an exception is made in respect of reserves of the aforesaid nature (referred to hereinafter as 'statutory reserves') and such reserves retain their identity in the financial statements of the transferee company in the same form in which they appeared in the financial statements of the transferor company, so long as their identity is required to be maintained to comply with the relevant statute. This exception is made only in those amalgamations where the requirements of the relevant statute for recording the statutory reserves in the books of the transferee company are complied with. In such cases the statutory reserves are recorded in the financial statements of the transferee company by a corresponding debit to a suitable account head (e.g., 'Amalgamation Adjustment Reserve') which is presented as a separate line item. When the identity of the statutory reserves is no longer required to be maintained, both the reserves and the aforesaid account are reversed.

Treatment of Goodwill Arising on Amalgamation

19. Goodwill arising on amalgamation represents a payment made in anticipation of future income and it is appropriate to treat it as an asset to be amortised to income on a systematic basis over its useful life. Due to the nature of goodwill, it is frequently difficult to estimate its useful life with reasonable certainty. Such estimation is, therefore, made on a prudent basis. Accordingly, it is considered appropriate to amortise goodwill over a period not exceeding five years unless a somewhat longer period can be justified.

20. Factors which may be considered in estimating the useful life of goodwill arising on amalgamation include:

(a) the foreseeable life of the business or industry;

(b) the effects of product obsolescence, changes in demand and other economic factors;

(c) the service life expectancies of key individuals or groups of employees;

(d) expected actions by competitors or potential competitors; and

(e) legal, regulatory or contractual provisions affecting the useful life.

Balance of Profit and Loss Account

21. In the case of an 'amalgamation in the nature of merger', the balance of the Profit and Loss Account appearing in the financial statements of the transferor company is aggregated with the corresponding balance appearing in the financial statements of the transferee company. Alternatively, it is transferred to the General Reserve, if any.

22. In the case of an 'amalgamation in the nature of purchase', the balance of the Profit and Loss Account appearing in the financial statements of the transferor company, whether debit or credit, loses its identity.

Treatment of Reserves Specified in A Scheme of Amalgamation

23.* The scheme of amalgamation sanctioned under the provisions of the Companies Act, 1956 or any other statute may prescribe the treatment to be given to the reserves of the transferor company after its amalgamation. Where the treatment is so prescribed, the same is followed. In some cases, the scheme of amalgamation sanctioned under a statute may prescribe a different treatment to be given to the reserves of the transferor company after amalgamation as compared to the requirements of this Standard that would have been followed had no treatment been prescribed by the scheme. In such cases, the following disclosures are made in the first financial statements following the amalgamation:

(a) A description of the accounting treatment given to the reserves and the reasons for following the treatment different from that prescribed in this Standard.

* Paragraph 23 shall not apply to any scheme of amalgamation approved under the Companies Act, 2013.

(b) Deviations in the accounting treatment given to the reserves as prescribed by the scheme of amalgamation sanctioned under the statute as compared to the requirements of this Standard that would have been followed had no treatment been prescribed by the scheme.

(c) The financial effect, if any, arising due to such deviation.

Disclosure

24. For all amalgamations, the following disclosures are considered appropriate in the first financial statements following the amalgamation:

(a) names and general nature of business of the amalgamating companies;

(b) effective date of amalgamation for accounting purposes;

(c) the method of accounting used to reflect the amalgamation; and

(d) particulars of the scheme sanctioned under a statute.

25. For amalgamations accounted for under the pooling of interests method, the following additional disclosures are considered appropriate in the first financial statements following the amalgamation:

(a) description and number of shares issued, together with the percentage of each company's equity shares exchanged to effect the amalgamation;

(b) the amount of any difference between the consideration and the value of net identifiable assets acquired, and the treatment thereof.

26. For amalgamations accounted for under the purchase method, the following additional disclosures are considered appropriate in the first financial statements following the amalgamation:

(a) consideration for the amalgamation and a description of the consideration paid or contingently payable; and

(b) the amount of any difference between the consideration and the value of net identifiable assets acquired, and the treatment thereof including the period of amortisation of any goodwill arising on amalgamation.

Amalgamation after the Balance Sheet Date

27. When an amalgamation is effected after the balance sheet date but before the issuance of the financial statements of either party to the amalgamation, disclosure is made in accordance with AS 4, 'Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date', but the amalgamation is not incorporated in the financial statements. In certain circumstances, the amalgamation may also provide additional information affecting the financial statements themselves, for instance, by allowing the going concern assumption to be maintained.

Main Principles

28. An amalgamation may be either –

(a) an amalgamation in the nature of merger, or

(b) an amalgamation in the nature of purchase.

29. An amalgamation should be considered to be an amalgamation in the nature of merger when all the following conditions are satisfied:

(i) All the assets and liabilities of the transferor company become, after amalgamation, the assets and liabilities of the transferee company.

(ii) Shareholders holding not less than 90% of the face value of the equity shares of the transferor company (other than the equity shares already held therein, immediately before the amalgamation, by the transferee company or its subsidiaries or their nominees) become equity shareholders of the transferee company by virtue of the amalgamation.

(iii) The consideration for the amalgamation receivable by those equity shareholders of the transferor company who agree to become equity shareholders of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by the issue of equity shares in the transferee company, except that cash may be paid in respect of any fractional shares.

(iv) The business of the transferor company is intended to be carried on, after the amalgamation, by the transferee company.

(v) No adjustment is intended to be made to the book values of the assets and liabilities of the transferor company when they are incorporated in the financial statements of the transferee company except to ensure uniformity of accounting policies.

IndiaCode

30. An amalgamation should be considered to be an amalgamation in the nature of purchase, when any one or more of the conditions specified in paragraph 29 is not satisfied.

31. When an amalgamation is considered to be an amalgamation in the nature of merger, it should be accounted for under the pooling of interests method described in paragraphs 33–35.

32. When an amalgamation is considered to be an amalgamation in the nature of purchase, it should be accounted for under the purchase method described in paragraphs 36–39.

The Pooling of Interests Method

33. In preparing the transferee company's financial statements, the assets, liabilities and reserves (whether capital or revenue or arising on revaluation) of the transferor company should be recorded at their existing carrying amounts and in the same form as at the date of the amalgamation. The balance of the Profit and Loss Account of the transferor company should be aggregated with the corresponding balance of the transferee company or transferred to the General Reserve, if any.

34. If, at the time of the amalgamation, the transferor and the transferee companies have conflicting accounting policies, a uniform set of accounting policies should be adopted following the amalgamation. The effects on the financial statements of any changes in accounting policies should be reported in accordance with Accounting Standard (AS) 5 Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies.

35. The difference between the amount recorded as share capital issued (plus any additional consideration in the form of cash or other assets) and the amount of share capital of the transferor company should be adjusted in reserves.

The Purchase Method

36. In preparing the transferee company's financial statements, the assets and liabilities of the transferor company should be incorporated at their existing carrying amounts or, alternatively, the consideration should be allocated to individual identifiable assets and liabilities on the basis of their fair values at the date of amalgamation. The reserves (whether capital or revenue or arising on revaluation) of the transferor company, other than the statutory reserves, should not be included in the financial statements of the transferee company except as stated in paragraph 39.

37. Any excess of the amount of the consideration over the value of the net assets of the transferor company acquired by the transferee company should be recognised in the transferee company's financial statements as goodwill arising on amalgamation. If the amount of the consideration is lower than the value of the net assets acquired, the difference should be treated as Capital Reserve.

38. The goodwill arising on amalgamation should be amortised to income on a systematic basis over its useful life. The amortisation period should not exceed five years unless a somewhat longer period can be justified.

39. Where the requirements of the relevant statute for recording the statutory reserves in the books of the transferee company are complied with, statutory reserves of the transferor company should be recorded in the financial statements of the transferee company. The corresponding debit should be given to a suitable account head (e.g., 'Amalgamation Adjustment Reserve') which should be presented as a separate line item. When the identity of the statutory reserves is no longer required to be maintained, both the reserves and the aforesaid account should be reversed.

Common Procedures

40. The consideration for the amalgamation should include any noncash element at fair value. In case of issue of securities, the value fixed by the statutory authorities may be taken to be the fair value. In case of other assets, the fair value may be determined by reference to the market value of the assets given up. Where the market value of the assets given up cannot be reliably assessed, such assets may be valued at their respective net book values.

41. Where the scheme of amalgamation provides for an adjustment to the consideration contingent on one or more future events, the amount of the additional payment should be included in the consideration if payment is probable and a reasonable estimate of the amount can be made. In all other cases, the adjustment should be recognised as soon as the amount is determinable [see Accounting Standard

(AS) 4, Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date].

Treatment of Reserves Specified in A Scheme of Amalgamation

42. Where the scheme of amalgamation sanctioned under a statute prescribes the treatment to be given to the reserves of the transferor company after amalgamation, the same should be followed. Where the scheme of amalgamation sanctioned under a statute prescribes a different treatment to be given to the reserves of the transferor company after amalgamation as compared to the requirements of this Standard that would have been followed had no treatment been prescribed by the scheme, the following disclosures should be made in the first financial statements following the amalgamation:*

(a) A description of the accounting treatment given to the reserves and the reasons for following the treatment different from that prescribed in this Standard.

(b) Deviations in the accounting treatment given to the reserves as prescribed by the scheme of amalgamation sanctioned under the statute as compared to the requirements of this Standard that would have been followed had no treatment been prescribed by the scheme.

(c) The financial effect, if any, arising due to such deviation.

Disclosure

43. For all amalgamations, the following disclosures should be made in the first financial statements following the amalgamation:

(a) names and general nature of business of the amalgamating companies;

(b) effective date of amalgamation for accounting purposes;

(c) the method of accounting used to reflect the amalgamation; and

(d) particulars of the scheme sanctioned under a statute.

44. For amalgamations accounted for under the pooling of interests method, the following additional disclosures should be made in the first financial statements following the amalgamation:

(a) description and number of shares issued, together with the percentage of each company's equity shares exchanged to effect the amalgamation;

(b) the amount of any difference between the consideration and the value of net identifiable assets acquired, and the treatment thereof.

45. For amalgamations accounted for under the purchase method, the following additional disclosures should be made in the first financial statements following the amalgamation:

(a) consideration for the amalgamation and a description of the consideration paid or contingently payable; and

(b) the amount of any difference between the consideration and the value of net identifiable assets acquired, and the treatment thereof including the period of amortisation of any goodwill arising on amalgamation.

Amalgamation after the Balance Sheet Date

46. When an amalgamation is effected after the balance sheet date but before the issuance of the financial statements of either party to the amalgamation, disclosure should be made in accordance with 4, 'Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date', but the amalgamation should not be incorporated in the financial statements. In certain circumstances, the amalgamation may also provide additional information affecting the financial statements themselves, for instance, by allowing the going concern assumption to be maintained".

IndiaCode

* Paragraph 42 shall not apply to any scheme of amalgamation approved under the Companies Act, 2013.

11. In the principal rules, in the "ANNEXURE", under the heading "ACCOUNTING STANDARDS", for Accounting Standard (AS) 21, the following Accounting Standard shall be substituted, namely:-

"**Accounting Standard (AS) 21**

Consolidated Financial Statements[5]

*(This Accounting Standard includes paragraphs set in **bold italic** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs in bold italic type indicate the main principles. This Accounting Standard should be read in the context of its objective and the General Instructions contained in part A of the Annexure to the Notification.)*

Objective

The objective of this Standard is to lay down principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statements. Consolidated financial statements are presented by a parent (also known as holding enterprise) to provide financial information about the economic activities of its group. These statements are intended to present financial information about a parent and its subsidiary (ies) as a single economic entity to show the economic resources controlled by the group, the obligations of the group and results the group achieves with its resources.

Scope

1. This Standard should be applied in the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of enterprises under the control of a parent.

2. This Standard should also be applied in accounting for investments in subsidiaries in the separate financial statements of a parent.

3. In the preparation of consolidated financial statements, other Accounting Standards also apply in the same manner as they apply to the separate statements.

4. This Standard does not deal with:

(a) methods of accounting for amalgamations and their effects on consolidation, including goodwill arising on amalgamation (see AS 14, Accounting for Amalgamations);

(b) accounting for investments in associates (at present governed by AS 13, Accounting for Investments[6]); and

(c) accounting for investments in joint ventures (at present governed by AS 13, Accounting for Investments[7]).

Definitions

5. For the purpose of this Standard, the following terms are used with the meanings specified:

5.1 Control:

(a) the ownership, directly or indirectly through subsidiary(ies), of more than one-half of the voting power of an enterprise; or

(b) control of the composition of the board of directors in the case of a company or of the composition of the corresponding governing body in case of any other enterprise so as to obtain economic benefits from its activities.

5.2 A subsidiary is an enterprise that is controlled by another enterprise (known as the parent).

5.3 A parent is an enterprise that has one or more subsidiaries.

5.4 A group is a parent and all its subsidiaries.

5.5 Consolidated financial statements are the financial statements of a group presented as those of a single enterprise.

5.6 Equity is the residual interest in the assets of an enterprise after deducting all its liabilities.

5.7 Minority interest is that part of the net results of operations and of the net assets of a subsidiary attributable to interests which are not owned, directly or indirectly through subsidiary(ies), by the parent.

[5] It is clarified that AS 21 is mandatory if an enterprise presents consolidated financial statements. In other words, the accounting standard does not mandate an enterprise to present consolidated financial statements but, if the enterprise presents consolidated financial statements for complying with the requirements of any statute or otherwise, it should prepare and present consolidated financial statements in accordance with AS 21.

[6] Accounting Standard (AS) 23, 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements', specifies the requirements relating to accounting for investments in associates in Consolidated Financial Statements.

[7] Accounting Standard (AS) 27, 'Financial Reporting of Interests in Joint Ventures', specifies the requirements relating to accounting for investments in joint ventures.

IndiaCode

6. Consolidated financial statements normally include consolidated balance sheet, consolidated statement of profit and loss, and notes, other statements and explanatory material that form an integral part thereof. Consolidated cash flow statement is presented in case a parent presents its own cash flow statement. The consolidated financial statements are presented, to the extent possible, in the same format as that adopted by the parent for its separate financial statements.

Explanation:

All the notes appearing in the separate financial statements of the parent enterprise and its subsidiaries need not be included in the notes to the consolidated financial statements. For preparing consolidated financial statements, the following principles may be observed in respect of notes and other explanatory material that form an integral part thereof:

(a) Notes which are necessary for presenting a true and fair view of the consolidated financial statements are included in the consolidated financial statements as an integral part thereof.

(b) Only the notes involving items which are material need to be disclosed. Materiality for this purpose is assessed in relation to the information contained in consolidated financial statements. In view of this, it is possible that certain notes which are disclosed in separate financial statements of a parent or a subsidiary would not be required to be disclosed in the consolidated financial statements when the test of materiality is applied in the context of consolidated financial statements.

(c) Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the subsidiary and/or a parent having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements need not be disclosed in the consolidated financial statements. An illustration of such information in the case of companies is attached to the Standard.

Presentation of Consolidated Financial Statements

7. A parent which presents consolidated financial statements should present these statements in addition to its separate financial statements.

8. Users of the financial statements of a parent are usually concerned with, and need to be informed about, the financial position and results of operations of not only the enterprise itself but also of the group as a whole. This need is served by providing the users –

(a) separate financial statements of the parent; and

(b) consolidated financial statements, which present financial information about the group as that of a single enterprise without regard to the legal boundaries of the separate legal entities.

Scope of Consolidated Financial Statements

9. A parent which presents consolidated financial statements should consolidate all subsidiaries, domestic as well as foreign, other than those referred to in paragraph 11. Where an enterprise does not have a subsidiary but has an associate and/or a joint venture such an enterprise should also prepare consolidated financial statements in accordance with Accounting Standard (AS) 23, Accounting for Associates in Consolidated Financial Statements, and Accounting Standard (AS) 27, Financial Reporting of Interests in Joint Ventures respectively.

10. The consolidated financial statements are prepared on the basis of financial statements of parent and all enterprises that are controlled by the parent, other than those subsidiaries excluded for the reasons set out in paragraph 11. Control exists when the parent owns, directly or indirectly through subsidiary(ies), more than one-half of the voting power of an enterprise. Control also exists when an enterprise controls the composition of the board of directors (in the case of a company) or of the corresponding governing body (in case of an enterprise not being a company) so as to obtain economic benefits from its activities. An enterprise may control the composition of the governing bodies of entities such as gratuity trust, provident fund trust etc. Since the objective of control over such entities is not to obtain economic benefits from their activities, these are not considered for the purpose of preparation of consolidated financial statements. For the purpose of this Standard, an enterprise is considered to control the composition of:

(i) the board of directors of a company, if it has the power, without the consent or concurrence of any other person, to appoint or remove all or a majority of directors of that company. An enterprise is deemed to have the power to appoint a director, if any of the following conditions is satisfied:

(a) a person cannot be appointed as director without the exercise in his favour by that enterprise of such a power as aforesaid; or

(b) a person's appointment as director follows necessarily from his appointment to a position held by him in that enterprise; or

(c) the director is nominated by that enterprise or a subsidiary thereof.

IndiaCode

(ii) the governing body of an enterprise that is not a company, if it has the power, without the consent or the concurrence of any other person, to appoint or remove all or a majority of members of the governing body of that other enterprise. An enterprise is deemed to have the power to appoint a member, if any of the following conditions is satisfied:

(a) a person cannot be appointed as member of the governing body without the exercise in his favour by that other enterprise of such a power as aforesaid; or

(b) a person's appointment as member of the governing body follows necessarily from his appointment to a position held by him in that other enterprise; or

(c) the member of the governing body is nominated by that other enterprise.

Explanation:

It is possible that an enterprise is controlled by two enterprises – one controls by virtue of ownership of majority of the voting power of that enterprise and the other controls, by virtue of an agreement or otherwise, the composition of the board of directors so as to obtain economic benefits from its activities. In such a rare situation, when an enterprise is controlled by two enterprises as per the definition of 'control', the first mentioned enterprise will be considered as subsidiary of both the controlling enterprises within the meaning of this Standard and, therefore, both the enterprises need to consolidate the financial statements of that enterprise as per the requirements of this Standard.

11. A subsidiary should be excluded from consolidation when:

(a) control is intended to be temporary because the subsidiary is acquired and held exclusively with a view to its subsequent disposal in the near future; or

(b) it operates under severe long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer funds to the parent.

In consolidated financial statements, investments in such subsidiaries should be accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 13, Accounting for Investments. The reasons for not consolidating a subsidiary should be disclosed in the consolidated financial statements.

Explanation:

(a) Where an enterprise owns majority of voting power by virtue of ownership of the shares of another enterprise and all the shares are held as 'stock-in-trade' and are acquired and held exclusively with a view to their subsequent disposal in the near future, the control by the first mentioned enterprise is considered to be temporary within the meaning of paragraph 11(a).

(b) The period of time, which is considered as near future for the purposes of this Standard primarily depends on the facts and circumstances of each case. However, ordinarily, the meaning of the words 'near future' is considered as not more than twelve months from acquisition of relevant investments unless a longer period can be justified on the basis of facts and circumstances of the case. The intention with regard to disposal of the relevant investment is considered at the time of acquisition of the investment. Accordingly, if the relevant investment is acquired without an intention to its subsequent disposal in near future, and subsequently, it is decided to dispose off the investment, such an investment is not excluded from consolidation, until the investment is actually disposed off. Conversely, if the relevant investment is acquired with an intention to its subsequent disposal in near future, but, due to some valid reasons, it could not be disposed off within that period, the same will continue to be excluded from consolidation, provided there is no change in the intention.

12. Exclusion of a subsidiary from consolidation on the ground that its business activities are dissimilar from those of the other enterprises within the group is not justified because better information is provided by consolidating such subsidiaries and disclosing additional information in the consolidated financial statements about the different business activities of subsidiaries. For example, the disclosures required by Accounting Standard (AS) 17, Segment Reporting, help to explain the significance of different business activities within the group.

Consolidation Procedures

13. In preparing consolidated financial statements, the financial statements of the parent and its subsidiaries should be combined on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses. In order that the consolidated financial statements present financial information about the group as that of a single enterprise, the following steps should be taken:

IndiaCode

(a) the cost to the parent of its investment in each subsidiary and the parent's portion of equity of each subsidiary, at the date on which investment in each subsidiary is made, should be eliminated;

(b) any excess of the cost to the parent of its investment in a subsidiary over the parent's portion of equity of the subsidiary, at the date on which investment in the subsidiary is made, should be described as goodwill to be recognised as an asset in the consolidated financial statements;

(c) when the cost to the parent of its investment in a subsidiary is less than the parent's portion of equity of the subsidiary, at the date on which investment in the subsidiary is made, the difference should be treated as a capital reserve in the consolidated financial statements;

(d) minority interests in the net income of consolidated subsidiaries for the reporting period should be identified and adjusted against the income of the group in order to arrive at the net income attributable to the owners of the parent; and

(e) minority interests in the net assets of consolidated subsidiaries should be identified and presented in the consolidated balance sheet separately from liabilities and the equity of the parent's shareholders. Minority interests in the net assets consist of:

(i) the amount of equity attributable to minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ii) the minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came in existence.

Where the carrying amount of the investment in the subsidiary is different from its cost, the carrying amount is considered for the purpose of above computations.

Explanation:

(a) The tax expense (comprising current tax and deferred tax) to be shown in the consolidated financial statements should be the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries.

(b) The parent's share in the post-acquisition reserves of a subsidiary, forming part of the corresponding reserves in the consolidated balance sheet, is not required to be disclosed separately in the consolidated balance sheet keeping in view the objective of consolidated financial statements to present financial information of the group as a whole. In view of this, the consolidated reserves disclosed in the consolidated balance sheet are inclusive of the parent's share in the post-acquisition reserves of a subsidiary.

14. The parent's portion of equity in a subsidiary, at the date on which investment is made, is determined on the basis of information contained in the financial statements of the subsidiary as on the date of investment. However, if the financial statements of a subsidiary, as on the date of investment, are not available and if it is impracticable to draw the financial statements of the subsidiary as on that date, financial statements of the subsidiary for the immediately preceding period are used as a basis for consolidation. Adjustments are made to these financial statements for the effects of significant transactions or other events that occur between the date of such financial statements and the date of investment in the subsidiary.

15. If an enterprise makes two or more investments in another enterprise at different dates and eventually obtains control of the other enterprise, the consolidated financial statements are presented only from the date on which holding-subsidiary relationship comes in existence. If two or more investments are made over a period of time, the equity of the subsidiary at the date of investment, for the purposes of paragraph 13 above, is generally determined on a step-by-step basis; however, if small investments are made over a period of time and then an investment is made that results in control, the date of the latest investment, as a practicable measure, may be considered as the date of investment.

16. Intragroup balances and intragroup transactions and resulting unrealised profits should be eliminated in full. Unrealised losses resulting from intragroup transactions should also be eliminated unless cost cannot be recovered.

17. Intragroup balances and intragroup transactions, including sales, expenses and dividends, are eliminated in full. Unrealised profits resulting from intragroup transactions that are included in the carrying amount of assets, such as inventory and fixed assets, are eliminated in full. Unrealised losses resulting from intragroup transactions that are deducted in arriving at the carrying amount of assets are also eliminated unless cost cannot be recovered.

18. The financial statements used in the consolidation should be drawn up to the same reporting date. If it is not practicable to draw up the financial statements of one or more subsidiaries to such date and, accordingly, those financial statements are drawn up to different reporting dates, adjustments should be made for the effects of significant transactions or other events that occur between those dates and the date of the parent's financial statements. In any case, the difference between reporting dates should not be more than six months.

19. The financial statements of the parent and its subsidiaries used in the preparation of the consolidated financial statements are usually drawn up to the same date. When the reporting dates are different, the subsidiary often prepares, for consolidation purposes, statements as at the same date as that of the parent. When it is impracticable to do this, financial statements drawn up to different reporting dates may be used provided the difference in reporting dates is not more than six months. The consistency principle requires that the length of the reporting periods and any difference in the reporting dates should be the same from period to period.

20. Consolidated financial statements should be prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. If it is not practicable to use uniform accounting policies in preparing the consolidated financial statements, that fact should be disclosed together with the proportions of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies have been applied.

21. If a member of the group uses accounting policies other than those adopted in the consolidated financial statements for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to its financial statements when they are used in preparing the consolidated financial statements.

22. The results of operations of a subsidiary are included in the consolidated financial statements as from the date on which parent-subsidiary relationship came in existence. The results of operations of a subsidiary with which parent-subsidiary relationship ceases to exist are included in the consolidated statement of profit and loss until the date of cessation of the relationship. The difference between the proceeds from the disposal of investment in a subsidiary and the carrying amount of its assets less liabilities as of the date of disposal is recognised in the consolidated statement of profit and loss as the profit or loss on the disposal of the investment in the subsidiary. In order to ensure the comparability of the financial statements from one accounting period to the next, supplementary information is often provided about the effect of the acquisition and disposal of subsidiaries on the financial position at the reporting date and the results for the reporting period and on the corresponding amounts for the preceding period.

23. An investment in an enterprise should be accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 13, Accounting for Investments, from the date that the enterprise ceases to be a subsidiary and does not become an associate[8].

24. The carrying amount of the investment at the date that it ceases to be a subsidiary is regarded as cost thereafter.

25. Minority interests should be presented in the consolidated balance sheet separately from liabilities and the equity of the parent's shareholders. Minority interests in the income of the group should also be separately presented.

26. The losses applicable to the minority in a consolidated subsidiary may exceed the minority interest in the equity of the subsidiary. The excess, and any further losses applicable to the minority, are adjusted against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation to, and is able to, make good the losses. If the subsidiary subsequently reports profits, all such profits are allocated to the majority interest until the minority's share of losses previously absorbed by the majority has been recovered.

27. If a subsidiary has outstanding cumulative preference shares which are held outside the group, the parent computes its share of profits or losses after adjusting for the subsidiary's preference dividends, whether or not dividends have been declared.

Accounting for Investments in Subsidiaries in a Parent's Separate Financial Statements

28. In a parent's separate financial statements, investments in subsidiaries should be accounted for in accordance with Accounting Standard (AS) 13, Accounting for Investments.

[8] Accounting Standard (AS) 23, 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements', defines the term 'associate' and specifies the requirements relating to accounting for investments in associates in consolidated Financial Statements.

Disclosure

29. In addition to disclosures required by paragraph 11 and 20, following disclosures should be made:

(a) in consolidated financial statements a list of all subsidiaries including the name, country of incorporation or residence, proportion of ownership interest and, if different, proportion of voting power held;

(b) in consolidated financial statements, where applicable:

(i) the nature of the relationship between the parent and a subsidiary, if the parent does not own, directly or indirectly through subsidiaries, more than one-half of the voting power of the subsidiary;

(ii) the effect of the acquisition and disposal of subsidiaries on the financial position at the reporting date, the results for the reporting period and on the corresponding amounts for the preceding period; and

(iii) the names of the subsidiary(ies) of which reporting date(s) is/are different from that of the parent and the difference in reporting dates.

Transitional Provisions

30. On the first occasion that consolidated financial statements are presented, comparative figures for the previous period need not be presented. In all subsequent years full comparative figures for the previous period should be presented in the consolidated financial statements.

Illustration

Note: This illustration does not form part of the Accounting Standard. Its purpose is to assist in clarifying the meaning of the Accounting Standard.

In the case of companies, the information such as the following given in the notes to the separate financial statements of the parent and/or the subsidiary, need not be included in the consolidated financial statements:

(i) Source from which bonus shares are issued, e.g., capitalisation of profits or Reserves or from Share Premium Account.

(ii) Disclosure of all unutilised monies out of the issue indicating the form in which such unutilised funds have been invested.

(iii) The name(s) of small scale industrial undertaking(s) to whom the company owe any sum together with interest outstanding for more than thirty days.

(iv) A statement of investments (whether shown under "Investment" or under "Current Assets" as stock-in-trade) separately classifying trade investments and other investments, showing the names of the bodies corporate (indicating separately the names of the bodies corporate under the same management) in whose shares or debentures, investments have been made (including all investments, whether existing or not, made subsequent to the date as at which the previous balance sheet was made out) and the nature and extent of the investment so made in each such body corporate.

(v) Quantitative information in respect of sales, raw materials consumed, opening and closing stocks of goods produced/ traded and purchases made, wherever applicable.

(vi) A statement showing the computation of net profits in accordance with section 198 of the Companies Act, 2013, with relevant details of the calculation of the commissions payable by way of percentage of such profits to the directors (including managing directors) or manager (if any).

(vii) In the case of manufacturing companies, quantitative information in regard to the licensed capacity (where licence is in force); the installed capacity; and the actual production.

(viii) Value of imports calculated on C.I.F. basis by the company during the financial year in respect of :

(a) raw materials;

(b) components and spare parts;

(c) capital goods.

(ix) Expenditure in foreign currency during the financial year on account of royalty, know-how, professional, consultation fees, interest, and other matters.

(x) Value of all imported raw materials, spare parts and components consumed during the financial year and the value of all indigenous raw materials, spare parts and components similarly consumed and the percentage of each to the total consumption.

India Code

(xi) The amount remitted during the year in foreign currencies on account of dividends, with a specific mention of the number of non-resident shareholders, the number of shares held by them on which the dividends were due and the year to which the dividends related.

(xii) Earnings in foreign exchange classified under the following heads, namely:

(a) export of goods calculated on F.O.B. basis;

(b) royalty, know-how, professional and consultation fees;

(c) interest and dividend;

(d) other income, indicating the nature thereof".

12. In the principal rules, in the "ANNEXURE", under the heading "ACCOUNTING STANDARDS", for Accounting Standard (AS) 29, the following Accounting Standard shall be substituted, namely:-

"Accounting Standard (AS) 29

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

*(This Accounting Standard includes paragraphs set in **bold italic** type and plain type, which have equal authority. Paragraphs set in bold italic type indicate the main principles. This Accounting Standard should be read in the context of its objective and the General Instructions contained in part A of the Annexure to the Notification.)*

Pursuant to this Accounting Standard coming into effect, all paragraphs of Accounting Standard (AS) 4, Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet Date, that deal with contingencies (viz., paragraphs 1 (a), 2, 3.1, 4 (4.1 to 4.4), 5 (5.1 to 5.6), 6, 7 (7.1 to 7.3), 9.1 (relevant portion), 9.2, 10, 11, 12 and 16), stand withdrawn except to the extent they deal with impairment of assets not covered by other Indian Accounting Standards.

Objective

The objective of this Standard is to ensure that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions and contingent liabilities and that sufficient information is disclosed in the notes to the financial statements to enable users to understand their nature, timing and amount. The objective of this Standard is also to lay down appropriate accounting for contingent assets.

Scope

1. This Standard should be applied in accounting for provisions and contingent liabilities and in dealing with contingent assets, except:

(a) those resulting from financial instruments[9] that are carried at fair value;

(b) those resulting from executory contracts, except where the contract is onerous; Explanation :

(i) An 'onerous contract' is a contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received under it. Thus, for a contract to qualify as an onerous contract, the unavoidable costs of meeting the obligation under the contract should exceed the economic benefits expected to be received under it. The unavoidable costs under a contract reflect the least net cost of exiting from the contract, which is the lower of the cost of fulfilling it and any compensation or penalties arising from failure to fulfill it.

(ii) If an enterprise has a contract that is onerous, the present obligation under the contract is recognised and measured as a provision as per this Statement.

The application of the above explanation is illustrated in Illustration 10 of Illustration C attached to the Standard.

(c) those arising in insurance enterprises from contracts with policy-holders; and

(d) those covered by another Accounting Standard.

2. This Standard applies to financial instruments (including guarantees) that are not carried at fair value.

3. Executory contracts are contracts under which neither party has performed any of its obligations or both parties have partially performed their obligations to an equal extent. This Standard does not apply to executory contracts unless they are onerous.

[9] For the purpose of this Standard, the term 'financial instruments' shall have the same meaning as in Accounting Standard (AS) 20, Earnings Per Share

4. This Standard applies to provisions, contingent liabilities and contingent assets of insurance enterprises other than those arising from contracts with policy-holders.

5. Where another Accounting Standard deals with a specific type of provision, contingent liability or contingent asset, an enterprise applies that Standard instead of this Standard. For example, certain types of provisions are also addressed in Accounting Standards on:

(a) construction contracts (see AS 7, Construction Contracts);

(b) taxes on income (see AS 22, Accounting for Taxes on Income);

(c) leases (see AS 19, Leases) . However, as AS 19 contains no specific requirements to deal with operating leases that have become onerous, this Statement applies to such cases; and

(d) retirement benefits (see AS 15, Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers).

6. Some amounts treated as provisions may relate to the recognition of revenue, for example where an enterprise gives guarantees in exchange for a fee. This Standard does not address the recognition of revenue. AS 9, Revenue Recognition, identifies the circumstances in which revenue is recognised and provides practical guidance on the application of the recognition criteria. This Standard does not change the requirements of AS 9.

7. This Standard defines provisions as liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimation. The term 'provision' is also used in the context of items such as depreciation, impairment of assets and doubtful debts: these are adjustments to the carrying amounts of assets and are not addressed in this Standard.

8. Other Accounting Standards specify whether expenditures are treated as assets or as expenses. These issues are not addressed in this Standard. Accordingly, this Standard neither prohibits nor requires capitalisation of the costs recognised when a provision is made.

9. This Standard applies to provisions for restructuring (including discontinuing operations). Where a restructuring meets the definition of a discontinuing operation, additional disclosures are required by AS 24, Discontinuing Operations.

Definitions

10. The following terms are used in this Standard with the meanings specified:

10.1A provision is a liability which can be measured only by using a substantial degree of estimation.

10.2A liability is a present obligation of the enterprise arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefits.

10.3An obligating event is an event that creates an obligation that results in an enterprise having no realistic alternative to settling that obligation.

10.4 A contingent liability is:

(a) a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise; or

(b) a present obligation that arises from past events but is not recognised because:

(i) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or

(ii) a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

10.5A contingent asset is a possible asset that arises from past events the existence of which will be confirmed only by the occurrence or nonoccurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise.

10.6Present obligation - an obligation is a present obligation if, based on the evidence available, its existence at the balance sheet date is considered probable, i.e., more likely than not.

10.7 Possible obligation - an obligation is a possible obligation if, based on the evidence available, its existence at the balance sheet date is considered not probable.

10.8 A restructuring is a programme that is planned and controlled by management, and materially changes either:

(a) the scope of a business undertaken by an enterprise; or

(b) the manner in which that business is conducted.

11. An obligation is a duty or responsibility to act or perform in a certain way. Obligations may be legally enforceable as a consequence of a binding contract or statutory requirement. Obligations also arise from normal business practice, custom and a desire to maintain good business relations or act in an equitable manner.

12. Provisions can be distinguished from other liabilities such as trade payables and accruals because in the measurement of provisions substantial degree of estimation is involved with regard to the future expenditure required in settlement. By contrast:

(a) trade payables are liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied and have been invoiced or formally agreed with the supplier; and

(b) accruals are liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied but have not been paid, invoiced or formally agreed with the supplier, including amounts due to employees. Although it is sometimes necessary to estimate the amount of accruals, the degree of estimation is generally much less than that for provisions.

13. In this Standard, the term 'contingent' is used for liabilities and assets that are not recognised because their existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise. In addition, the term 'contingent liability' is used for liabilities that do not meet the recognition criteria.

IndiaCode

Recognition

Provisions

14. A provision should be recognised when:

(a) an enterprise has a present obligation as a result of a past event;

(b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and

(c) a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

If these conditions are not met, no provision should be recognised.

Present Obligation

15. In almost all cases it will be clear whether a past event has given rise to a present obligation. In rare cases, for example in a lawsuit, it may be disputed either whether certain events have occurred or whether those events result in a present obligation. In such a case, an enterprise determines whether a present obligation exists at the balance sheet date by taking account of all available evidence, including, for example, the opinion of experts. The evidence considered includes any additional evidence provided by events after the balance sheet date. On the basis of such evidence:

(a) where it is more likely than not that a present obligation exists at the balance sheet date, the enterprise recognises a provision (if the recognition criteria are met); and

(b) where it is more likely that no present obligation exists at the balance sheet date, the enterprise discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote (see paragraph 68).

Past Event

16. A past event that leads to a present obligation is called an obligating event. For an event to be an obligating event, it is necessary that the enterprise has no realistic alternative to settling the obligation created by the event.

17. Financial statements deal with the financial position of an enterprise at the end of its reporting period and not its possible position in the future. Therefore, no provision is recognised for costs that need to be incurred to operate in the future. The only liabilities recognised in an enterprise's balance sheet are those that exist at the balance sheet date.

18. It is only those obligations arising from past events existing independently of an enterprise's future actions (i.e. the future conduct of its business) that are recognised as provisions. Examples of such obligations are penalties or clean-up costs for unlawful environmental damage, both of which would lead to an outflow of resources embodying economic benefits in settlement regardless of the future actions of the enterprise. Similarly, an enterprise recognises a provision for the decommissioning costs of an oil installation to the extent that the enterprise is obliged to rectify damage already caused. In contrast, because of commercial pressures or legal requirements, an enterprise may intend or need to carry out expenditure to operate in a particular way in the future (for example, by fitting smoke filters in a certain type of factory). Because the enterprise can avoid the future expenditure by its future actions, for example by changing its method of operation, it has no present obligation for that future expenditure and no provision is recognised.

19. An obligation always involves another party to whom the obligation is owed. It is not necessary, however, to know the identity of the party to whom the obligation is owed — indeed the obligation may be to the public at large.

20. An event that does not give rise to an obligation immediately may do so at a later date, because of changes in the law. For example, when environmental damage is caused there may be no obligation to remedy the consequences. However, the causing of the damage will become an obligating event when a new law requires the existing damage to be rectified.

21. Where details of a proposed new law have yet to be finalised, an obligation arises only when the legislation is virtually certain to be enacted. Differences in circumstances surrounding enactment usually make it impossible to specify a single event that would make the enactment of a law virtually certain. In many cases it will be impossible to be virtually certain of the enactment of a law until it is enacted.

Probable Outflow of Resources Embodying Economic Benefits

22. For a liability to qualify for recognition there must be not only a present obligation but also the probability of an outflow of resources embodying economic benefits to settle that obligation. For the purpose of this Standard[10] , an outflow of resources or other event is regarded as probable if the event is more likely than not to occur, i.e., the probability that the event will occur is greater than the probability that it will not. Where it is not probable that a present obligation exists, an enterprise discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote (see paragraph 68).

23. Where there are a number of similar obligations (e.g. product warranties or similar contracts) the probability that an outflow will be required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. Although the likelihood of outflow for any one item may be small, it may well be probable that some outflow of resources will be needed to settle the class of obligations as a whole. If that is the case, a provision is recognised (if the other recognition criteria are met).

Reliable Estimate of the Obligation

24. The use of estimates is an essential part of the preparation of financial statements and does not undermine their reliability. This is especially true in the case of provisions, which by their nature involve a greater degree of estimation than most other items. Except in extremely rare cases, an enterprise will be able to determine a range of possible outcomes and can therefore make an estimate of the obligation that is reliable to use in recognising a provision.

25. In the extremely rare case where no reliable estimate can be made, a liability exists that cannot be recognised. That liability is disclosed as a contingent liability (see paragraph 68).

Contingent Liabilities

26. An enterprise should not recognise a contingent liability.

27. A contingent liability is disclosed, as required by paragraph 68, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

[10] The interpretation of 'probable' in this Standard as 'more likely than not' does not necessarily apply in other Accounting Standards

28. Where an enterprise is jointly and severally liable for an obligation, the part of the obligation that is expected to be met by other parties is treated as a contingent liability. The enterprise recognises a provision for the part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made (see paragraph 14).

29. Contingent liabilities may develop in a way not initially expected. Therefore, they are assessed continually to determine whether an outflow of resources embodying economic benefits has become probable. If it becomes probable that an outflow of future economic benefits will be required for an item previously dealt with as a contingent liability, a provision is recognised in accordance with paragraph 14 in the financial statements of the period in which the change in probability occurs (except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made).

Contingent Assets

30. An enterprise should not recognise a contingent asset.

31. Contingent assets usually arise from unplanned or other unexpected events that give rise to the possibility of an inflow of economic benefits to the enterprise. An example is a claim that an enterprise is pursuing through legal processes, where the outcome is uncertain.

32. Contingent assets are not recognised in financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised. However, when the realisation of income is virtually certain, then the related asset is not a contingent asset and its recognition is appropriate.

33. A contingent asset is not disclosed in the financial statements. It is usually disclosed in the report of the approving authority (Board of Directors in the case of a company, and, the corresponding approving authority in the case of any other enterprise), where an inflow of economic benefits is probable.

34. Contingent assets are assessed continually and if it has become virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and the related income are recognised in the financial statements of the period in which the change occurs.

Measurement

Best Estimate

35. The amount recognised as a provision should be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the balance sheet date. The amount of a provision should not be discounted to its present value except in case of decommissioning, restoration and similar liabilities that are recognised as cost of Property, Plant and Equipment. The discount rate (or rates) should be a pre-tax rate (or rates) that reflect(s) current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The discount rate(s) should not reflect risks for which future cash flow estimates have been adjusted. Periodic unwinding of discount should be recognised in the statement of profit and loss.

36. The estimates of outcome and financial effect are determined by the judgment of the management of the enterprise, supplemented by experience of similar transactions and, in some cases, reports from independent experts. The evidence considered includes any additional evidence provided by events after the balance sheet date.

37. The provision is measured before tax; the tax consequences of the provision, and changes in it, are dealt with under AS 22, Accounting for Taxes on Income.

Risks and Uncertainties

38. The risks and uncertainties that inevitably surround many events and circumstances should be taken into account in reaching the best estimate of a provision.

39. Risk describes variability of outcome. A risk adjustment may increase the amount at which a liability is measured. Caution is needed in making judgments under conditions of uncertainty, so that income or assets are not overstated and expenses or liabilities are not understated. However, uncertainty does not justify the creation of excessive provisions or a deliberate overstatement of liabilities. For example, if the projected costs of a particularly adverse outcome are estimated on a prudent basis, that outcome is not then deliberately treated as more probable than is realistically the case. Care is needed to avoid duplicating adjustments for risk and uncertainty with consequent overstatement of a provision.

40. Disclosure of the uncertainties surrounding the amount of the expenditure is made under paragraph 67(b).

Future Events

41. Future events that may affect the amount required to settle an obligation should be reflected in the amount of a provision where there is sufficient objective evidence that they will occur.

42. Expected future events may be particularly important in measuring provisions. For example, an enterprise may believe that the cost of cleaning up a site at the end of its life will be reduced by future changes in technology. The amount recognised reflects a reasonable expectation of technically qualified, objective observers, taking account of all available evidence as to the technology that will be available at the time of the clean-up. Thus, it is appropriate to include, for example, expected cost reductions associated with increased experience in applying existing technology or the expected cost of applying existing technology to a larger or more complex clean-up operation than has previously been carried out. However, an enterprise does not anticipate the development of a completely new technology for cleaning up unless it is supported by sufficient objective evidence.

43. The effect of possible new legislation is taken into consideration in measuring an existing obligation when sufficient objective evidence exists that the legislation is virtually certain to be enacted. The variety of circumstances that arise in practice usually makes it impossible to specify a single event that will provide sufficient, objective evidence in every case. Evidence is required both of what legislation will demand and of whether it is virtually certain to be enacted and implemented in due course. In many cases sufficient objective evidence will not exist until the new legislation is enacted.

Expected Disposal of Assets

44. Gains from the expected disposal of assets should not be taken into account in measuring a provision.

45. Gains on the expected disposal of assets are not taken into account in measuring a provision, even if the expected disposal is closely linked to the event giving rise to the provision. Instead, an enterprise recognises gains on expected disposals of assets at the time specified by the Accounting Standard dealing with the assets concerned.

IndiaCode

Reimbursements

46. Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement should be recognised when, and only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the enterprise settles the obligation. The reimbursement should be treated as a separate asset. The amount recognised for the reimbursement should not exceed the amount of the provision.

47. In the statement of profit and loss, the expense relating to a provision may be presented net of the amount recognised for a reimbursement.

48. Sometimes, an enterprise is able to look to another party to pay part or all of the expenditure required to settle a provision (for example, through insurance contracts, indemnity clauses or suppliers' warranties). The other party may either reimburse amounts paid by the enterprise or pay the amounts directly.

49. In most cases, the enterprise will remain liable for the whole of the amount in question so that the enterprise would have to settle the full amount if the third party failed to pay for any reason. In this situation, a provision is recognised for the full amount of the liability, and a separate asset for the expected reimbursement is recognised when it is virtually certain that reimbursement will be received if the enterprise settles the liability.

50. In some cases, the enterprise will not be liable for the costs in question if the third party fails to pay. In such a case, the enterprise has no liability for those costs and they are not included in the provision.

51. As noted in paragraph 28, an obligation for which an enterprise is jointly and severally liable is a contingent liability to the extent that it is expected that the obligation will be settled by the other parties.

Changes in Provisions

52. Provisions should be reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision should be reversed.

Use of Provisions

53. A provision should be used only for expenditures for which the provision was originally recognised.

54. Only expenditures that relate to the original provision are adjusted against it. Adjusting expenditures against a provision that was originally recognised for another purpose would conceal the impact of two different events.

Application of the Recognition and Measurement Rules

Future Operating Losses

55. Provisions should not be recognised for future operating losses.

56. Future operating losses do not meet the definition of a liability in paragraph 10 and the general recognition criteria set out for provisions in paragraph 14.

57. An expectation of future operating losses is an indication that certain assets of the operation may be impaired. An enterprise tests these assets for impairment under Accounting Standard (AS) 28, Impairment of Assets.

Restructuring

58. The following are examples of events that may fall under the definition of restructuring:

(a) sale or termination of a line of business;

(b) the closure of business locations in a country or region or the relocation of business activities from one country or region to another;

(c) changes in management structure, for example, eliminating a layer of management; and

(d) fundamental re-organisations that have a material effect on the nature and focus of the enterprise's operations.

59. A provision for restructuring costs is recognised only when the recognition criteria for provisions set out in paragraph 14 are met.

60. No obligation arises for the sale of an operation until the enterprise is committed to the sale, i.e., there is a binding sale agreement.

61. An enterprise cannot be committed to the sale until a purchaser has been identified and there is a binding sale agreement. Until there is a binding sale agreement, the enterprise will be able to change its mind and indeed will have to take another course of action if a purchaser cannot be found on acceptable terms. When the sale of an operation is envisaged as part of a restructuring, the assets of the operation are reviewed for impairment under Accounting Standard (AS) 28, Impairment of Assets.

62. A restructuring provision should include only the direct expenditures arising from the restructuring, which are those that are both:

(a) necessarily entailed by the restructuring; and

(b) not associated with the ongoing activities of the enterprise.

63. A restructuring provision does not include such costs as:

(a) retraining or relocating continuing staff;

(b) marketing; or

(c) investment in new systems and distribution networks.

These expenditures relate to the future conduct of the business and are not liabilities for restructuring at the balance sheet date. Such expenditures are recognised on the same basis as if they arose independently of a restructuring.

IndiaCode

64. Identifiable future operating losses up to the date of a restructuring are not included in a provision.

65. As required by paragraph 44, gains on the expected disposal of assets are not taken into account in measuring a restructuring provision, even if the sale of assets is envisaged as part of the restructuring.

Disclosure

66. For each class of provision, an enterprise should disclose:

(a) the carrying amount at the beginning and end of the period;

(b) additional provisions made in the period, including increases to existing provisions;

(c) amounts used (i.e. incurred and charged against the provision) during the period; and

(d) unused amounts reversed during the period.

Provided that a Small and Medium-sized Company, as defined in the Notification, may not comply with paragraph 66 above.

67. An enterprise should disclose the following for each class of provision:

(a) a brief description of the nature of the obligation and the expected timing of any resulting outflows of economic benefits;

(b) an indication of the uncertainties about those outflows. Where necessary to provide adequate information, an enterprise should disclose the major assumptions made concerning future events, as addressed in paragraph 41; and

(c) the amount of any expected reimbursement, stating the amount of any asset that has been recognised for that expected reimbursement.

Provided that a Small and Medium-sized Company, as defined in the Notification, may not comply with paragraph 67 above.

68. Unless the possibility of any outflow in settlement is remote, an enterprise should disclose for each class of contingent liability at the balance sheet date a brief description of the nature of the contingent liability and, where practicable:

(a) an estimate of its financial effect, measured under paragraphs 35-45;

(b) an indication of the uncertainties relating to any outflow; and

(c) the possibility of any reimbursement.

69. In determining which provisions or contingent liabilities may be aggregated to form a class, it is necessary to consider whether the nature of the items is sufficiently similar for a single statement about them to fulfill the requirements of paragraphs 67 (a) and (b) and 68 (a) and (b). Thus, it may be appropriate to treat as a single class of provision amounts relating to warranties of different products, but it would not be appropriate to treat as a single class amounts relating to normal warranties and amounts that are subject to legal proceedings.

70. Where a provision and a contingent liability arise from the same set of circumstances, an enterprise makes the disclosures required by paragraphs 66-68 in a way that shows the link between the provision and the contingent liability.

71. Where any of the information required by paragraph 68 is not disclosed because it is not practicable to do so, that fact should be stated.

72. In extremely rare cases, disclosure of some or all of the information required by paragraphs 66-70 can be expected to prejudice seriously the position of the enterprise in a dispute with other parties on the subject matter of the provision or contingent liability. In such cases, an enterprise need not disclose the information, but should disclose the general nature of the dispute, together with the fact that, and reason why, the information has not been disclosed.

IndiaCode

Transitional Provisions

73. ***All the existing provisions for decommissioning, restoration and similar liabilities (see paragraph 35) should be discounted prospectively, with the corresponding effect to the related item of property, plant and equipment.***

Illustration A

Tables - Provisions, Contingent Liabilities and Reimbursements

The purpose of this illustration is to summarise the main requirements of the Accounting Standard. It does not form part of the Accounting Standard and should be read in the context of the full text of the Accounting Standard.

Provisions and Contingent Liabilities

Where, as a result of past events, there may be an outflow of resources embodying future economic benefits in settlement of: (a) a present obligation the one whose existence at the balance sheet date is considered probable; or (b) a possible obligation the existence of which at the balance sheet date is considered not probable.		
There is a present obligation that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of obligation.	**There is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources.**	**There is a possible obligation or a present obligation where the likelihood of an outflow of resources is remote.**
A provision is recognised (paragraph 14). Disclosures are required for the provision (paragraphs 66 and 67)	No provision is recognised (paragraph 26). Disclosures are required for the contingent liability (paragraph 68).	No provision is recognised (paragraph 26). No disclosure is required (paragraph 68).

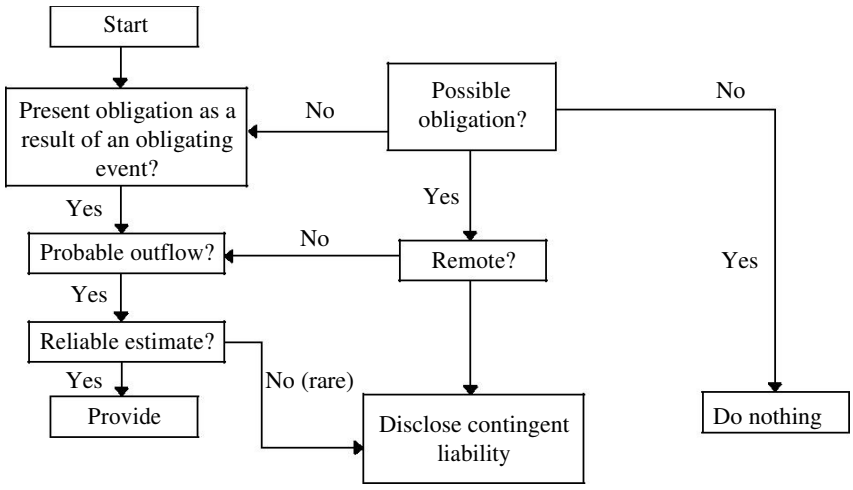
Reimbursements

Some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party.		
The enterprise has no obligation for the part of the expenditure to be reimbursed by the other party.	**The obligation for the amount expected to be reimbursed remains with the enterprise and it is virtually certain that reimbursement will be received if the enterprise settles the provision.**	**The obligation for the amount expected to be reimbursed remains with the enterprise and the reimbursement is not virtually certain if the enterprise settles the provision.**
The enterprise has no liability for the amount to be reimbursed (paragraph 50).	The reimbursement is recognised as a separate asset in the balance sheet and may be offset against the expense in the statement of profit and loss. The amount recognised for the expected reimbursement does not exceed the liability (paragraphs 46 and 47).	The expected reimbursement is not recognised as an asset (paragraph 46).
No disclosure is required.	The reimbursement is disclosed together with the amount recognised for the reimbursement (paragraph 67(c)).	The expected reimbursement is disclosed (paragraph 67(c)).

Illustration B

Decision Tree

The purpose of the decision tree is to summarise the main recognition requirements of the Accounting Standard for provisions and contingent liabilities. The decision tree does not form part of the Accounting Standard and should be read in the context of the full text of the Accounting Standard.



Note: in rare cases, it is not clear whether there is a present obligation. In these cases, a past event is deemed to give rise to a present obligation if, taking account of all available evidence, it is more likely than not that a present obligation exists at the balance sheet date (paragraph 15 of the Standard).

Illustration C

Illustration: Recognition

This illustration illustrates the application of the Accounting Standard to assist in clarifying its meaning. It does not form part of the Accounting Standard.

All the enterprises in the Illustrations have 31 March year ends. In all cases, it is assumed that a reliable estimate can be made of any outflows expected. In some Illustrations the circumstances described may have resulted in impairment of the assets – this aspect is not dealt with in the examples.

The cross references provided in the Illustrations indicate paragraphs of the Accounting Standard that are particularly relevant. The illustration should be read in the context of the full text of the Accounting Standard.

Illustration 1: Warranties

A manufacturer gives warranties at the time of sale to purchasers of its product. Under the terms of the contract for sale the manufacturer undertakes to make good, by repair or replacement, manufacturing defects that become apparent within three years from the date of sale. On past experience, it is probable (i.e. more likely than not) that there will be some claims under the warranties.

Present obligation as a result of a past obligating event -The obligating event is the sale of the product with a warranty, which gives rise to an obligation.

An outflow of resources embodying economic benefits in settlement - Probable for the warranties as a whole (see paragraph 23).

Conclusion - A provision is recognised for the best estimate of the costs of making good under the warranty products sold before the balance sheet date (see paragraphs 14 and 23).

Illustration 2: Contaminated Land -Legislation Virtually Certain to be Enacted

An enterprise in the oil industry causes contamination but does not clean up because there is no legislation requiring cleaning up, and the enterprise has been contaminating land for several years. At 31 March 2005 it is virtually certain that a law requiring a clean-up of land already contaminated will be enacted shortly after the year end.

Present obligation as a result of a past obligating event -The obligating event is the contamination of the land because of the virtual certainty of legislation requiring cleaning up.

An outflow of resources embodying economic benefits in settlement - Probable.

Conclusion - A provision is recognised for the best estimate of the costs of the clean-up (see paragraphs 14 and 21).

Illustration 3: Offshore Oil field

An enterprise operates an offshore oil field where its licensing agreement requires it to remove the oil rig at the end of production and restore the seabed. Ninety per cent of the eventual costs relate to the removal of the oil rig and

restoration of damage caused by building it, and ten per cent arise through the extraction of oil. At the balance sheet date, the rig has been constructed but no oil has been extracted.

Present obligation as a result of a past obligating event -The construction of the oil rig creates an obligation under the terms of the licence to remove the rig and restore the seabed and is thus an obligating event. At the balance sheet date, however, there is no obligation to rectify the damage that will be caused by extraction of the oil.

An outflow of resources embodying economic benefits in settlement – Probable.

Conclusion -A provision is recognised for the best estimate of ninety per cent of the eventual costs that relate to the removal of the oil rig and restoration of damage caused by building it (see paragraph 14). These costs are included as part of the cost of the oil rig. The ten per cent of costs that arise through the extraction of oil are recognised as a liability when the oil is extracted.

Illustration 4: Refunds Policy

A retail store has a policy of refunding purchases by dissatisfied customers, even though it is under no legal obligation to do so. Its policy of making refunds is generally known.

Present obligation as a result of a past obligating event -The obligating event is the sale of the product, which gives rise to an obligation because obligations also arise from normal business practice, custom and a desire to maintain good business relations or act in an equitable manner.

An outflow of resources embodying economic benefits in settlement

Probable, a proportion of goods are returned for refund (see paragraph 23).

Conclusion - A provision is recognised for the best estimate of the costs of refunds (see paragraphs 11, 14 and 23).

Illustration 5: Legal Requirement to Fit Smoke Filters

Under new legislation, an enterprise is required to fit smoke filters to its factories by 30 September 2005. The enterprise has not fitted the smoke filters.

(a) At the balance sheet date of 31 March 2005

Present obligation as a result of a past obligating event -There is no obligation because there is no obligating event either for the costs of fitting smoke filters or for fines under the legislation.

Conclusion - No provision is recognised for the cost of fitting the smoke filters (see paragraphs 14 and 16-18).

(b) At the balance sheet date of 31 March 2006

Present obligation as a result of a past obligating event -There is still no obligation for the costs of fitting smoke filters because no obligating event has occurred (the fitting of the filters). However, an obligation might arise to pay fines or penalties under the legislation because the obligating event has occurred (the non-compliant operation of the factory).

An outflow of resources embodying economic benefits in settlement - Assessment of probability of incurring fines and penalties by non-compliant operation depends on the details of the legislation and the stringency of the enforcement regime.

Conclusion - No provision is recognised for the costs of fitting smoke filters. However, a provision is recognised for the best estimate of any fines and penalties that are more likely than not to be imposed (see paragraphs 14 and 16-18).

Illustration 6: Staff Retraining as a Result of Changes in the Income Tax System

The government introduces a number of changes to the income tax system. As a result of these changes, an enterprise in the financial services sector will need to retrain a large proportion of its administrative and sales work force in order to ensure continued compliance with financial services regulation. At the balance sheet date, no retraining of staff has taken place.

Present obligation as a result of a past obligating event -There is no obligation because no obligating event (retraining) has taken place.

Conclusion - No provision is recognised (see paragraphs 14 and 16-18).

Illustration 7: A Single Guarantee

During 2004-05, Enterprise A gives a guarantee of certain borrowings of Enterprise B, whose financial condition at that time is sound. During 2005-06, the financial condition of Enterprise B deteriorates and at 30 September 2005 Enterprise B goes into liquidation.

(a) At 31 March 2005

IndiaCode

Present obligation as a result of a past obligating event -The obligating event is the giving of the guarantee, which gives rise to an obligation.

An outflow of resources embodying economic benefits in settlement

No outflow of benefits is probable at 31 March 2005.

Conclusion -No provision is recognised (see paragraphs 14 and 22). The guarantee is disclosed as a contingent liability unless the probability of any outflow is regarded as remote (see paragraph 68).

(b) At 31 March 2006

Present obligation as a result of a past obligating event -The obligating event is the giving of the guarantee, which gives rise to a legal obligation.

An outflow of resources embodying economic benefits in settlement - At 31 March 2006, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.

Conclusion -A provision is recognised for the best estimate of the obligation (see paragraphs 14 and 22).

Note: This example deals with a single guarantee. If an enterprise has a portfolio of similar guarantees, it will assess that portfolio as a whole in determining whether an outflow of resources embodying economic benefit is probable (see paragraph 23). Where an enterprise gives guarantees in exchange for a fee, revenue is recognised under AS 9, Revenue Recognition.

Illustration 8: A Court Case

After a wedding in 2004-05, ten people died, possibly as a result of food poisoning from products sold by the enterprise. Legal proceedings are started seeking damages from the enterprise but it disputes liability. Up to the date of approval of the financial statements for the year 31 March 2005, the enterprise's lawyers advise that it is probable that the enterprise will not be found liable. However, when the enterprise prepares the financial statements for the year 31 March 2006, its lawyers advise that, owing to developments in the case, it is probable that the enterprise will be found liable.

(a) At 31 March 2005

Present obligation as a result of a past obligating event -On the basis of the evidence available when the financial statements were approved, there is no present obligation as a result of past events.

Conclusion - No provision is recognised (see definition of 'present obligation' and paragraph 15). The matter is disclosed as a contingent liability unless the probability of any outflow is regarded as remote (paragraph 68).

(b) At 31 March 2006

Present obligation as a result of a past obligating event -On the basis of the evidence available, there is a present obligation.

An outflow of resources embodying economic benefits in settlement - Probable.

Conclusion - A provision is recognised for the best estimate of the amount to settle the obligation (paragraphs 14-15).

Illustration 9A: Refurbishment Costs -No Legislative Requirement

A furnace has a lining that needs to be replaced every five years for technical reasons. At the balance sheet date, the lining has been in use for three years.

Present obligation as a result of a past obligating event -There is no present obligation.

Conclusion - No provision is recognised (see paragraphs 14 and 16-18).

The cost of replacing the lining is not recognised because, at the balance sheet date, no obligation to replace the lining exists independently of the company's future actions - even the intention to incur the expenditure depends on the company deciding to continue operating the furnace or to replace the lining.

Illustration 9B: Refurbishment Costs -Legislative Requirement

An airline is required by law to overhaul its aircraft once every three years.

Present obligation as a result of a past obligating event -There is no present obligation.

Conclusion - No provision is recognised (see paragraphs 14 and 16-18).

The costs of overhauling aircraft are not recognised as a provision for the same reasons as the cost of replacing the lining is not recognised as a provision in illustration 9A. Even a legal requirement to overhaul does not make the costs of overhaul a liability, because no obligation exists to overhaul the aircraft independently of the enterprise's future actions - the enterprise could avoid the future expenditure by its future actions, for example by selling the aircraft.

Illustration 10: An onerous contract

An enterprise operates profitably from a factory that it has leased under an operating lease. During December 2005 the enterprise relocates its operations to a new factory. The lease on the old factory continues for the next four years, it cannot be cancelled and the factory cannot be re-let to another user.

Present obligation as a result of a past obligating event -The obligating event occurs when the lease contract becomes binding on the enterprise, which gives rise to a legal obligation.

An outflow of resources embodying economic benefits in settlement - When the lease becomes onerous, an outflow of resources embodying economic benefits is probable. (Until the lease becomes onerous, the enterprise accounts for the lease under AS 19, Leases).

Conclusion -A provision is recognised for the best estimate of the unavoidable lease payments.

Illustration D

Illustration: Disclosures

This illustration does not form part of the Accounting Standard. Its purpose is to illustrate the application of the Accounting Standard to assist in clarifying its meaning. An illustration of the disclosures required by paragraph 67 is provided below.

Illustration 1 Warranties

A manufacturer gives warranties at the time of sale to purchasers of its three product lines. Under the terms of the warranty, the manufacturer undertakes to repair or replace items that fail to perform satisfactorily for two years from the date of sale. At the balance sheet date, a provision of Rs. 60,000 has been recognised. The following information is disclosed:

A provision of Rs. 60,000 has been recognised for expected warranty claims on products sold during the last three financial years. It is expected that the majority of this expenditure will be incurred in the next financial year, and all will be incurred within two years of the balance sheet date.

An illustration is given below of the disclosures required by paragraph 72 where some of the information required is not given because it can be expected to prejudice seriously the position of the enterprise.

Illustration 2 Disclosure Exemption

An enterprise is involved in a dispute with a competitor, who is alleging that the enterprise has infringed patents and is seeking damages of Rs. 1000 lakhs. The enterprise recognises a provision for its best estimate of the obligation, but discloses none of the information required by paragraphs 66 and 67 of the Standard. The following information is disclosed:

Litigation is in process against the company relating to a dispute with a competitor who alleges that the company has infringed patents and is seeking damages of Rs. 1000 lakhs. The information usually required by AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets is not disclosed on the grounds that it can be expected to prejudice the interests of the company. The directors are of the opinion that the claim can be successfully resisted by the company.

[F.No. 17/151/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

NOTE:- Principal rules were published in the gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 7th December, 2006 vide G.S.R. 734 (E), dated the 7th December, 2006 and last amended vide G.S.R. 914 (E) dated the 29th December, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.